रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15042026-271809
CG-DL-E-15042026-271809

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 9, 2026/चैत्र 19, 1948
No. 105] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 9, 2026/CHAITRA 19, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2026

मामला सं. – एडी(एसएसआर)-09/2025

विषय: मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'नॉर्मल ब्यूटानॉल' या 'एन-ब्यूटाइल अल्कोहल' के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच।

फा.सं.7/16/2025-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम,1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए।

क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) को आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (जिसे आगे 'आवेदक' या "घरेलू उद्योग" कहा गया है) से एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें यूरोपीय संघ, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'नॉर्मल ब्यूटेनॉल' (जिसे आगे "संबद्ध सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" कहा गया) के आयात पर लगाए गए

पाटनरोधी शुल्क के विस्तार और वृद्धि के लिए निर्णायक समीक्षा शुरू करने की मांग की गई है। तथापि, मामले की शुरुआत के दौरान की गई जांच में, *प्रथम दृष्टया* यह नोट किया गया कि यूरोपीय संघ और सिंगापुर से एनबीए के आयात पर पाटनरोधी जांच शुरू करना, जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना में बताए गए कारणों की वजह से उचित नहीं था। अतः, यह निर्णय लिया गया था कि पाटनरोधी जांच केवल मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका (जिन्हें इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) के विरुद्ध ही शुरू की जाए।

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के आधार पर, प्राधिकारी ने मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों के संबंध में संबद्ध जांच शुरु करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 7/16/2025-डीजीटीआर दिनांक 27 सितंबर 2025 द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की। यह जांच नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार यह जांच करने के लिए शुरू की गई थी कि क्या इस शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है, और क्या पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखने की आवश्यकता है।

3. यूरोपीय संघ, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका से विचाराधीन उत्पाद के आयात के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना संख्या 14/4/2013-डीजीएडी दिनांक 20 नवंबर 2014 के माध्यम से शुरू की गई थी। घरेलू उद्योग द्वारा दायर एक विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र के अनुसरण में और विस्तृत जांच के बाद, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संबद्ध देशों से आयात के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। तदनुसार, दिनांक 19 फरवरी 2016 के अंतिम जांच परिणाम के माध्यम से, प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। इसके बाद, वित्त मंत्रालय ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया और सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 13/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 13 अप्रैल 2016 के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क लगाया।

4. इसके बाद, यूरोपीय संघ, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात के संबंध में प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना संख्या 7/29/2020-डीजीटीआर दिनांक 31 अगस्त 2020 के माध्यम से एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की गई थी। जांच के बाद, प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम संख्या 7/29/2020-डीजीटीआर दिनांक 30 मार्च 2021 के माध्यम से, पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश की। वित्त मंत्रालय ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया और अधिसूचना संख्या 21/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 12 अप्रैल 2021 के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क को पांच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया। ये शुल्क वर्तमान में लागू हैं और 12 अप्रैल 2026 तक प्रभावी हैं। तत्पश्चात, वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 02/2026- सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से, मौजूदा शुल्कों को तीन महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए और बढ़ा दिया। तदनुसार, ये शुल्क 12 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेंगे।

5. अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, लगाया गया कोई भी पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि उसे पहले ही रद्द न कर दिया जाए, ऐसे शुल्क लगाए जाने की तारीख से पाँच वर्ष पूरे होने पर समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त, नियमावली का नियम 23(1ख) में निम्नलिखित प्रावधान है:

> *"अधिनयम के तहत लगाया गया कोई भी निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों से अधिक की अवधि के लिए तब तक प्रभावी होगा, जब तक निर्दिष्ट प्राधिकारी उस अवधि की समाप्ति से पूर्व उपयुक्त समयावधि के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध पर या अपनी निजी पहल पर उस अवधि से*

पूर्व शुरु की गई समीक्षा के संबंध में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते कि उक्त पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग में पाटन और क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है"

6. उपर्युक्त के अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर, इस बात की समीक्षा करना आवश्यक है कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसके बार-बार होने की संभावना है।

7. वर्तमान समीक्षा के क्षेत्र में अंतिम जांच परिणाम संख्या 7/29/2020-डीजीटीआर दिनांक 30 मार्च 2021 और अधिसूचना संख्या 21/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 12 अप्रैल 2021 के सभी पहलू शामिल हैं।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

8 जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

8.1 जांच की शुरुआत

i. नियम 5(5) के अनुसार जांच की शुरुआत से पूर्व संबद्ध देशों की सरकारों को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से अधिसूचित किया गया था।

ii. नियम 6 के अनुसार, आवेदन-पत्र की जांच करने और पाटन, क्षति, संभावना और कारणात्मक संपर्क के *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य मिलने पर, प्राधिकारी ने 27 सितंबर 2025 को अधिसूचना संख्या 7/16/2025-डीजीटीआर जारी की। यह अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात के संबंध में निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच शुरू की गई।

iii. डीजी सिस्टम से क्षति अवधि के लिए संबद्ध सामानों के लेनदेन-वार आयात आंकड़े उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। प्राप्त आंकड़ों पर लेनदेनों की उचित जांच के बाद, आवश्यक विश्लेषण के लिए विश्वास किया गया है।

iv. नियम 6(2) के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों को भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, ज्ञात उत्पादकों और संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के निर्यातकों, भारत में संबद्ध देशों के ज्ञात आयातकों और आवेदन-पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति साझा कर जांच की शुरुआत के संबंध में सूचित किया गया था।

8.2 आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

i. नियम 6(3) के अनुसार, आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति संबद्ध देशों की सरकारों को भारत स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से, संबद्ध आयात के ज्ञात निर्यातकों को, और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान की गई, जिन्होंने आवेदन-पत्र की प्रति के लिए लिखित रूप में अनुरोध किया था।

8.3 संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा प्रतिभागिता

i. नियम 6(4) के अनुसार, जांच के लिए सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत के संबंध में सूचना प्राप्त करने हेतु, निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी गई थी।

क्र.सं.	संबद्ध देश	उत्पादक/निर्यातक
1	मलेशिया	डाउ ऑप्टिमल केमिकल्स एसडीएन.बीएचडी
2		पेट्रोनास केमिकल्स डेरिवेटिव्स एसडीएन.बीएचडी
3	दक्षिण अफ्रीका	सासोल मिडिल ईस्ट एफजेडसीओ
4	संयुक्त राज्य अमेरिका	बीएएसएफ
5		डाउ केमिकल्स
6		ईस्टमैन केमिकल कंपनी
7		आईसीसी केमिकल कारपोरेशन
8		आईएनईओएस
9		ऑक्सिया कारपोरेशन
10		सासोल नॉर्थ अमेरिका
11		टेक्स मार्क केमिकल्स

ii. प्रश्नावली संबद्ध देशों की सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से भेजी गई थी। संबद्ध देशों की सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के उत्पादकों को जांच शुरुआत अधिसूचना और प्रश्नावली भेजें और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।

iii. उपरोक्त के उत्तर में, संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने उत्तर दिया है और निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है:

क्र.सं.	संबद्ध देश	उत्पादक/निर्यातक
1	मलेशिया	बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन. बीएचडी
2		पीसी डेरिवेटिव एसडीएन बीएचडी
3		पेट्रोनास केमिकल मार्केटिंग (लाबुआन) लिमिटेड

8.4 आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा प्रतिभागिता

i. नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रश्नावलियां भेजी:

क्र.सं.	भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं के नाम
1	एल्किल एमाइन केमिकल्स लिमिटेड
2	अंकिता केमिकल कारपोरेशन
3	अनुशक्ति केमिकल्स एंड ड्रग्स लिमिटेड
4	एपीआई इंडस्ट्रियल कारपारेशन
5	अप्रा एंटरप्राइजेज
6	एशियन सॉल्वोकेम प्राइवेट लिमिटेड
7	बालमुकुंद केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
8	बुनीशा केम प्राइवेट लिमिटेड

9	सी जे शाह एंड कंपनी
10	डागा ग्लोबल केमिकल्स लिमिटेड
11	दीपक नाइट्राइट लिमिटेड
12	डॉर्फकेटल स्पेशलिटी प्राइवेट लिमिटेड
13	हरेश पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड
14	हेज़ल मर्केंटाइल लिमिटेड
15	जागृति प्लास्टिक्स लिमिटेड
16	के एल जे ग्रुप
17	केतुल केम प्रा. लि
18	केएलजे रिसोर्सेज लिमिटेड
19	कुंदन राइस मिल्स लिमिटेड
20	ललिता केम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
21	नूतन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
22	ओवरसीज पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड
23	पारस डाइज़ एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
24	पायल पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
25	पीसीएल ऑयल एंड सॉल्वेंट्स लिमिटेड
26	पेट्रोकेम मिडिल ईस्ट प्राइवेट लिमिटेड
27	प्लास्टिचेम इंडस्ट्रियल कारपोरेशन
28	पोन प्यूरे केमिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
29	रचना प्लास्टिसाइज़र
30	रमनिकलाल एस गोसालिया एंड कंपनी
31	संजय केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
32	सुप्रीम इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
33	सुरभि एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
34	विसेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड
35	युग इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड

ii. भारत के निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने उत्तर दिया है और आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है:

क्र.सं.	**भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं के नाम**
1	बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड
2	केएलजे पेट्रोप्लास्ट लिमिटेड
3	केएलजे प्लास्टिसाइज़र्स लिमिटेड

4	केएलजे रिसोर्सेज लिमिटेड
5	पायल पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड

iii. जांच की शुरुआत की अधिसूचना के उत्तर में, इंडियन प्लास्टिसाइज़र्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने भी इस जांच में कानूनी अनुरोध किए हैं।

iv. उन सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, जिन्होंने निर्धारित समय–सीमा के भीतर अपना पंजीकरण कराया था। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे इस कार्यवाही में अपनी सभी अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित करें।

8.5 जांच की अवधि और क्षति अवधि

i. जैसा कि जांच शुरू शुरुआत अधिसूचना में नोट किया गया है, जांच की अवधि ('पीओआई') 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक मानी गई थी। क्षति की अवधि में वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और जांच की अवधि को शामिल किया गया था।

8.6 आगे की प्रक्रिया

i. सभी ज्ञात उत्पादकों, निर्यातकों, आयातकों और घरेलू उद्योग को एक आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की गई थी। यह आर्थिक हित प्रश्नावली संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के साथ भी साझा की गई थी। घरेलू उद्योग, तथा भाग लेने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं द्वारा आर्थिक हित प्रश्नावली दायर की गई थी।

ii. जिन विदेशी उत्पादकों, निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कोई उत्तर नहीं दिया है, या जिन्होंने इस जांच से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, उन्हें असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है।

iii. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर सभी भाग लेने वाले हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया था। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, जिसमें उन सभी से अनुरोध किया गया था कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।

iv. नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 5 जनवरी 2026 को आयोजित एक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करें, जिसके बाद वे अपने प्रत्युत्तर अनुरोध दायर करें।

v. नियम 6(8) के अनुसार, जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान कार्यवाही के दौरान सूचना तक पहुंच देने से इनकार किया है, या अन्यथा आवश्यक सूचना समय पर उपलब्ध नहीं कराई है, अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना गया है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज किए गए हैं।

vi. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की जांच, गोपनीयता के उन दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, गोपनीयता के दावों को जहां भी आवश्यक था, स्वीकार कर लिया गया, ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का एक पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर भी उपलब्ध कराएं।

vii. प्राधिकारी ने 16 मार्च 2026 को सभी आवश्यक तथ्यों वाला प्रकटन विवरण सभी हितबद्ध पक्षकारों के बीच परिचालित किया। प्राधिकारी ने आवश्यक मानी गई सीमा तक इन अंतिम जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की जांच की है। कोई भी अनुरोध, जो पूर्व अनुरोधों की पुनरावृत्ति मात्र थे, और जिनकी प्राधिकारी द्वारा पहले ही पर्याप्त रूप से जांच की गई थी, संक्षिप्तता के लिए उन्हें दोहराया नहीं गया है।

viii. नियम 8 के अनुसार, घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन उस सीमा तक किया गया, जिसे वर्तमान कार्यवाही के लिए आवश्यक माना गया। प्राधिकारी ने इस मामले में अपने विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।

ix. क्षतिरहित कीमत की गणना उत्पादन की इष्टतम लागत और भारत में घरेलू समान वस्तु के उत्पादन तथा बिक्री की लागत के आधार पर की गई है, यह गणना आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) को ध्यान में रखते हुए और नियमावली के अनुबंध III में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार की गई है।

x. प्राधिकारी ने इस अंतिम जांच परिणाम को तैयार करने में वर्तमान जांच से संगत माने गए और साक्ष्य से समर्थित सीमा तक इस कार्यवाही के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, उठाए गए मुद्दों और दी गई सूचना की जांच की।

xi. इस अंतिम जांच परिणाम में "***" गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना और नियमावली के तहत मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

xii. वर्तमान जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 यूएसडॉ. = 85.43 रुपये है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

9. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

ग.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

10. विचारधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

क. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सामान्य ब्यूटानॉल है।

ख. उत्पाद का क्षेत्र वही है, जो मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा परिभाषित किया गया है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

11. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र मूल जांच में परिभाषित के समान ही बना हुआ है। मूल जांच में परिभाषित और जांच की शुरुआत के स्तर पर माने जाने वाले विचाराधीन उत्पाद को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है –

"विचाराधीन उत्पाद नार्मल ब्यूटानॉल है। नार्मल ब्यूटानॉल एक प्राथमिक अल्कोहल है जिसकी संरचना 4-कार्बन और आणविक सूत्र सी4एच90एच है। नार्मल ब्यूटानॉल एसिड-क्युरेबल लैक्कर और यूरिया, मेलामाइन या फेनोलिक रेजिन से प्राप्त बेकिंग फिनिश के लिए एक उत्कृष्ट विलायक है। एन-ब्यूटानॉल का एक बड़ा हिस्सा कोटिंग उद्योगों और मुद्रण स्याही में विलायक के रूप में

उपयोग के लिए व्युत्पन्न में परिवर्तित हो जाता है। नार्मल ब्यूटानॉल का उपयोग दवाओं और प्राकृतिक पदार्थों के उत्पादन में अर्क के रूप में, पॉलिश और क्लीनर में योजक के रूप में, वस्त्र उद्योग के विलेयकारक के रूप में, डीसिंग तरल पदार्थों में योजक के रूप में, गैसोलीन में एंटी-बर्फ़ीला योजक के रूप में, सेलुलोज़ नाइट्रेट के लिए ह्यूमेक्टेंट के रूप में, ग्लाइकोल ईथर के उत्पादन में फीडस्टॉक के रूप में और फ्लोटेशन एड्स (ब्यूटाइल ज़ैंथेट) और ब्यूटाइल मोनो कार्बोक्सिलेट्स, ब्यूटाइल एसीटेट, ब्यूटाइरेट के उत्पादन के लिए शुरुआती सामग्री के रूप में भी किया जाता है।

विचाराधीन उत्पाद उप-शीर्ष 2905 के अंतर्गत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत है। विचाराधीन उत्पाद 29051300 के तहत आयात किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

12. किसी भी आयातक, निर्यातक और अन्य हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और समान वस्तु के संबंध में कोई तर्क नहीं दिया है। इस प्रकार, वर्तमान समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है जो मूल जांच में है और जांच की शुरुआत के स्तर पर माना गया है।

"वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "नॉर्मल ब्यूटानॉल" है। "

13 नार्मल ब्यूटानॉल के उत्पादन में प्रयुक्त प्रमुख कच्चा माल नैफ्था और प्रोपलीन हैं।

14. एन-ब्यूटानॉल का उत्पादन औद्योगिक रूप से पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक प्रोपलीन से किया जाता है। प्रोपलीन को रोडियम आधारित समरूप उत्प्रेरक की उपस्थिति में ब्यूटाइरल्डिहाइड में हाइड्रोफॉर्मिलेट किया जाता है, जिसे ऑक्सो प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। ब्यूटिरैल्डिहाइड को फिर एन-ब्यूटानॉल बनाने के लिए हाइड्रोजनीकृत किया जाता है।

15. विचाराधीन उत्पाद 'आर्गेनिक केमिकल्स' शीर्ष के तहत और उप-शीर्ष 2905 13 00 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत है। यह भी नोट किया जाता है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह से संबद्ध जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

16. विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की निर्धारित इकाई मीट्रिक टन (एमटी) है, और इस जांच के लिए इसे अपनाया गया है।

17. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामान भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और सामान के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। तदनुसार, प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद की 'समान वस्तु' हैं।

घ. <u>घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार</u>

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

18. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

i. घरेलू उद्योग का आधार संदिग्ध है और नियमावली के नियम 2(ख) और 5(3) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

ii. जहां कई उत्पादक काम करते हैं, आवेदक को स्पष्ट और सत्यापन योग्य साक्ष्य के माध्यम से प्रतिनिधित्व सिद्ध करना चाहिए, जो इस मामले में नहीं है।

iii. पिछली जांचें या ऐतिहासिक स्तर संगत अवधि के दौरान घरेलू उत्पादन के समकालीन मूल्यांकन का विकल्प नहीं हो सकता है।

iv. नियम 5(3) जांच की शुरुआत के स्तर पर आधार सिद्ध करने के लिए अनिवार्य उत्पादन सीमा निर्धारित करता है। आवेदक इन सीमाओं का अनुपालन दर्शाने या अन्य घरेलू उत्पादकों से अपेक्षित समर्थन दर्शाने में विफल रहा है।

v. आवेदक ने स्वीकार किया है कि अन्य उत्पादक, अर्थात् बीपीसीएल ने जांच की अवधि के दौरान 28,000 एमटी संबद्ध सामानों का उत्पादन किया है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट में कुल ऑक्सी-अल्कोहल उत्पादन 51,489 एमटी दिखाया गया है, जिसमें से लगभग 36,000 एमटी 2-एथिल हेक्सेनॉल से संबंधित है, जिससे जांच की अवधि के दौरान एनबीए के लिए केवल लगभग 15,000 एमटी ही उत्तरदायी है।

vi. ईसी - फास्टनरों (चीन) के मामले में डब्ल्यूटीओ के निर्णय का संदर्भ लिया जाता है, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का एनबीए का उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का केवल 35% है। यह हिस्सा कम उत्पादन है और घरेलू उत्पादन का "प्रमुख उत्पादन" नहीं दर्शाता है। तदनुसार, एपीसीएल को वर्तमान जांच के प्रयोजनों के लिए घरेलू उद्योग के रूप में पात्र नहीं माना जा सकता है।

vii. डीजीटीआर मैनुअल में उल्लेख है कि निर्णायक समीक्षा जांच में, घरेलू उद्योग के आधार का परीक्षण को नए सिरे से लागू किया जाना है। प्राधिकारी को अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए कि क्या आवेदक "घरेलू उद्योग" और आधार के मानदंडों को पूरा करता है और अप्रमाणित दावों पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए।

घ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

19. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. वर्तमान आवेदन-पत्र आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।

ii. पिछली जांच में, आवेदक भारत में एकमात्र उत्पादक था। भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने हाल ही में अपना संयंत्र स्थापित किया और अप्रैल 2021 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है।

iii. आवेदक ने बीपीसीएल को पत्र भेजा था, लेकिन बीपीसीएल ने आवेदक को उत्तर नहीं दिया है। आवेदक ने वर्तमान जांच में बीपीसीएल को तटस्थ माना है।

iv. आवेदक ने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है और न ही वह भारत में किसी आयातक या संबद्ध देशों के उत्पादक/निर्यातक से संबद्ध है।

v. यह आरोप लगाया गया है कि घरेलू उद्योग नियमावली के नियम 2(ख) और 5(3) के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, यह अनुरोध है कि नियम 5(3) (क) में यह अपेक्षित है कि आवेदन-पत्र का कुल भारतीय उत्पादन में कम से कम 25% का उत्पादन करने वाले उत्पादकों द्वारा समर्थन किया जाए।

vi. 50% के लिए अगली शर्त उन मामलों के लिए है जहां अन्य भारतीय उत्पादकों ने या तो आवेदन-पत्र का समर्थन किया है या विरोध किया है।

vii. वर्तमान मामले में, बीपीसीएल ने आवेदन-पत्र का समर्थन या विरोध नहीं किया है और तटस्थ बना हुआ है। चूंकि किसी भी घरेलू उत्पादक की ओर से कोई विरोध नहीं है, इसलिए उन लोगों के समर्थन की 50% आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती है जो व्यक्त करते हैं।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

20. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैः

> *'' (ख)"घरेलू उद्योग'' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में '' घरेलू उद्योग'' का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"*

21. वर्तमान आवेदन-पत्र आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। मूल और बाद की पहली निर्णायक समीक्षा जांच में, आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड भारत में इसी समान वस्तु का एकमात्र निर्माता था। अप्रैल 2021 में, एक अन्य उत्पादक, अर्थात् भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने 38,000 एमटी की क्षमता के साथ भारत में नॉर्मल ब्यूटानॉल का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया।

22. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग नियमावली के नियम 2(ख) और 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, इसने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड से इसके उत्पादन, आवेदन-पत्र के संबंध में इसकी स्थिति और अन्य संगत विवरणों के बारे में सूचना मांगी है। तथापि, बीपीसीएल ने न तो अनुरोध की गई सूचना प्रस्तुत की है और न ही आवेदन-पत्र पर अपनी स्थिति बताई है।

23. आवेदक का कुल भारतीय उत्पादन में [***] हिस्सा है और इसलिए, नियमावली के नियम 2 (ख) के अभिप्राय से घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख अनुपात बनाता है। इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने नियमावली के नियम 5(3) के तहत अपेक्षित जांच के बिना घरेलू उद्योग के आधार को स्वीकार करके कानून का गलत उपयोग किया है, यह नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा है जिसमें पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की मांग की गई है न की मूल जांच की। नियमावली में मूल जांच

में पात्र घरेलू उद्योग के रूप में आवेदक को पात्र माने जाने पर समीक्षा जांच में घरेलू उद्योग के आधार की पुन: जांच अनिवार्य नहीं है।

24. आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उसने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और वह न तो संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक या उत्पादक से संबद्ध है और न ही भारत में उत्पाद के किसी आयातक से। डीजी सिस्टम आंकड़ों की जांच की गई है, और यह पाया गया है कि आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

25 उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी का मानना है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 23(1) के तहत आधार की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ड. <u>विविध मुद्दे और गोपनीयता</u>

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

26. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए है:

i. घरेलू उद्योग ने एक दशक से अधिक समय तक पाटनरोधी शुल्क का लाभ उठाया है। शुल्क से तथाकथित पाटन यदि कोई है, पहले ही हल हो गया है।

ii. बीपीसीएल, जिसकी उत्पादन क्षमता काफी हद तक कैप्टिव है, प्रतिनिधित्व के किसी भी आकलन को और विकृत करता है। आवेदन-पत्र प्रत्येक उत्पादक की उत्पादन मात्रा या बाजार हिस्सेदारी का प्रकटन नहीं करता है, जिससे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सत्यापन रुक जाता है।

iii. घरेलू उद्योग ने निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने की शर्त को सिद्ध करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं दिया है, जबकि जांच प्राधिकारी ने संबंधित तथ्यों की उचित और पर्याप्त जांच नहीं की है।

ड.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

27. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए है:

i. इस अनुरोध के संबंध में कि शुल्क लंबे समय से लागू हैं, पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी और जारी रहने मात्र का यह अर्थ नहीं है कि पाटन रुक गया है या कोई क्षति अब नहीं है। इसके विपरीत, संबद्ध देशों से पाटन वर्तमान जांच में जारी रहा।

ii. न तो सीमा प्रशुल्क अधिनियम और न ही पाटनरोधी नियमावली घरेलू उद्योग को उचित व्यापार उपचारात्मक उपायों के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास जाने से रोक सकती है, जब भी घरेलू उद्योग को अनुचित आयातों से क्षति हो।

iii. इस अनुरोध के संबंध में कि याचिका प्रत्येक अलग अलग उत्पादक के उत्पादन की मात्रा या बाजार हिस्सेदारी का प्रकटन करने में विफल रहती है, यह अनुरोध है कि व्यापार सूचना सं 10/2018 में उत्पादक-वार उत्पादन आंकड़े या अलग अलग बाजार हिस्सेदारी के आंकड़े प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

iv. घरेलू उद्योग ने बीपीसीएल के वास्तविक उत्पादन और घरेलू उद्योग के उत्पादन और बाजार हिस्सेदारी सहित सभी संगत सूचना का प्रकटन किया है, जिससे व्यापार सूचना संख्या 10/2018 का पूरी तरह से अनुपालन होता है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

28. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर व्यापार सूचना 01/2020 के साथ पठित नियम 6(7) और व्यापार सूचना 10/2018 दिनांक 7 सितंबर, 2018 के अनुसार, को अगली सूचना तक (प्राधिकारी द्वारा बढ़ाए गए अनुसार) सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया था।

"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उप नियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

29. घरेलू उद्योग और भाग लेने वाले निर्यातकों द्वारा गोपनीयता के संबंध में किए गए अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा संगत माने जाने की सीमा तक जांच की गई और तदनुसार हल किया गया। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों ने उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, बाजार हिस्सेदारी, स्टॉक, बिक्री कीमत, लागत, लाभ, नकद लाभ, निवेश पर आय, क्षतिरहित कीमत, सूचना से संबंधित उत्पादन लागत, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन, कीमत समायोजन, लाभ से संबंधित सूचना, बिक्री चैनल, बिक्री और खरीद दस्तावेज, ग्राहक और आपूर्तिकर्ता नाम आदि जैसी सूचना के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है। यह भी देखा जाता है कि जहां कहीं भी क्षति की अवधि के लिए सूचना है, उसे सूचीबद्ध आधार पर प्रदान किया गया है। सामान्य मूल्य, क्षतिरहित कीमत और कीमत कटौती जैसी सूचना रेंज में प्रकट की गई है।

30. हितबद्ध पक्षकारों ने विभिन्न सहायक दस्तावेजों और सूचनाओं के गोपनीयता का दावा किया है, जहां भी ऐसी सूचना उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं की गई है। उन मामलों में जहां किसी हितबद्ध पक्षकार ने सार्वजनिक रूप से अपनी वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों का प्रकटन नहीं किया है, वहां उन्हें गोपनीय बताया गया है। जहां भी हितबद्ध पक्षकारों ने किसी दस्तावेज को गोपनीय बताया है, यह

नोट किया जाता है कि इन हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि ये दस्तावेज सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं हैं और यह कारण नहीं बताया है कि वे सार क्यों संभव नहीं है।

31. प्राधिकारी ने सभी जांचों में घरेलू उद्योगों, विदेशी उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई ऐसी सूचना और दस्तावेजों के संबंध में गोपनीयता का दावा करने के लिए निरंतर अनुमति दी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यवसाय से संबंधित संवेदनशील सूचना को गोपनीय बताया है। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है, और वह सूचना गोपनीय मानी गई है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है।

32. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग व्यापार उपचार उपायों का आदतन रूप से प्रयोक्ता है, यह देखा जाता है कि धारा 9(क)(5) के अनुसार, इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि घरेलू उद्योग कितनी बार विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों की अनुचित व्यापार परिपाटियों के समाधान की मांग कर सकता है और इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क कितने बार लगाए जा सकते हैं। पाटनरोधी जांच में प्राथमिक अनिवार्यता यह हल करने की है कि क्या उपचारात्मक उपाय पाटित आयातों और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति के आलोक में अपेक्षित हैं। पाटनरोधी शुल्क पाटन और क्षति का सामना करने के लिए जब तक आवश्यक हों, तब तक की अवधि के लिए लगाए जा सकते हैं। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिशें केवल जांच के बाद और अपेक्षित कानूनी अपेक्षाएं पूरी की जाती हैं।

33. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच की शुरुआत का औचित्य बनाने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं दिया है और प्राधिकारी ने तथ्यों की उपयुक्त जांच नहीं की है, यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग ने जांच की शुरुआत का औचित्य बनाने के लिए पर्याप्त सूचना दी है और जांच की शुरुआत प्राधिकारी द्वारा यह संतुष्ट होने के बाद की गई थी कि जांच की शुरुआत का औचित्य बनाने के लिए पर्याप्त *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य था।

च. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

34. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

i. मलेशिया के उत्पादकों का सामान्य मूल्य, प्राधिकारी को उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

च.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

35. घरेलू उद्योग ने प्रतिभागी उत्पादकों के सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किए हैं।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

36. धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की

स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगाः–

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप–धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो;

(ख) अथवा उप–धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

37. प्रश्नावली को संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को भेजा गया था, जिसमें उन्हें निर्धारित प्रपत्र और तरीके से सूचना प्रदान करने की सलाह दी गई थी। संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में उनकी संबद्ध कंपनियों ने निर्धारित प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं।

i. मलेशिया में बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन. बीएचडी और भारत में इसके संबद्ध आयातक।

ii. पीसी डेरिवेटिव एसडीएन बीएचडी, मलेशिया

iii. पेट्रोनास केमिकल मार्केटिंग (लाबुआन) लिमिटेड, मलेशिया

38. संबद्ध देशों के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निम्नानुसार निर्धारित की गई है।

च.3.1 <u>मलेशिया के लिए समान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण</u>

पेट्रोनास केमिकल मार्केटिंग (लाबुआन) लिमिटेड (उत्पादक) और पीसी डेरिवेटिव एसडीएन बीएचडी (निर्यातक)

i. सामान्य मूल्य

39. जांच की अवधि के दौरान, पेट्रोनास केमिकल मार्केटिंग (लाबुआन) लिमिटेड (जिसे इसके बाद "पेट्रोनास मार्केटिंग" कहा गया है), जो मलेशिया में संबद्ध सामानों का व्यापारी/ निर्यातक है, ने अपने घरेलू बाजार में *** अम.डॉलर बीजक मूल्य के *** एमटी संबद्ध सामान बेचे हैं। घरेलू बिक्री भारत को निर्यातों से तुलना करने पर पर्याप्त मात्रा में है।

40. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन को निर्धारित करने के लिए व्यापार परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया की है। यदि लाभ कमाने वाले लेनदेन कुल बिक्री के 80% से अधिक हैं, तो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बिक्री में सभी लेनदेन पर विचार किया जाता है और यदि लाभदायक लेनदेन 80% से कम हैं, तो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभदायक घरेलू बिक्री को ध्यान में रखा जाता है। वर्तमान जांच में, चूंकि लाभ कमाने वाली बिक्री 80% से अधिक है, सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए सभी घरेलू बिक्री पर विचार किया गया है। पेट्रोनास मार्केटिंग ने सामान्य मूल्य की गणना में अंतर्देशीय माल भाड़ा, पैकिंग खर्च और क्रेडिट लागत के कारण समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा इसे अनुमति दी गई है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ii. निर्यात कीमत

41. जांच की अवधि के दौरान, पीसी डेरिवेटिव्स एसडीएन बीएचडी ने संबद्ध निर्यातक पेट्रोनास मार्केटिंग लिमिटेड के माध्यम से संबद्ध सामानों के *** एमटी का निर्यात किया है।

पीसी डेरिवेटिव्स ➟ पेट्रोनास मार्केटिंग ➟ भारत में असंबद्ध ग्राहक

42. संबद्ध निर्यातक के माध्यम से बिक्री के मामले में, संबंधित निर्यातक की निर्यात कीमत को उचित समायोजन के बाद निर्धारित किया गया है। उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्चों, बैंक शुल्क के कारण समायोजन का दावा किया है और सत्यापन के बाद इसे अनुमति दी गई है।

43. इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन बीडीएच, मलेशिया

i. सामान्य मूल्य

44. जांच की अवधि के दौरान, बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन. बीएचडी. (जिसे आगे "बीएएसएफ" कहा गया गया है), जो मलेशिया में संबद्ध सामानों का उत्पादक है, की जांच की अवधि में कोई घरेलू बिक्री नहीं है।

45. वर्तमान जांच में बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन द्वारा कोई घरेलू बिक्री नहीं की गई है। इस तथ्य के आधार पर कि प्रश्नावली के उत्तर में अपेक्षित अन्य संगत सूचना उत्तरदाता उत्पादक और निर्यातक द्वारा प्रस्तुत की गई है, प्राधिकारी ने उत्तरदाता उत्पादक और निर्यातक के लिए उनके उत्पादन लागत के आधार पर उचित बिक्री और प्रशासन व्यय के साथ संबद्ध सामानों के उत्पादन की लागत और लाभ मार्जिन को जोड़कर सामान्य मूल्य का निर्माण किया है। इस प्रकार प्राप्त सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ii. निर्यात कीमत

46. जांच की अवधि के दौरान, बीएएसएफ ने बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से भारत में असंबद्ध ग्राहकों को संबद्ध सामानों के *** एमटी का निर्यात किया है।

बीएएसएफ ⟶ बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड ⟶ भारत में असंबद्ध ग्राहक

47. संबद्ध आयातक के माध्यम से बिक्री के मामले में, उचित समायोजन के बाद संबद्ध आयातक के पुनर्विक्रय मूल्य के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। उत्पादक/ निर्यातक ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्चों, बैंक शुल्क के कारण समायोजन का दावा किया है और सत्यापन के बाद इसे अनुमति दी गई है।

48. इस प्रकार प्राप्त निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

49. यह नोट किया जाता है कि मलेशिया के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान निर्णायक समीक्षा में सहयोग नहीं किया है। इसके मद्देनज़र, मलेशिया के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के तहत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

च.3.2 <u>दक्षिण अफ्रीका के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण</u>

50. दक्षिण अफ्रीका के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। तदनुसार, नियमावली के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। सामान्य मूल्य उचित लाभ मार्जिन के साथ, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय के लिए समायोजित, संबद्ध सामानों के उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

51. निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। इसके लिए, डीजी सिस्टम आंकड़ों में प्रदान की गई सूचना पर विचार किया गया है। समुद्री माल भाड़ा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह से संबंधित खर्च, बीमा, क्रेडिट लागत और पैकिंग खर्चों के आधार पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मूल्य समायोजन किया गया है। इस प्रकार, निर्धारित सामान्य मूल्य और कारखानागत निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

च.3.3 <u>संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण</u>

52. संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। तदनुसार, नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। सामान्य मूल्य उचित लाभ मार्जिन के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय के

लिए समायोजित संबद्ध सामानों के उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

53. निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। इसके लिए, डीजी सिस्टम आंकड़ों में प्रदान की गई सूचना पर विचार किया गया है। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर समुद्री माल भाड़ा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह संबंधी खर्चों, बीमा, क्रेडिट लागत और पैकिंग व्यय के निमित कीमत समायोजन किए गए हैं। इस प्रकार निर्धारित कारखानागत निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

च.3.4 पाटन मार्जिन

54. जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर, पाटन मार्जिन नीचे निर्धारित किया गया है।

पाटन मार्जिन तालिका

क्र.सं.	विवरण	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
		(यूएसडा./एमटी)	(यूएसडा./एमटी)	(यूएसडा./एमटी)	%	रेंज
क	**मलेशिया**					
1	बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन. बीएसचडी	***	***	***	***	0-10
2	पेट्रोनास केमिकल मार्केटिंग (लाबुआन) लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
3	कोई अन्य	***	***	***	***	10-20
ख	**दक्षिण अफ्रीका**	***	***	***	***	20-30
ग	**यूएसए**	***	***	***	***	20-30

छ. क्षति और कारणात्मक संपर्क का मूल्यांकन

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

55. **क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:**

i. घरेलू उद्योग को हुई क्षति उत्पाद के आयात के कारण नहीं है। क्षति अवधि के दौरान मलेशिया से आयात में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है।

ii. मलेशिया से आयात में बाज़ार की स्थितियों और घरेलू आपूर्ति की उपलब्धता के अनुसार उतार-चढ़ाव आया। जांच अवधि में आयात आमतौर पर आधार वर्ष के स्तर पर ही है। यह पैटर्न पूर्ण रूप से कोई लगातार या खास बढ़ोतरी नहीं दिखाता है।

iii. कुल आयात में मलेशिया के आयात का हिस्सा कम हुआ है। इस प्रकार, संबद्ध आयात अपना हिस्सा खो रहे है, बढ़ नहीं रहे है। गैर-संबद्ध देशों के आयात में भारी बढ़ोतरी इस बात को और साबित

करती है कि बाज़ार की स्थितियों में कोई भी बदलाव कुल आयात पर निर्भरता और वैश्विक आपूर्ति पैटर्न के कारण है, न कि संबद्ध देशों से आयातों के कारण।

iv. घरेलू उद्योग का उत्पादन कम हुआ है। जैसा कि वार्षिक रिपोर्टों में बताया गया है, यह कमी संयंत्र बंद होने और फीडस्टॉक आपूर्ति की समस्याओं के कारण थी। उत्पादन के अनुपात में आयात में बढ़ोतरी घरेलू उत्पादन में कमी के कारण है, न कि मलेशिया से आयात में किसी खास बढ़ोतरी के कारण।

v. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तथापि, उत्पादन और क्षमता उपयोग में उतार-चढ़ाव देखा गया है।

vi. 2022-23 में उत्पादन और क्षमता उपयोग में कमी सीधे तौर पर घरेलू उद्योग को हुई आंतरिक प्रचालनात्मक बाधाओं से जुड़ी है, न कि आयात से।

vii. क्षति अवधि के दौरान उत्पाद की भारतीय मांग में 60% की भारी बढ़ोतरी हुई। 3,30,000 एमटी की मांग के मुकाबले घरेलू उत्पादकों के पास 80,000 एमटी की क्षमता है। इसलिए, आयात केवल मांग-आपूर्ति के अंतराल को पूरा कर रहा है और इसे मात्रात्मक क्षति का कारण नहीं माना जा सकता।

viii. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमतों की तुलना, विचाराधीन देशों से आयात के कारण कीमत ह्रास या कीमत न्यूनीकरण के किसी भी निष्कर्ष का समर्थन नहीं करती है।

ix. यद्यपि, लागत और बिक्री कीमत के बीच अंतराल है, लेकिन इसका कारण फीडस्टॉक की कीमतों में उतार-चढ़ाव और आंतरिक लागत कारक हैं, न कि आयात। इसके परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी अंतराल को आयात के कारण कीमत ह्रास या कीमत न्यूनीकरण नहीं माना जा सकता।

x. 2022-23 में उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आंतरिक प्रचालनात्मक व्यवधानों के कारण है, न कि आयातों के कारण। घरेलू उद्योग की 41-दिवसीय रखरखाव बंदी और एचपीसीएल से अपर्याप्त प्रोपलीन आपूर्ति से वास्तविक रूप से उत्पादन में बाधा आई।

xi. यह तथ्य कि 2023–24 में उत्पादन और क्षमता उपयोग में सुधार हुआ, जब ये आंतरिक बाधाएँ कम हुईं, यह दर्शाता है कि पहले की गिरावट आयात के कारण नहीं, बल्कि अस्थायी परिचालन समस्याओं के कारण थी। घरेलू बिक्री की मात्रा भी यही पैटर्न दिखाती है।

xii. 2022-23 में 41-दिनों के रखरखाव बंदी और एचपीसीएल से प्रोपलीन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण लाभप्रदता में भारी गिरावट आई, और उसके बाद भी यह कमजोर बनी रही।

xiii. जांच अवधि में निष्पादन में गिरावट क्षमता उपयोग, उच्चतर ब्याज लागत, अकेले आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का अभाव, वैश्विक कीमत अस्थिरता, प्रदर्शन और विशेष रूप से बीपीसीएल से भारी घरेलू प्रतिस्पर्धा के अनुरूप हुए बिना बिना मूल्यह्रास लागत में वृद्धि के कारण है।

xiv. आईसीआरए के अनुसार, वित्त वर्ष 2023 में प्रचालनात्मक मार्जिन में कम उत्पाद स्टॉक फैलाव के कारण गिरावट आई। जिसके बाद वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही से आंशिक रूप से उभरने के साथ कमजोर वैश्विक मांग के बीच उत्पाद कीमतों में गिरावट आई। मार्जिन निरंतर वैश्विक मांग की कमी के कारण सुभेद्य रही।

xv. आईसीआरए ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन की अनुपस्थिति, वैश्विक कीमत अस्थिरता के प्रति संवेदनशीलता, शुल्क संरचनाओं और व्यापार संरक्षण उपायों में बदलाव, तथा आयात और घरेलू उत्पादकों से मिलने वाली प्रतिस्पर्धी चुनौतियों को भी रेखांकित किया है। इन कारकों ने आवेदक की वाणिज्यिक संरचना को प्रभावित किया है।

xvi. बिक्री लागत में वृद्धि सीधे तौर पर फीडस्टॉक की कीमतों में होने वाली अस्थिरता से जुड़ी है, अर्थात् वैश्विक कच्चे तेल और प्रोपलीन की कीमतें। फीडस्टॉक की कीमतों में होने वाले ये वैश्विक उतार-चढ़ाव घरेलू उत्पादकों और विदेशी उत्पादकों, दोनों को प्रभावित करते हैं।

xvii. घरेलू बिक्री कीमतों में आई गिरावट को, विचाराधीन उत्पाद की चक्रीय मांग की स्थितियों और घरेलू उद्योग के आंतरिक कीमत-निर्धारण निर्णयों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। घरेलू उत्पादक ने बाजार की स्थितियों और लागत के दबावों के उत्तर में कीमतों को समायोजित किया है, न कि आयात से मिलने वाली कीमत प्रतिस्पर्धा के कारण।

xviii. घरेलू उद्योग एक एकल विनिर्माता है, जिसका अपस्ट्रीम फीडस्टॉक के उत्पादन में कोई बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं है। यह स्थिति इसे वैश्विक कच्चे तेल और प्रोपलीन की कीमतों में होने वाली अस्थिरता के प्रति तथा तीसरे पक्षकार के आपूर्तिकर्ताओं से होने वाली आपूर्ति-बाधाओं के प्रति सुभेद्य बना देती है।

xix. बैकवर्ड इंटीग्रेशन के अभाव के परिणामस्वरूप, एकीकृत उत्पादकों की तुलना में इनपुट लागतें अधिक और अधिक अस्थिर होती हैं। यह संरचनात्मक हानि मार्जिन और लागत-प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करता है, और इसका श्रेय आयात को नहीं दिया जा सकता।

xx. उच्च वित्तीय लागतें निवल लाभप्रदता को प्रभावित करती हैं, और इनका आयात से कोई लेना-देना नहीं होता। बंदी की प्रकृति में परिचालन-संबंधी होते हैं, और इनका आयात की मात्रा या कीमतों से कोई संबंध नहीं होता।

xxi. पूर्ण रूप से देखें तो, क्षति अवधि के दौरान मलेशिया से आयात की मात्रा मोटे तौर पर अपरिवर्तित रही है। आधार वर्ष में आयात 10,310 एमटी था और जांच की अवधि में बढ़कर 15,267 एमटी हो गया। यह परिवर्तन मात्रा में किसी उछाल या असामान्य वृद्धि को नहीं दर्शाता है।

छ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

56. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. पाटनरोधी शुल्क जारी रहने से नए उत्पादकों को प्रोत्साहन मिला। बीपीसीएल ने नॉर्मल ब्यूटानॉल और अन्य ऑक्सो-अल्कोहल के लिए एक संयंत्र स्थापित किया और अप्रैल 2021 में 38,000 एमटीT की स्थापित क्षमता के साथ इसका वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया।

ii आईओसीएल ने जांच अवधि के बाद, अपनी गुजरात रिफाइनरी में 90,000 एमटी प्रति वर्ष की स्थापित क्षमता वाला एक नॉर्मल ब्यूटानॉल संयंत्र चालू किया। इस क्षमता का कुछ हिस्सा कंपनी अपने इस्तेमाल के लिए रखती है; आईओसीएल घरेलू बाज़ार को भी आपूर्ति कर रही है, लेकिन लगातार पाटन के कारण उसे अपना उत्पादन कम करना पड़ा है।

iii. शुल्क लागू होने के बावजूद, संबद्ध देशों के उत्पादक भारतीय बाज़ार में इस उत्पाद का पाटन जारी रखे हुए हैं।

iv. घरेलू उद्योग को हो रही क्षति का मुख्य कारण संबद्ध देशों, साथ ही ताइवान और सऊदी अरब से होने वाला आयात है।

v. 2021-22 में, संबद्ध देशों से आयात की कीमतें आवेदक की बिक्री लागत से अधिक थीं। तथापि, 2022-23 में आयात की कीमतें आवेदक की बिक्री लागत से नीचे गिर गईं और शेष पूरी क्षति अवधि के दौरान लागत से नीचे ही बनी रहीं।

vi. नॉर्मल ब्यूटानॉल के उत्पादन के लिए सिंगैस, नेफ्था और प्रोपलीन मुख्य कच्चा माल हैं, जिनकी कुल लागत में 90% से अधिक की हिस्सेदारी है। कच्चे माल की लागत में वृद्धि होने के बावजूद, आयात की कीमतों में गिरावट आई है।

vii. संबद्ध देशों से होने वाले आयात की मात्रा 2022-23 में बढ़ी, और 2023-24 में इसमें और भी तेज़ी से वृद्धि हुई। तथापि, जांच अवधि के दौरान संबद्ध आयात की मात्रा में मामूली गिरावट दर्ज की गई।

viii. जांच अवधि के दौरान संबद्ध आयात में आई गिरावट का मुख्य कारण ताइवान और सऊदी अरब से होने वाले पाटित आयातों में हुई भारी वृद्धि थी।

ix. उत्पादन के संदर्भ में, संबद्ध देशों से होने वाले आयात की मात्रा 45% से बढ़कर 94% हो गई, वहीं खपत के संदर्भ में यह 26% से बढ़कर 36% हो गई।

x. संबद्ध देशों से पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से कम है।

xi. पाटित आयातों के कारण आवेदक अपनी बिक्री लागत के अनुरूप अपनी बिक्री कीमत में बदलाव नहीं कर पाया है। पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण/ह्रास कर रहे हैं।

xii. घरेलू उद्योग की क्षमता स्थिर बनी रही।

xiii. 2022-23 में आंशिक संयंत्र बंद होने और आयात बढ़ने के कारण उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई, 2023-24 में इसमें मामूली सुधार हुआ, और जांच की अवधि के दौरान संयंत्र बंद होने तथा कम कीमत वाले पाटित आयातों के कारण इसमें फिर से गिरावट आ गई।

xiv. कच्चे माल की अस्थायी अनुपलब्धता के कारण उत्पादन में कुछ हानि हुई; पाटित आयातों के अलावा कोई अन्य कारक नहीं था जिसने इष्टतम क्षमता उपयोग को रोका हो।

xv. 2022-23 में घरेलू बिक्री में गिरावट आई, उसके बाद इसमें मामूली वृद्धि हुई, लेकिन जांच की अवधि के दौरान इसमें फिर से भारी गिरावट आ गई। अपने उत्पादन का 90% से अधिक बेचने के बावजूद, घरेलू उद्योग को कीमतों में काफी कमी करनी पड़ी, जिसके परिणामस्वरूप बिक्री राजस्व में गिरावट आई।

xvi. जांच की अवधि के दौरान आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की परिवर्तनीय लागत से कम थी। चूंकि घरेलू उद्योग कीमत के आधार पर प्रतिस्पर्धा करता है, इसलिए उसे आयात कीमतों के बराबर कीमत रखने और परिवर्तनीय लागत से कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे लागत की वसूली नहीं हो पाई और उसे स्वेच्छा से उत्पादन रोकने करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

xvii. पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को उत्पादन में कटौती करने के लिए मजबूर किया है, जिसके परिणामस्वरूप वर्षों से संयंत्र बंद रहने के दिनों की संख्या और उत्पादन में होने वाली क्षति में वृद्धि हुई है।

xviii. कच्चे माल की कमी के कारण संयंत्र बंद होने और रखरखाव के लिए संयंत्र बंद होने को छोड़कर, उत्पादन में आने वाली अन्य सभी रुकावटें पाटन के कारण उत्पन्न हुई प्रतिकूल बाजार स्थितियों के कारण थीं।

xix. पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की उपलब्धता और मजबूत घरेलू मांग के बावजूद, घरेलू उद्योग को केवल पाटित आयातों के कारण उत्पादन रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा।

xx. नॉर्मल ब्यूटानॉल और 2-एथिल हेक्सानॉल, दोनों के लिए एक ही आपूर्तिकर्ता और भंडारण सुविधा से प्राप्त होने वाले एक ही प्रकार के कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। क्षति की

अवधि के दौरान, जब नॉर्मल ब्यूटानॉल का उत्पादन *** दिनों के लिए रोक दिया गया था, तब भी घरेलू उद्योग ने [***] दिनों तक 2-एथिल हेक्सानॉल का उत्पादन किया।

xxi. उत्पादन को 2-एथिल हेक्सानॉल में शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि यह 2023-24 तक लाभप्रद रहा, नॉर्मल ब्यूटानॉल के विपरीत, जिसमें लगातार हानि हो रही थी।

xxii. घरेलू उद्योग प्रोपलीन सिर्फ एचपीसीएल से लेता है। प्रोपलीन का आसानी से व्यापार नहीं किया जा सकता, इसलिए घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन रोकने से एचपीसीएल की बिक्री पर सीधा असर पड़ता है। एचपीसीएल की बिक्री में कुछ हद तक रखरखाव और कुछ हद तक घरेलू उद्योग द्वारा नॉर्मल ब्यूटानॉल और 2-एथिल हेक्सानॉल का उत्पादन कम होने की वजह से गिरावट आई।

xxiii. घरेलू उद्योग के पास काफी प्रोपलीन स्टॉक था, फिर भी उसने नॉर्मल ब्यूटानॉल का उत्पादन न करने का फैसला किया, जबकि 2-एथिल हेक्सानॉल का उत्पादन जारी रखा।

xxiv. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची में तेजी से बढ़ोतरी हुई, जबकि उत्पादन का 90% से ज्यादा बेचा गया और बाजार मांग से कम पर काम किया गया। करीब 100 दिनों तक, मालसूची पांच दिनों की मांग पूरी करने के लिए काफी थी, इसलिए, ज्यादा स्टॉक माल-आपूर्ति अंतराल के कारण नहीं था।

xxv. क्षति की अवधि के दौरान, संबद्ध देशों से आयातों से निरंतर उनके बाजार हिस्से में वृद्धि हुई, जबकि घरेलू उद्योग के हिस्से में गिरावट आई।

xxvi. आधार वर्ष में घरेलू उद्योग लाभप्रद था, लेकिन पाटित आयातों के कारण क्षति अवधि में उसे लगातार हानि हुई। कुछ समय के लिए कच्चे माल की कमी को ध्यान में रखने के बाद भी, हानि जारी रही।

xxvii. घरेलू उद्योग ने मात्रा और कीमत दोनों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की।

xxviii. मूल जांच के बाद से मुख्य कच्चे माल और एनबीए की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है और आयात कीमत भी बढ़ी है।

xxix. इस अनुरोध के संबंध में कि आवेदक निष्पादन में गिरावट उसकी अपनी प्रचालनात्मक अदक्षताओं, कच्चे माल की कथित गैर-मौजूदगी और बार-बार बंदी के कारण है, गलत है, और इसका मुख्य कारण घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम कीमतों पर पाटित आयातों का लगातार मौजूद रहना था।

xxx. घरेलू उद्योग को उत्पाद को परिवर्ती लागत से कम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे वित्तीय हानिया हुईं, और इसलिए कच्चे माल की उपलब्धता के बावजूद कई अवधियों में उत्पादन रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

xxxi. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि नॉर्मल ब्यूटानॉल और 2-एथिल हेक्सेनॉल में एक ही कच्चा माल इस्तेमाल होता है, जिसे एक ही आपूर्तिकर्ता से खरीदा जाता है। क्षति अवधि के दौरान, एनबीए संयंत्र [***] दिनों तक प्रचालन में नहीं था, जबकि 2-ईएच संयंत्र केवल [***] दिनों तक प्रचालन में नहीं था।

xxxii. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि आयात सिर्फ़ मांग-आपूर्ति अंतरालप को पूरा कर रहे थे, तथ्यात्मक रूप से गलत है; मांग और आपूर्ति-अंतराल [***] एमटी तक है। तथापि, जांच की अवधि के दौरान वास्तविक पाटित आयात संबद्ध देशों और नए पाटन करने वाले देशों से [***] एमटी था।

xxxiii. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि 2022-23 में उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आंतरिक प्रचालनात्मक व्यवधानों के कारण है, तथापि, घरेलू उद्योग रखरखाव या कच्ची सामग्री की कमी के कारण उस अवधि से बहुत अधिक दिनों तक बेकार रहा।

xxxiv. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में बंदी और कच्चे माल की कमी के कारण गिरावट आई, भ्रामक है, जबकि कमी का एक हिस्सा एचपीसीएल के रखरखाव बंदी के कारण था, यह गिरावट काफी हद तक घरेलू उद्योग द्वारा एनबीए और 2-एथिल हेक्सानॉल के उत्पादन में कमी की वजह से है।

xxxv. मूल्यह्रास और ब्याज में वृद्धि संबंधी अनुरोध के संबंध में घरेलू उद्योग ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कुछ नए उपकरण संस्थापित कर कुछ पूंजीगत व्यय किया।

xxxvi. इस अनुरोध के संबंध में कि ब्याज लागत में वृद्धि से क्षति हुई, जबकि ब्याज लागतें 2022-23 में बढ़ी और जांच की अवधि में आंशिक रूप से बढ़ी, लाभप्रदता में गिरावट इन लागतों में वृद्धि की अपेक्षा काफी अधिक है।

xxxvii. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग को क्षति अकेले कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता और बैकवर्ड इंटिग्रेशन की कमी के कारण हुए, तथापि, निर्यातकों ने लागत में कमी की अपेक्षा अपनी कीमतें अधिक कम की हैं। घरेलू उद्योग केवल जांच की अवधि में एचपीसीएल से कच्ची सामग्री नहीं ले रहा है बल्कि पिछले वर्षों में भी लेता आया है।

xxxviii. इस अनुरोध के संबंध में कि बीपीसीएल द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, यह अनुरोध किया जाता है कि बीपीसलएल ने 2021-22 में उत्पादन शुरू किया था और घरेलू उद्योग आधार वर्ष में लाभप्रद था। यदि बीपीसीएल द्वारा उत्पादन शुरू करना क्षति का कारण होता, तो घरेलू उद्योग को आधार वर्ष में ही हानियां हुई होती।

xxxix. वार्षिक रिपोर्ट में विवरणों के संबंध में, आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद के निष्पादन में गिरावट का कारण अंतर्राष्ट्रीय ऑक्सो-अल्कोहल की कीमतों में गिरावट को भी बताया है, जिससे पता चलता है कि यह आयात की कीमत है जो कीमतों पर असर डाल रही है।

xl. आईसीआरए रिपोर्टें प्रस्तुत करने के संबंध में, अगस्त 2025 की आईसीआरए रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रचालनात्मक मार्जिन पर असर पड़ा और वित्त वर्ष 2025 तथा वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में वित्त वर्ष 2024 में 10.7% से नकारात्मक स्तरों तक गिरावट आई, जैसा कि सस्ते आयातों के कारण उत्पाद कीमतों कमी से गिरावट आई।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

57. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में *" .....पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों के उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्र् भाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए....."* घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता,

निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।

58. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग को क्षति बाजार संचालित कारकों की तुलना में ब्याज और मूल्यह्रास लागत में असामान्य वृद्धि के कारण हुई है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उसकी विनिर्माण सुविधा 1990 के दशक के अंत में स्थापित की गई थी और आधार वर्ष के दौरान संयंत्र और मशीनरी का काफी हद तक मूल्यह्रास हो चुका था, जिसके परिणामस्वरूप आधार वर्ष में अपेक्षाकृत कम मूल्यह्रास लागत आई थी। घरेलू उद्योग ने 2022-23 में तीन नई मशीनों को जोड़ा है, जिससे मूल्यह्रास और ब्याज लागत में वृद्धि हुई है। यह देखा जाता है कि इस तरह का पूंजीगत व्यय या निवेश परिचालन दक्षता के लिए एक सामान्य व्यावसायिक निर्णय है। यह देखा गया है कि वृद्धि के बाद भी, उत्पाद के लिए जिम्मेदार मूल्यह्रास और ब्याज लागत बिक्री की कुल लागत का 1% से कम है। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को भारी हानियां हुई हैं। जांच की अवधि के दौरान मूल्यह्रास और ब्याज लागत में मामूली वृद्धि के बावजूद, इसी अवधि के दौरान लाभप्रदता में गिरावट इन लागतों में वृद्धि से काफी अधिक है।

59. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग केवल एक आपूर्तिकर्ता पर निर्भर है, जिसने इसके संचालन को प्रभावित किया है, यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग न केवल जांच की अवधि में बल्कि पिछले वर्षों में भी एचपीसीएल से अपने कच्चे माल की खरीद कर रहा था। यदि एक कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता ने घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित किया होता, तो उसे अतीत में भी नुकसान उठाना पड़ता। यह भी देखा जाता है कि अन्य उत्पादक का संयंत्र घरेलू उद्योग के निकटवर्ती परिसर में स्थित है, और इसलिए, कच्चे माल की लागत से घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है।

60. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में, प्रोपलीन की कमी, एकल आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता, अंतर्राष्ट्रीय ऑक्सी-अल्कोहल में गिरावट आदि जैसे कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, यह देखा गया है कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अपने दावों को प्रमाणित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। चीन में एक्स-रे उपकरण पर डब्ल्यूटीओ पैनल रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है, जिसमें पैनल ने माना कि जहां कोई हितबद्ध पक्षकार पाटित आयातों के अलावा किसी अन्य कारक की पहचान करता है जिससे क्षति होती है लेकिन यह साक्ष्य नहीं देता है कि यह कारक घरेलू उद्योग को कैसे क्षति पहुंचा रहा है, जांच प्राधिकारी को उस कारक के संबंध में निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान मामले में, हितबद्ध पक्षकारों ने केवल सामान्य विवरण दिए हैं। तथ्य यह है कि घरेलू उद्योग पूर्व में लाभदायक था और जांच की अवधि में ही क्षति उठा रहा है, यह दर्शाता है कि अन्य कारक क्षति का कारण नहीं हो सकते हैं।

61. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में, बीपीसीएल द्वारा उत्पादन की शुरुआत ने घरेलू प्रतिस्पर्धा को तेज कर दिया है और जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है। यह नोट किया जाता है कि बीपीसीएल ने 2021 में घरेलू समान उत्पाद का उत्पादन शुरू किया था। बीपीसीएल द्वारा उत्पादन शुरू करने के बावजूद घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष में लाभ दर्ज किया। यदि बीपीसीएल द्वारा उत्पादन की शुरुआत क्षति का कारण होती, तो घरेलू उद्योग को बाजार में बीपीसीएल के प्रवेश पर तत्काल हानि होती। यह भी देखा जाता है कि घरेलू उद्योग ने लाभ दर्ज किया जब आयात की पहुंच कीमत बिक्री की लागत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी अधिक रही और जैसे ही पहुंच कीमत लागत और बिक्री कीमत से नीचे गिर गई, आधार में लाभ निवेश पर नकारात्मक आय के साथ नुकसान में बदल गया।

62. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट कच्चे माल की कमी के कारण है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वे भी उसी कच्चे माल का उपयोग करके 2-एथिल हेक्सेनॉल का उत्पादन करते हैं। जांच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग के पास कच्चे माल का

पर्याप्त भंडार था। कच्चे माल की उपलब्धता के बावजूद, घरेलू उद्योग ने नार्मल ब्यूटानॉल का उत्पादन नहीं किया, यहां तक कि जब 2-एथिल हेक्सेनॉल का उत्पादन किया जा रहा था। कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता से प्राप्त पत्र को रिकॉर्ड में रखा गया है, जिससे पता चलता है कि आपूर्तिकर्ता ने अपना उत्पादन जारी रखा और घरेलू उद्योग से बार-बार कच्चे माल को उठाने के लिए कहा, जब घरेलू उद्योग का संयंत्र बंद था। घरेलू उद्योग विशेष रूप से हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) से एक समर्पित पाइपलाइन के माध्यम से प्रोपलीन की खरीद करता है। एचपीसीएल मुख्य रूप से घरेलू उद्योग को प्रोपलीन की आपूर्ति करता है, क्योंकि प्रोपलीन आसानी से व्यापार योग्य वस्तु नहीं है। इसलिए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन में निलंबन या कमी समान रूप से एचपीसीएल के प्रोपलीन की बिक्री को प्रभावित करती है। अत:, जांच की अवधि के दौरान उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट कच्चे माल की कमी के कारण नहीं है, बल्कि कम कीमत वाले संबद्ध आयात के कारण है।

63. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि आईसीआरए रिपोर्ट के अनुसार, कमजोर वैश्विक मांग के बीच उत्पाद की कीमतों में गिरावट के बाद कम स्प्रेड के कारण वित्त वर्ष 2023 में घरेलू उद्योग के परिचालन मार्जिन में गिरावट आई और यह कि मार्जिन कमजोर बने हुए हैं। इन कारकों ने घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। यह यह नोट किया जाता है कि हालांकि रिपोर्टों में उत्पाद की कीमतों और फीडस्टॉक लागत के बीच फैलाव में उतार-चढ़ाव के लिए घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के जोखिम को स्वीकार किया गया है, रिपोर्टों में यह माना गया है कि मार्जिन में गिरावट उत्पाद की कीमतों में गिरावट के साथ हुई। रिपोर्ट में मार्जिन को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में आयात से तीव्र प्रतिस्पर्धा की पहचान की गई है, साथ ही वैश्विक मूल्य अस्थिरता और पश्चगामी एकीकरण की अनुपस्थिति का भी उल्लेख किया गया है। तदनुसार, अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

64. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों और लागू कानूनों को ध्यान में रखते हुए इसका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को यथा-तथ्यत: हल किया गया है।

65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मापदंडों में गिरावट दिखाई दे। कुछ मापदंड गिरावट दिखा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य नहीं दिखा सकते हैं। प्राधिकारी ने सभी क्षति मापदंडों पर विचार किया है और उसके बाद यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहती है या बार-बार होती है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए वस्तुनिष्ठ रूप से क्षति के मापदंडों की जांच की है।

66. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति-तर्कों की भी जांच की है। प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को निम्नलिखित रूप में हल किया है।

छ.3.1 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग/खपत का आकलन

67. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, अन्य उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से नार्मल ब्यूटानॉल के आयात के योग के रूप में निर्धारित किया है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	संबद्ध देशों से आयात	एमटी	**18,250**	**23,256**	**41,656**	**39,334**
2	जांचाधीन नए देशों से आयात	एमटी	2,138	9,363	14,337	25,695

3	अन्य देशों से आयात	एमटी	6,075	0	0	1,674
4	घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	75	82	65
5	अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	एमटी	21,306	26,900	28,400	28,400
6	**कुल मांग**	**एमटी**	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	150	161

68. यह देखा जाता है कि उत्पाद की मांग में क्षति की अवधि में 60% की वृद्धि हुई है। यह देखा जाता है कि घरेलू समान उत्पाद की मांग तेजी से बढ़ी है जब पाटनरोधी उपाय लागू थे।

ख. पूर्ण और सापेक्षिक रूप से आयात

69. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या पूर्ण दृष्टि से या भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में पाटित आयातों में काफी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। सूचना निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
1	संबद्ध देशों से आयात	एमटी	18,250	23,256	41,656	39,334
2	जांचाधीन नए देशों से आयात	एमटी	2,138	9,364	14,337	25,695
3	अन्य देशों से आयात	एमटी	6,075	0	0	1,674
	भारतीय उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
	कुल खपत	एमटी	***	***	***	***
3	निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध देशों से आयात					
क	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127	214	207
ख	भारतीय खपत	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	152	133
क	कुल आयात	%	69%	71%	74%	59%
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	108	86

70. यह देखा जाता है कि:

i. वर्ष 2022-23 में इन देशों से आयात की मात्रा में वृद्धि हुई और वर्ष 2023-24 में इसमें और वृद्धि हुई, लेकिन जांच की अवधि में इसमें मामूली गिरावट आई। कुल मिलाकर, जांच की अवधि में संबद्ध आयात की मात्रा आधार वर्ष की तुलना में दोगुनी हो गई है।

ii. जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात में मामूली गिरावट जांचाधीन नए देशों से आयात में वृद्धि के कारण है।

iii. भारतीय उत्पादन के संबंध में संबद्ध देशों से आयात आधार वर्ष में [***] % से बढ़कर जांच की अवधि में [***] % हो गया है।

iv. भारतीय खपत के संबंध में संबद्ध देशों से आयात आधार वर्ष में [***] % से बढ़कर जांच की अवधि में [***] % हो गया है।

71. इस तर्क के संबंध में कि देश में मांग-आपूर्ति अंतराल के संबंध में संबद्ध देशों से आयात में वृद्धि हुई है, यह देखा जाता है कि जांच की अवधि के दौरान उत्पाद की कुल मांग [***] एमटी थी, जबकि भारतीय उत्पादकों की संयुक्त संस्थापित क्षमता [***] एमटी थी, जिसके परिणामस्वरूप मांग-आपूर्ति अंतराल [***] एमटी था। तथापि, संबद्ध देशों और जांचाधीन नए देशों से आयात की वास्तविक मात्रा [***] एमटी थी, जो माँग-आपूर्ति अंतराल से काफी अधिक है।

छ.3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

72. नियमावली के अनुबंध II (ii) के अनुसार, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे विचार करें कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हुई है या क्या उन आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों का अन्यथा ह्रास करना है या कीमत वृद्धि रोकना है, जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती।

क. कीमत का मूल्यांकन

73. नार्मल ब्यूटानॉल के उत्पादन के लिए आवश्यक प्रमुख कच्चा माल नैफ्था और प्रोपलीन हैं और प्राधिकारी ने क्षति की अवधि में कच्चे माल की लागत और आयात कीमतों की जांच की है। नीचे दी गई तालिका संगत सूचना दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	कच्चे माल की कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	102	106
2	सीआईएफ आयात कीमत	रु./एमटी	1,30,801	94,146	79,050	82,926
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	72	60	63

74. यह देखा जा सकता है कि 2022-23 में कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हुई है, जबकि संबद्ध देशों से आयात कीमत में गिरावट आई है। यद्यपि 2023-24 में कच्चे माल की कीमत में गिरावट आई थी, लेकिन संबद्ध देशों से आयात कीमत में भी गिरावट आई है। जब क्षति की अवधि की अवधि में देखा जाए, तो कच्चे माल की कीमतें 6% या रु. [***] प्रति एमटी टन बढ़ गईं, जबकि संबद्ध देशों से आयात कीमत 37 या रु. [***] में गिरावट आई। इसलिए यह स्पष्ट है कि आयात कीमत कच्चे माल की कीमतों के अनुरूप नहीं बढ़े हैं।

ख. कीमत कटौती

75. जांच की अवधि के लिए आयात की पहुंच कीमत के साथ घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना करके कीमत कटौती निर्धारित की गई है। नीचे दी गई तालिका संबद्ध देशों से कीमत कटौती को दर्शाती है।

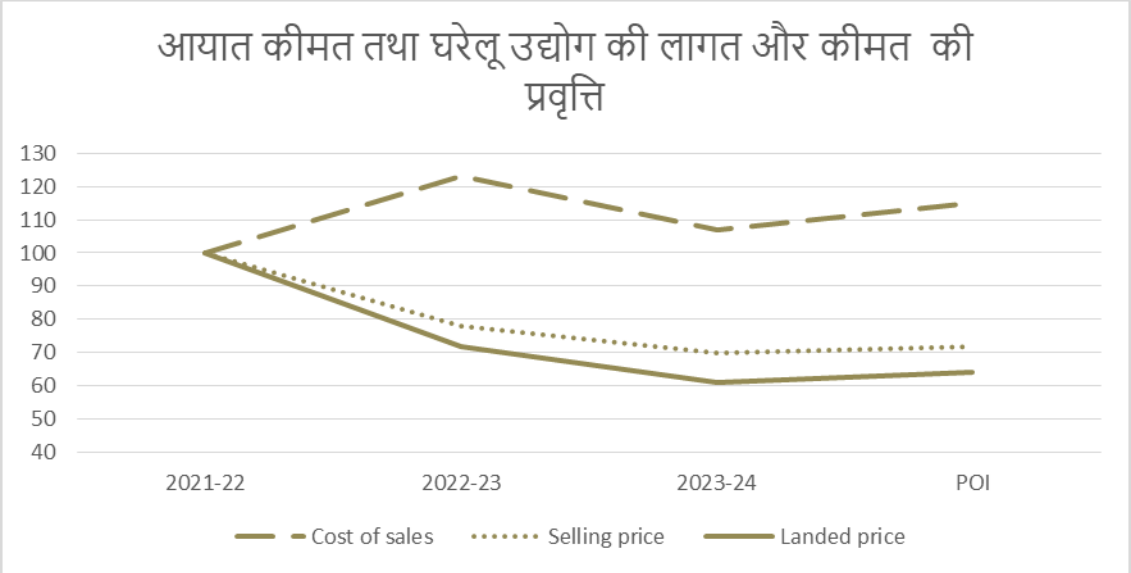
क्र.सं.	संबद्ध देश	निवल बिक्री प्राप्ति	पहुंच कीमत	कीमत कटौती		
		रु./एमटी	रु./एमटी	रु./एमटी	%	रेंज
1	मलेशिया	***	84,965	***	***	0-10%
2	दक्षिण अफ्रीका	***	87,031	***	***	0-10%
3	यूएसए	***	89,484	***	***	0-10%
4	भारित औसत	***	87,102	***	***	0-10%

76. यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक कीमत कटौती हुई है। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाद को हानियों पर बेचने के बावजूद कीमत कटौती सकारात्मक है।

ग. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

77. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का ह्रास कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को काफी मात्रा तक कम करना है या कीमतों में वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य क्रम में हुई होती, क्षति की अवधि में लागत और कीमतों में परिवर्तन की तुलना निम्नानुसार की गई थी:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	107	115
2	बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	78	70	72
3	पहुंच कीमत	रु./एमटी	1,35,421	97,802	82,718	87,102
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	72	61	64



78. यह देखा जाता है कि:

i. 2022-23 में, जहां घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत 23 सूचकांक से बढ़ गई, वहीं इसकी बिक्री कीमत 22 सूचकांक तक घट गई। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग के लाभ में भारी गिरावट आई और हानि में बदल गई।

ii. 2023-24 में, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में गिरावट आई। तथापि, चूंकि बिक्री कीमत में गिरावट बिक्री की लागत के समान अनुपात में नहीं हुई, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कुछ सुधार दिखा, लेकिन घरेलू उद्योग को हानि उठाना जारी रहा।

iii. जांच की अवधि के दौरान, बिक्री की लागत में 9 सूचकांक की वृद्धि हुई, जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में 2 सूचकांक तक गिरावट आई। बिक्री लागत में वृद्धि के अनुरूप बिक्री कीमत में वृद्धि नहीं हुई। परिणामस्वरूप, इसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की हानियां बहुत बढ़ गई।

iv. आयातों की पहुंच कीमत 2021-22 में बिक्री लागत से अधिक थी, परंतु 2022-23, 2023-24 में इसमें भारी गिरावट आई है और जांच की अवधि में मामूली वृद्धि हुई है। आयात की पहुंच 2022-23, 2023-24 और जांच की अवधि में बिक्री लागत से कम है।

v. क्षति की अवधि में, बिक्री लागत में 15% तक वृद्धि हुई, लेकिन बिक्री कीमत में 28% तक गिरावट आई है। अत:, जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत कम हो जाती है।

छ.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

79. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-।। में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी । नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा । घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने अनुरोधों में दिए गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मापदंडों की वस्तुपरक रूप से जांच की है।

क . उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

80. प्राधिकारी ने क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री पर विचार किया है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	संस्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
2	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	72	78	71
3	उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	72	78	71
4	घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	75	82	65

81. यह देखा जाता है:

i. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता स्थिर रही है।

ii. घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में 2022-23 में गिरावट आई। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि यह गिरावट आंशिक रूप से रखरखाव के प्रयोजनों और गैर-संबद्ध देशों से आयात के लिए घरेलू उद्योग संयंत्र के बंद होने के कारण आंशिक रूप से थी।

iii. चूंकि संयंत्र 2023-24 के दौरान संचालित हुआ, इसलिए उत्पादन और क्षमता उपयोग दोनों में वृद्धि हुई। तथापि, जाँच की अवधि के दौरान, उत्पादन के साथ-साथ क्षमता उपयोग में फिर से गिरावट आई। इस गिरावट का आंशिक कारण कुछ अवधि के लिए संयंत्र का बंद होना और पाटित आयातों में वृद्धि थी।

iv. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री ने उत्पादन की समान प्रवृत्ति अपनाई। जांच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग अपने उत्पादन का लगभग 90% बेचने में सक्षम था, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उसे उत्पाद को हानि पर बेचने के लिए मजबूर किया गया था।

82. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि पाटित आयातों के कारण, इसे क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ा। घरेलू उद्योग ने दैनिक उत्पादन रिकॉर्ड प्रदान किया है जो दर्शाता है कि गैर-उत्पादन दिनों की संख्या 2021-22 में [***] दिनों से बढ़कर जांच की अवधि में [***] दिन हो गई है, जिसमें क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन हानि बढ़ गई है।

83. तालिका घरेलू उद्योग द्वारा खोए गए उत्पादन को भी दर्शाती है।

वर्ष	दिनों की संख्या	उत्पादन हानि एमटी में
2021-22	***	***
2022-23	***	***
2023-24	***	***
2024-25	***	***

स्रोत - लिखित अनुरोध

84. घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया कि कच्चे माल की कमी के कारण उत्पादन केवल 9 सितंबर 2024 से 5 अक्टूबर 2024 की अवधि के दौरान और रखरखाव बंदी के कारण केवल 21 जुलाई 2022 से 31 अगस्त 2022 की अवधि के दौरान रुका हुआ था। इन दो सीमित अवधियों के बंद होने को छोड़कर, घरेलू उद्योग के पास कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता थी और उत्पादन करने की प्रचालनात्मक क्षमता थी। इसके बावजूद प्रतिकूल बाजार स्थितियों के कारण शेष अवधि के दौरान उत्पादन में कटौती की गई थी। क्षति की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग ने अपने उत्पादन को [***] दिनों के लिए कम कर दिया।

ख. बाजार हिस्सा

85. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादकों, संबद्ध देशों और अन्य देशों की बाजार हिस्सेदारी पर पाटित आयातों के प्रभाव की निम्नलिखित रूप में जांच की है।

क्र.सं.	बाजार हिस्सा	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	68	55	41
2	अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	89	83
3	संबद्ध देश	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	152	135
4	अन्य देशों से आयात	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	116	206

86. यह देखा जाता है कि:

i. वर्ष 2023-24 तक संबद्ध देशों से आयात की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई और जांच की अवधि में मामूली गिरावट आई। जांच की अवधि में संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी में आंशिक गिरावट ताइवान और सऊदी अरब (जांचाधीन नए देश) से आयात में तेज वृद्धि के कारण है।

ii. क्षति की अवधि के दौरान और जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई।

iii. जांच की अवधि में आधार वर्ष की तुलना में अन्य देशों से आयात की बाजार हिस्सेदारी में काफी वृद्धि हुई है।

iv. समग्र रूप से भारतीय उद्योग की बाज़ार हिस्सेदारी में भी क्षति अवधि के दौरान, आधार वर्ष में [***] से घटकर जांच अवधि में [***] तक की गिरावट आई है।

ग. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

87. लाभप्रदता, लाभ, नकद लाभ, पीबीआईटी और निवेश पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच की गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	लाभ/हानि	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-13	-7	-13
2	लाभ/हानि	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-9	-6	-8
3	नकद लाभ	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-9	-5	-11
4	नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-7	-4	-7
5	पीबीआईटी	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-8	-4	-7
6	आरओआई	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-8	-4	-7

88. यह देखा जाता है कि:

i. घरेलू उद्योग आधार वर्ष में लाभ कमा रहा था। लेकिन 2022-23 में संबद्ध देशों से आयात की पहुंच कीमत में भारी गिरावट के साथ, घरेलू उद्योग का लाभ काफी कम हो गया और हानियों में बदल गया।

ii. घरेलू उद्योग को 2023-24 में भी हानियां हुई, जो जांच की अवधि में बढ़ गई। पाटित आयातों में वृद्धि के साथ, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की हानियां बढ़ गई।

iii. घरेलू उद्योग के प्रति इकाई लाभ आधार वर्ष में रु [***] प्रति एमटी से घटकर जांच की अवधि में रु [***] प्रति एमटी लाभ हानि में बदल गया।

iv. इसी तरह की प्रवृत्ति नकद लाभ और ब्याज पूर्व लाभ में देखी गई है। क्षति की अवधि में नकद लाभ और पीबीटी दोनों में क्रमशः 90% से अधिक की गिरावट आई है और जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को नकद हानि और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय हुई है।

v. चूंकि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से कम कीमत वाले आयात के कारण को हानियां हो रही है, अत: निवेश पर आय तेजी से घट गई, 2022-23 में नकारात्मक हो गई और शेष अवधि के लिए नकारात्मक बनी रही।

घ. मालसूची

89. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	प्रारंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
2	अंतिम माल सूची	एमटी	***	***	***	***

3	औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	139	100	193

90. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में 2022-23 में तेजी से वृद्धि हुई और 2023-24 में गिरावट आई। तथापि, जाँच की अवधि में मालसूची में तेजी से वृद्धि हुई।

91. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की मालसूची का सत्यापन किया और नोट करते हैं कि अपने उत्पादन के [***%] से अधिक बेचने के बावजूद, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की अंतिम मालसूची वास्तविक रूप से अधिक है।

92. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वह दैनिक औसत खपत से काफी अधिक मालसूची स्तरों के साथ काम कर रहा था जिसे बाजार आसानी ले सकता है। जांच की अवधि के दौरान ही, घरेलू उद्योग ने लगभग [***] दिनों तक मालसूची रखी थी जिसमें मालसूची स्तर [***] एमटी से अधिक था जो 5 दिनों की औसत मांग को पूरा कर सकता था। घरेलू उद्योग की क्षमता मांग से कम है और ऐसी स्थिति में जहां मांग क्षमता से अधिक है, तो उत्पादक के पास उच्च मालसूची के साथ काम करने का कोई कारण नहीं है। बाजार आसानी से उस सीमा को आसानी से ले सकता है, जिस सीमा तक घरेलू उद्योग दैनिक आधार पर उत्पादन कर रहा है।

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

93. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	105	101
2	वेतन और मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	80	72	91
3	प्रति दिन उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	72	78	71
4	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	73	74	71

94. यह नोट जाता है कि कर्मचारियों की संख्या, प्रति दिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में 2022-23 में गिरावट आई और 2023-24 में वृद्धि हुई, लेकिन जांच की अवधि में फिर से गिरावट आई। 2023-24 तक वेतन और मजदूरी में गिरावट आई, लेकिन जांच की अवधि में फिर से वृद्धि हुई।

च. वृद्धि

95. क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री की मात्रा, पीबीटी, पीबीआईटी, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि नीचे दी गई तालिका के अनुसार है:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24
1	उत्पादन	वाई/वाई	-28%	8%	-8%
2	क्षमता उपयोग	वाई/वाई	-20.73%	4.06%	-4.49%
3	घरेलू बिक्री	वाई/वाई	-25%	10%	-21%
4	मालसूची	वाई/वाई	39%	-28%	92%
5	प्रति इकाई लाभ	वाई/वाई	-113%	47%	-94%

6	लाभ लाख रु. में	वाई/वाई	-109%	41%	-54%
7	नकद लाभ लाख रु. में	वाई/वाई	-107%	34%	-65%
8	आरओसीई	वाई/वाई	-61%	2%	-1%

96. यह देखा जाता है कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में सभी कीमत और मात्रा मापदंडों में नकारात्मक रही है।

छ. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

97. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को वित्तीय हानियां और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय हो रही हैं। देश में मांग-आपूर्ति का अंतराल है, तथापि, वर्तमान निष्पादन नए निवेश को सही नहीं ठहराता है। अत:, पूंजी जुटाने की क्षमता पर गंभीर प्रभाव पड़ा है, जो घरेलू उद्योग उसकी क्षमता बढ़ाने से रोक रहा है।

ज. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

98. डीजी सिस्टम आयात आंकड़ों की जांच से पता चलता है कि संबद्ध देशों से पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत से कम है और उत्पाद को हानियों पर बेचने के लिए मजबूर कर रही है। घरेलू उद्योग बिक्री की लागत में बदलाव के अनुरूप अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने में असमर्थ रहा है। फलस्वरूप, घरेलू उद्योग को 2022-23, 2023-24 और जांच की अवधि में निवेश पर नकारात्मक आय के साथ हानियां उठाता रहा। संबद्ध देशों से कम कीमत वाले आयात के कारण आयात का काफी कीमत प्रभाव है। अत: प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतें प्रभावित हुई हैं।

झ. पाटन की मात्रा

99. यह देखा जाता है कि बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन बीएचडी (बीएएसएफ) को छोड़कर संबद्ध देशों से भारत में वि संबद्ध सामानों का निरंतर पाटन हो रहा है।

ज. <u>क्षति के जारी रहने और बार-बार होने की संभावना</u>

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

100. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि मलेशिया में पेट्रोनास समूह किसी भी क्षमता विस्तार की योजना बना रहा है, या यह लागत से कम बेचता है, शुल्क को लेता है, या बाजार के दबावों का सामना करता है जो भारत को निर्यात को मोड़ देगा। पाटन और क्षति के जारी रहने/बार-बार होने की कोई संभावना नहीं है।

ii. मलेशिया से आयात की मात्रा क्षति की अवधि के दौरान स्थिर रही है और जांच की अवधि में लगभग उसी स्तर पर है जैसे आधार वर्ष में, कोई वृद्धि या असामान्य वृद्धि नहीं हुई है।

iii. भारत में आयातों में समग्र वृद्धि संरचनात्मक मांग-आपूर्ति अंतराल से स्पष्ट की गई है, क्योंकि घरेलू क्षमता कुल मांग के केवल एक अंश को पूरा करती है, और संयंत्र की बंदी तथा फीडस्टॉक की कमी के कारण घरेलू उद्योग के सामने आने वाले अस्थायी उत्पादन व्यवधान से पूरी करती है।

iv. भारत में निर्यात को पाटित कीमतों पर भेजने के लिए उच्च क्षमता उपयोग, अतिरिक्त क्षमता की कमी, तीसरे देश के बाजारों में उच्च लाभप्रदता और कुल बिक्री में भारत का आंशिक हिस्से को देखते हुए कोई प्रोत्साहन नहीं है।

v. अत: भारतीय बाजार बीएएसएफ की वैश्विक बिक्री रणनीति में एक सीमांत भूमिका निभाता है। बीएएसएफ समूह का एनबीए का उत्पादन काफी हद तक कैप्टिव खपत के माध्यम से लिया

जाता है, और कई तीसरे देश के बाजारों में निर्यात किया जाता है, इसलिए भारत जैसे किसी विशिष्ट बाजार को पाटित निर्यातों के साथ लक्षित करने की कोई आर्थिक बाध्यता नहीं है।

vi. बीएसएफ की निर्यात संरचना इस स्थिति की पुष्टि करती है। विचाराधीन उत्पाद की कुल बिक्री का केवल लगभग [***] एमटी भारत को निर्यात किया जाता है। इसके विपरीत, [***] बिक्री का एमटी अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। यह विविधीकृत बिक्री पोर्टफोलियो दर्शाता है कि बीएएसएफ उत्पादन स्तर या वित्तीय व्यवहार्यता बनाए रखने के लिए भारतीय बाजार पर निर्भर नहीं है।

vii. बीएएसएफ समूह कई अन्य बाजारों में लाभदायक कीमतों पर निर्यात करना जारी रखता है। अन्य बाजारों में व्यापार प्रतिबंधों का कोई साक्ष्य नहीं है जो निर्यात को भारत की ओर पुन: भेजने के लिए मजबूर करेगा।

viii. मलेशिया से पाटन जारी रहने या दोबारा होने की कोई संभावना नहीं है और मलेशिया से आयात के कारण घरेलू उद्योग को बार-बार क्षति होने की कोई संभावना नहीं है। मलेशिया से आयात मात्रा और मूल्य में स्थिर रहे हैं, उचित मूल्य पर हैं, और अतिरिक्त क्षमता या निर्यात संकट से संचालित नहीं हैं।

ज.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

101. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. शुल्कों के बावजूद, संबद्ध देशों से आयात में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई।

ii. संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास उनकी घरेलू मांग से कहीं अधिक पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता है।

iii. संबद्ध देशों के उत्पादकों का निर्यातोन्मुख अनुपात उच्च है, विशेष रूप से मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका के लिए।

iv. अमेरिकी एनबीए उत्पादन क्षमता घरेलू मांग की तुलना में काफी अधिक बनी हुई है, जिसमें संयंत्र कम उपयोग के स्तर पर काम कर रहे हैं।

v. टेक्सास में फॉर्मोसा प्लास्टिक्स द्वारा एक नए 250,000 टन प्रोपलीन संयंत्र के चालू होने से, फीडस्टॉक की उपलब्धता में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे एनबीए का उत्पादन बढ़ेगा और सामान भारतीय बाजार में आएगा।

vi. अमेरिका और मलेशिया में नॉर्मल ब्यूटानॉल उत्पादक वर्तमान में कमजोर घरेलू मांग, अतिरिक्त आपूर्ति, कम क्षमता उपयोग और अधिशेष उत्पादन का सामना कर रहे हैं। लगातार शुल्क के कारण चीनी बाजार बंद रहने से, यूएसए और मलेशिया के निर्यातक अधिशेष उत्पादन का निपटान करने के लिए वैकल्पिक विदेशी बाजारों की तलाश करने के लिए मजबूर हैं।

vii. संबद्ध देशों के उत्पादक अपने उत्पादों का एक बड़ा हिस्सा तीसरे देशों को पाटित कीमतों पर निर्यात कर रहे हैं।

viii. इन तीसरे देश के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा भारतीय बाजार कीमतों से कम कीमत पर है, जो दर्शाता है कि भारत एक उच्च कीमत वाला और आकर्षक बाजार बना हुआ है।

ix. भारतीय बाजार भारत में पाटन के उसके इतिहास के कारण, प्रशुल्क एवं अधिशेष उत्पादन क्षमता के कारण चीन से निर्यात भेजने के कारण संबद्ध देशों के लिए अत्यधिक आकर्षक है।

x. पुराने कीमत स्तरों पर आधारित मौजूदा शुल्क अब पाटन के क्षतिकारक प्रभावों की भरपाई करने के लिए अपर्याप्त हैं। पाटनरोधी शुल्कों में वृद्धि की आवश्यकता उचित और आवश्यक है।

xi. जांच की अवधि के बाद, संबद्ध आयात की पहुंच कीमतें और गिर गईं। पहुंच कीमत बिक्री की लागत से अधिक गिर गई हैं।

xii. पाटित आयातों ने आवेदक की कीमतों को कम करना जारी रखा, जिससे आवेदक को लागत से नीचे उत्पाद बेचना पड़ा। परिणामस्वरूप, जांच की अवधि के बाद हानियां बढ़ गईं।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

102. प्राधिकारी ने धारा 9क(5), नियम 23 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध -II(vii) के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मापदंडों तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड में लाए गए अन्य संगत कारकों के तहत निर्धारित अपेक्षा पर विचार करते हुए, क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना की जांच की है।

103. वर्तमान जांच मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर लगाए गए शुल्कों की निर्णायक समीक्षा है। नियमावली के तहत, प्राधिकारी को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या मौजूदा शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग में पाटन और क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।

104. इस तरह के संभावना विश्लेषण करने के लिए कोई विशिष्ट पद्धति उपलब्ध नहीं है। तथापि, नियमावली के अनुबंध II की धारा (vii) में अन्य बातों के अलावा उन कारकों के लिए प्रावधान है जिन्हें ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है, अर्थात

क. भारत में पाटित आयातों की वृद्धि की एक महत्वपूर्ण दर आयात में काफी वृद्धि की संभावना को दर्शाती है।

ख. किसी भी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में काफी बढ़े हुए पाटित निर्यातों की संभावना दर्शाने वाले निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त स्वतंत्र निपटान योग्य या आसन्न पर्याप्त वृद्धि।

ग. क्या आयात ऐसी कीमतों पर आ रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर काफी ह्रासमान अथवा न्यूनीकरण प्रभाव पड़ेगा और अधिक आयातों के लिए संभावित रूप से मांग बढ़ाएंगे; और

घ. वस्तु की मालसूची की जांच की जा रही है।

105. प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करने के लिए उपर्युक्त अपेक्षाओं और अनुवर्ती मापदंडों पर विचार किया कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने की स्थिति में पाटन की संभावना है, और यदि हां, तो क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड में लाई गई सभी संगत सूचना की जांच की है।

क. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का निरंतर पाटन

106. मूल, पहली निर्णायक और वर्तमान जांच में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

क्र.सं.	संबद्ध देश	मूल जांच	प्रथम एसएसआर जांच	वर्तमान जांच
1	पेट्रोनास केमिकल्स डेरिवेटिव्स एसडीएन बीएचडी ("पीसीडी")	10-15	30-40	0-10
2	बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एस डीएन. बीएचडी. (बीएएसएफ)	0-5	0- 10	(0-10)
3	कोई अन्य	15-20	30-40	10-20

3	दक्षिण अफ्रीका	10-15	30-40	20-30
4	यूएसए	20-25	30-40	20-30

107. यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से पाटन जारी रहा है। निरंतर पाटन से पता चलता है कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में निरंतर और बढ़े हुए पाटन की संभावना है क्योंकि पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी बना हुआ है।

ख. संबद्ध सामानों के आयात में वृद्धि

108. क्षति की अवधि में आयात की मात्रा नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	संबद्ध देशों से आयात	एमटी	18,250	23,256	41,656	39,334

109. यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से आयात 2022-23 में वृद्धि हुई और 2023-24 में तेजी से बढ़ गया, लेकिन जांच की अवधि में मामूली गिरावट आई। जांच की अवधि में गिरावट ताइवान और सऊदी अरब से आयात में तीव्र वृद्धि के कारण हुई है। गिरावट के बावजूद, जांच की अवधि में आयात की मात्रा आधार वर्ष की तुलना में दोगुनी थी। पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद पाटित आयातों में वृद्धि उपायों की समाप्ति की स्थिति में आयात में और वृद्धि की संभावना को दर्शाती है।

ग. आयात का संभावित ह्रासमान/न्यूनीकरण प्रभाव

110. नीचे दी गई तालिका घरेलू उद्योग की आयात कीमत और बिक्री की लागत के बीच तुलना दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	107	115
2	पहुंच कीमत	रु./एमटी	1,35,421	97,802	82,718	87,102
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	81	74	81
3	अंतर	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-17	-20	-25

111. यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत 2021-22 को छोड़कर क्षति की अवधि के दौरान पहुंच कीमत से लगातार अधिक रही है। आयात भारतीय बाजार में उस कीमत पर प्रवेश कर रहे हैं जो घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। जब आयात की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम होती है, तो यह स्पष्ट है कि उनका घरेलू उद्योग की कीमतों पर ह्रासमान अथवा न्यूनीकरण प्रभाव पड़ने की संभावना है।

घ. अन्य देशों द्वारा संबद्ध देशों पर लगाया गया शुल्क

112. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि चीन जनवादी गणराज्य के वाणिज्य मंत्रालय (एमओएफसीओएम) ने दिसंबर 2018 में ताइवान, मलेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के एन-ब्यूटानॉल के आयातों पर यह निष्कर्ष निकालने के बाद पाटनरोधी शुल्क लगाया कि इस तरह के आयातों से चीन में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई थी। शुल्क पांच साल की अवधि के लिए लगाए गए थे और 2023 में आगे बढ़ाए गए थे, जिनकी दरें ताइवान के लिए 6.0% से 56.1% और मलेशिया के लिए 12.7% से 26% और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए 52% से 139% तक थीं। यह देखा जाता है कि एमओएफसीओएम द्वारा लगाए गए शुल्कों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मलेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्पादक भी अन्य बाजारों में संबद्ध उत्पाद को पाटित करने में लगे हुए हैं।

ड. भारत संबद्ध देशों के लिए आकर्षक बाजार है

113. नीचे दी गई तालिका में उत्तरदाता उत्पादकों द्वारा संबद्ध देशों से तीसरे देशों को किए गए निर्यात और आकर्षक कीमतों पर निर्यात की मात्रा (भारत को कीमत से कम पर निर्यात) दर्शाई गई है।

क्र. सं.	संबद्ध देश	कुल निर्यात एमटी में	आकर्षक निर्यात एमटी में	आकर्षक निर्यात का हिस्सा
1	पेट्रोनास केमिकल्स डेरिवेटिव्स एसडीएन बीएचडी ("पीसीडी")	***	***	38%
2	बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन. बीएचडी, मलेशिया	***	***	34%
3	यूएसए	31,721	17,244	54%
4	दक्षिण अफ्रीका	1,24,865	82,950	66%
	कुल	2,19,666	1,23,660	56%

स्रोत: मलेशिया, यूएसए और दक्षिण अफ्रीका के लिए निर्यात आवेदक द्वारा दिए गए ट्रेडमैप डेटा के रूप में हैं।

114. यह देखा जाता है कि

i. बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन बीएचडी, मलेशिया के मामले में निर्यात का 34% आकर्षक कीमतों पर हैं

ii. पेट्रोनास केमिकल मार्केटिंग (लाबुआन) लिमिटेड, मलेशिया के मामले में, 38% निर्यात आकर्षक कीमतों पर हैं

iii. दक्षिण अफ्रीका के मामले में, 66% निर्यात आकर्षक कीमतों पर हैं।

iv. संयुक्त राज्य अमेरिका के मामले में, 54% निर्यात आकर्षक कीमतों पर हैं।

च. तीसरे देश को क्षतिकारक निर्यात

115. नीचे दी गई तालिका में संबद्ध देशों के उत्तरदाता उत्पादकों द्वारा तीसरे देशों को किए गए निर्यात और क्षतिकारी कीमतों पर निर्यातों की मात्रा (क्षतिरहित कीमत से कम निर्यात) दर्शाए गए हैं।

क्र.सं.	संबद्ध देश	कुल निर्यात एमटी में	क्षतिकारक निर्यात एमटी में	क्षतिकारक निर्यात का हिस्सा
1	पेट्रोनास केमिकल्स डेरिवेटिव्स एसडीएन बीएचडी ("पीसीडी")	***	***	75%
2	बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन. बीएचडी, मलेशिया	***	***	49%
3	यूएसए	31,721	13,747	43%
4	दक्षिण अफ्रीका	1,24,865	69,670	56%

116. यह देखा जाता है कि

i. बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन बीएचडी, मलेशिया के मामले में 49% निर्यात क्षतिकारक कीमतों पर हुए

ii. पेट्रोनास केमिकल मार्केटिंग (लाबुआन) लिमिटेड, मलेशिया के मामले में 75% निर्यात क्षतिकारक कीमतों पर हैं।

iv. यूएसए के मामले में, 43% निर्यात क्षतिकारक कीमतों पर हैं।

v. दक्षिण अफ्रीका के मामले में, 56% निर्यात क्षतिकारक कीमतों पर हैं।

झ. <u>कारणात्मक संपर्क और गैर-आरोपण विश्लेषण</u>

117. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी को, अन्य बातों के अलावा, पाटित आयातों को छोड़कर अन्य ज्ञात कारकों की जांच करने की आवश्यकता है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं या क्षति पहुंचाने की संभावना है, ताकि इन अन्य कारकों के कारण होने वाली क्षति को पाटित आयातों के कारण जिम्मेदार न ठहराया जा सके। यद्यपि वर्तमान जांच निर्णायक समीक्षा जांच है और मूल जांच में कारणात्मक संपर्क की पहले ही जांच की जा चुकी है, प्राधिकारी ने जांच की कि क्या अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है या ऐसा होने की संभावना है। यह जांच की गई कि क्या नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान दिया होगा या योगदान देने की संभावना है।

क. <u>तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत</u>

118. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयात के अलावा, ताइवान और सऊदी अरब से न्यूनतम स्तर से ऊपर आयात थे। इन आयातों को भी प्रथम दृष्टया पाटित और क्षतिकारक कीमतों पर पाया गया है। इन आयातों की भी जांच की जा रही है।

ख. <u>मांग में संकुचन</u>

119. यह देखा जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग क्षति की अवधि में बढ़ गई है। जांच से पता नहीं चला है कि मांग में गिरावट की संभावना है।

ग. <u>व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां</u>

120. यह देखा जाता है कि कोई भी व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को हानि हुई हो या होने की संभावना हो।

घ. <u>प्रौद्योगिकी का विकास</u>

121. यह नोट किया जाता है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सूचना से पता चलता है कि उत्पाद के उत्पादन की तकनीक में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

ड. <u>निर्यात निष्पादन</u>

122. घरेलू उद्योग ने उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात नहीं किया है।

च. <u>कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन</u>

123. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध सामानों के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है।

124. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य ज्ञात कारक जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते हैं, उनकी ऊपर दिए गए गैर-आरोपण विश्लेषण में विधिवत जांच की गई है और ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इससे घरेलू उद्योग को कोई क्षति हुई है। निम्नलिखित कारक सिद्ध करते हैं कि पाटन के कारण क्षति हुई है।

क. बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन बीएचडी. को छोड़कर संबद्ध देशों के सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक है।

ख. आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम है।

ग. यद्यपि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत बढ़ी है, तथापि आयात कीमत में गिरावट आई है। चूंकि आयात की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है, इसलिए उन्होंने घरेलू उद्योग को लागत में बदलाव के अनुरूप अपनी कीमतें बढ़ाने से रोक दिया है।

घ. कम कीमत वाले आयात के परिणामस्वरूप, जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के प्रति इकाई लाभ में काफी गिरावट आई है।

ड. संबद्ध देशों से आयात में वृद्धि हुई। चूंकि आयात की कीमत घरेलू उद्योग की लागत और कीमत से कम है, इसलिए घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है और पाटित आयातों का बाजार हिस्सा बढ़ा है।

च. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्सेदारी में गिरावट के साथ, घरेलू बिक्री और उत्पादन में भी गिरावट आई है।

ञ. <u>क्षति मार्जिन की मात्रा</u>

125. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देशों से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए क्षतिरहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए, क्षति की अवधि में कच्चे माल और यूटिलिटियों के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति अवधि में उत्पादन क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग करने पर विचार किया गया है। असाधारण या गैर-आवर्ती खर्चों को उत्पादन की लागत से बाहर रखा गया है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित किए गए अनुसार क्षतिरहित कीमत निकालने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (यानी, औसत निवल अचल परिसंपत्ति और औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित आय (पूर्व-कर @ 22%) की अनुमति दी गई थी।

126. विचारधीन उत्पाद के लिए ऊपर निर्धारित पहुंच कीमत और क्षति रहित कीमत की तुलना की गई है। उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	**विवरण**	**एनआईपी**	**पहुंच कीमत**	**क्षति मार्जिन**	**क्षति मार्जिन %**	**क्षति मार्जिन %**
		(यूएसडॉ./एमटी)	**(यूएसडॉ./एमटी)**	**(यूएसडॉ./एमटी)**	**%**	**रेंज**
क	**मलेशिया**					
1	बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन. बीएचडी.	***	***	***	***	10-20
2	पेट्रोनास केमिकल मार्केटिंग (लाबुआन) लिमिटेड	***	***	***	***	10-20

3	कोई अन्य	***	***	***	***	20-30
ख	दक्षिण अफ्रीका	***	***	***	***	0-10
ग	यूएसए	***	***	***	***	0-10

ट. <u>भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे</u>

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

127. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य से पता चलता है कि प्रतिभागी प्रयोक्ताओं के प्रचालन मार्जिन अत्यधिक कम हैं। जहां तक कि इनपुट लागतों में आंशिक वृद्धि का अर्थक्षमता पर गैर-आनुपातिक प्रभाव है।

ii. मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के फलस्वरूप लागत में 0.5% से 7% तक की रेंज में वृद्धि होती है। यह लागत वृद्धि निचले स्तर की लाभप्रदता से अधिक है और गहन बाजार प्रतिस्पर्धा के कारण आगे नहीं लगाई जा सकती।

iii. शुल्कों को जारी रखने से निचल स्तर के उद्योगों को गंभीर आर्थिक नुकसान होगा, जिसमें संयंत्र बंद होने, नौकरी छूटने, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी और तैयार माल के आयात द्वारा घरेलू विनिर्माण के प्रतिस्थापन का जोखिम शामिल है।

iv. भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद के संबंध में भारी मांग-आपूर्ति अंतराल है।

v. विचाराधीन उत्पाद की कुल घरेलू मांग में क्षति की अवधि के दौरान तेजी से वृद्धि हुई।

vi. घरेलू उत्पादक ने खुलासा किया है कि ऑक्सी रसायन की उसकी स्थापित क्षमता लगभग 80,000 एमटी है, जबकि कुल भारतीय मांग लगभग 3,30,000 एमटी है। इस प्रकार, घरेलू क्षमता विचाराधीन उत्पाद की कुल भारतीय मांग का केवल एक चौथाई भाग ही पूरा करती है।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

128. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. उत्पाद का उपयोग मुख्य रूप से प्लास्टिसाइज़र और पेंट उद्योग में किया जाता है, अंतिम उत्पाद पर प्रस्तावित उपायों का प्रभाव लगभग 1% है।

ii. उत्पाद अतीत में पाटनरोधी शुल्क उपायों के अधीन रहा है, और निचले स्तर के उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क का कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

iii. पाटनरोधी शुल्क 8-9 वर्षों से लागू है लेकिन मांग में लगातार वृद्धि का रुझान दिखाई दे रहा है।

iv. जब संबद्ध देशों से आयात की पहुंच कीमत उच्च स्तर पर बनी रही, तो कुल मांग बढ़ गई। निचले स्तर का उद्योग समग्र मांग वृद्धि पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के बिना उच्च इनपुट लागत को खपाने में सक्षम था।

v. संबद्ध देशों में उत्पादक केवल लाभ पर ध्यान केंद्रित करते हैं और भारतीय बाजार के दीर्घकालिक विकास में उनकी कोई रुचि नहीं है। यदि कहीं और बेहतर कीमतें उपलब्ध हों तो वे बिक्री को मोड़ देंगे। इसके विपरीत, भारतीय उद्योग, घरेलू होने के नाते, भारतीय उपभोक्ताओं के हितों पर विचार करता है।

vi. आवेदक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,68,64,978 रुपये का सीएसआर व्यय आवंटित किया है। संपूर्ण सीएसआर राशि गैर-लाभकारी अस्पताल को वितरित की गई।

vii. यह आरोप कि संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से निचले स्तर के उद्योगों पर लागत बढ़ जाएगी, तथ्यात्मक रूप से गलत है। पाटनरोधी शुल्क जारी रखने का नगण्य प्रभाव होगा।

viii. यहां तक कि प्रयोक्ता अनुरोधों में स्वीकार किया गया है कि आयात के स्रोत के आधार पर शुल्क प्रभाव 0.5% और 7% के बीच अलग-अलग होता है। तथापि, यह देखते हुए कि उच्चतम शुल्क मलेशिया पर लागू होता है, वास्तविक प्रभाव 1% से कम है।

ix. यह आरोप कि शुल्क के परिणामस्वरूप संयंत्र बंद हो जाएंगे, नौकरी में कमी आएगी, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता कम होगी और तैयार माल के आयात द्वारा घरेलू विनिर्माण का प्रतिस्थापन होगा, केवल एक बयान है और बिना कोई साक्ष्य के कहा गया है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

129. यह जांच की गई कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखने की सिफारिश सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगी। यह निर्धारण घरेलू उद्योग, विदेशी उत्पादकों और उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के रिकॉर्ड और हितों की सूचना पर विचार करने पर आधारित है।

130. पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य, सामान्य रूप में पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों से आवेदक को होने वाली क्षति समाप्त करना है, ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुन: स्थापित की जा सके, जो कि देश के सामान्य हित में है। यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क जारी रखने से विचाराधीन उत्पाद तथा भारत में संबद्ध सामानों का प्रयोग कर विनिर्मित अन्य निचले स्तर के उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपाय लगाने से कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय जारी रखने से घरेलू उद्योग के निष्पादन मापदंडों में गिरावट दिखेगी, जिससे संबद्ध देशों से कम कीमत वाले आयातों के परिणामस्वरूप होगी और उपभोक्ताओं को विचाराधीन उत्पाद के विकल्पों की व्यापक उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

131. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयात प्रतिबंधित नहीं होता है। आयात उचित कीमतों पर होता रहेगा। पाटनरोधी शुल्क यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं और विदेशी निर्यातकों और घरेलू उद्योग के बीच एक उचित व्यापारिक क्षेत्र बनाए रखा गया है।

132. प्राधिकारी ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी जिसे इस जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजा गया था। घरेलू उद्योग, बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड, केएलजे पेट्रोप्लास्ट लिमिटेड, केएलजे रिसोर्सेज लिमिटेड और पायल पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड ने आर्थिक हित प्रश्नावली दायर की है।

133. जांच की अवधि में संबद्ध देशों से आयात की पहुंच कीमत और लागू पाटनरोधी शुल्क नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है। यह देखा जाता है कि पाटनरोधी शुल्क पहुंच कीमत का केवल 1-3% है।

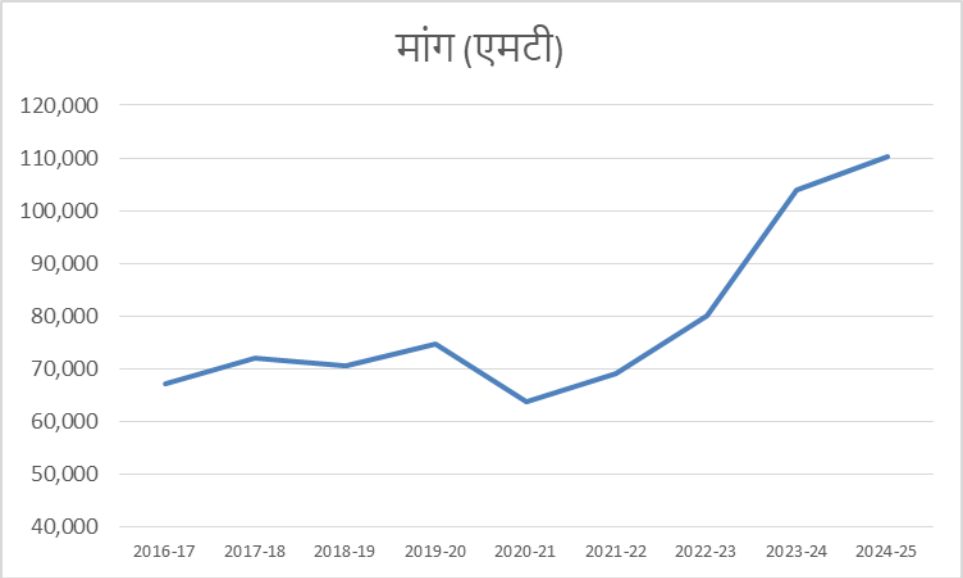
वर्तमान शुल्क

देश	एडीडी डॉ./एमटी	एडीडी रु./एमटी	पहुंच रु./एमटी	पहुंच के % के रूप में एडीडी
मलेशिया	26	2,262	85,033	3%
दक्षिण अफ्रीका	13	1,131	79,471	1%
यूएसए	24	2,063	89,589	2%

134. यद्यपि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क जारी रखने से निचले स्तर के उद्योगों के लिए 1% से 7% तक निष्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। तथापि, यह देखा जाता है कि जब लागू

पाटनरोधी शुल्क पहुंच कीमत से केवल 3% से कम है, तो पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव 7% जितना अधिक नहीं हो सकता है।

135. विचाराधीन उत्पाद की ऐतिहासिक मांग नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है। यह देखा जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग लगातार बढ़ी है, जबकि 2020-21 की अवधि में गिरावट आई थी, जो कोविड की अवधि थी, जहां अर्थव्यवस्था कोविड के प्रकोप से प्रभावित हुई थी। इसके बाद मांग बढ़ी। यह देखा जाता है कि 2021-22 में मांग बढ़ी। यह देखा जाता है कि पाटनरोधी शुल्क होने के बावजूद, उत्पाद की मांग में वृद्धि जारी रही। जब पाटनरोधी शुल्क लागू होता है तो मांग में वृद्धि से पता चलता है कि शुल्कों ने निचले स्तर के उद्योग के संचालन को प्रभावित नहीं किया।



136. यह देखा गया है कि निचले स्तर के उद्योगों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने का प्रभाव नगण्य है।

137. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता ने एक अन्य घरेलू उत्पादक को भारत में नार्मल ब्यूटानॉल के लिए उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। 2021 में, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने 38,000 एमटी की स्थापित क्षमता के साथ अन्य ऑक्सो-एल्कोहल के साथ नॉर्मल ब्यूटानॉल का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। जांच के बाद की अवधि में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 90,000 एमटी की स्थापित क्षमता के साथ नॉर्मल ब्यूटानॉल के लिए एक संयंत्र चालू किया। यह यह नोट किया जाता है कि क्षमता का एक हिस्सा कैप्टिव खपत के लिए है, उत्पाद की घरेलू बाजार में भी आपूर्ति की जाती है। घरेलू उद्योग, बीपीसीएल और आईओसीएल की संयुक्त क्षमता देश में 80% से अधिक की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

ठ. <u>प्रकटन पश्चात टिप्पणियां</u>

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर टिप्पणियां

138. प्रकटन विवरण पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियाँ दायर की गई हैं:

i. प्राधिकारी यह दर्शाने में विफल रहे हैं कि वर्तमान जांच 10 साल की अवधि से आगे पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक 'विशेष मामला' होने के योग्य है।

ii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 (1ख) और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.3 के तहत, पाटनरोधी शुल्क 5 साल बाद समाप्त हो जाते हैं जब तक कि उचित रूप से शुरू की गई समीक्षा उनके जारी रहने को सही नहीं ठहराती है।

iii. चूंकि घरेलू उद्योग की संरचना समय के साथ नए उत्पादक के प्रवेश या बाजार हिस्सेदारी में बदलाव से बदल सकती है, इसलिए निर्णायक समीक्षा में घरेलू उद्योग की पात्रता/आधार स्वत: मूल जांच के समान नहीं होती है।

iv. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.3 और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 में यह अपेक्षित है कि "घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर" निर्णायक समीक्षा शुरू की जाए और इसीलिए यह पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता कि कौन घरेलू उद्योग है और समीक्षा के लिए समर्थन का स्तर क्या है।

v. एपीएल की हिस्सेदारी केवल 35% है और ऐसी हिस्सेदारी एक कम अनुपात है और घरेलू उत्पादन के "प्रमुख अनुपात" नहीं दर्शाता है। तदनुसार, एपीसीएल को वर्तमान जांच के प्रयोजनों के लिए घरेलू उद्योग के रूप में पात्र नहीं माना जा सकता है।

vi. यह निष्कर्ष कि बीपीसीएल के 2021 में उत्पादन शुरू होने से कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग ने 2021-22 में लाभ सूचित किया है, मनमाना है और गैर-आरोपण विश्लेषण की आवश्यकता को अनदेखा करता है।

vii. इस संबंध में माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उपयोग किए गए आंकड़ों से वास्तव में पता चलता है कि तथाकथित पाटित आयातों की की दर में कमी आई है।

viii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में "अधिशेष क्षमताओं" की मौजूदगी की जांच नहीं की है।

ix. बाजार की स्थितियों और घरेलू आपूर्ति की उपलब्धता के उत्तर में मलेशिया से आयात में उतार-चढ़ाव आया। जांच की अवधि में गिरावट के साथ निरंतर बढ़ते रुझान का अभाव यह पुष्टि करता है कि मलेशिया से पूर्ण आयात मात्रा में काफी वृद्धि नहीं है।

x. पहुंच कीमत की प्रतिशतता के रूप में केवल शुल्क दर की जांच करना निचले स्तर के उद्योगों पर प्रभाव का उचित उपाय नहीं है।

xi. ब्याज लागत में 2021-22 में 100 के सूचीबद्ध स्तर से जांच की अवधि में 169 तक वृद्धि हुई है। उच्चतर वित्तीय लागतें निवल लाभप्रदता को और भी प्रभावित करती हैं और आयातों से अलग हैं।

xii. भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिशीलता से संचालित होती है। अत:, यह दावा कि घरेलू उद्योग की कीमतें पाटन से प्रभावित होती हैं, निराधार है।

xiii. मूल रूप से शुल्क लगाए जाने से बाजार में आपूर्ति श्रृंखला ढांचे, कीमत पैटर्न, वैश्विक व्यापार प्रवाह और घरेलू मांग के संदर्भ में पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं। निर्णायक समीक्षा में बाजार स्थितियों की नए सिरे से जांच की आवश्यकता है।

ठ.2 घरेलू उद्योग द्वारा दायर टिप्पणियां

139. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन विवरण पर निम्नलिखित टिप्पणियाँ दायर की गई हैं:

i. प्राधिकारी ने बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन बीएचडी के मामले में पाया है कि कोई घरेलू बिक्री नहीं है, और इसलिए, सामान्य मूल्य एसजीए और लाभ मार्जिन के साथ उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है। आवेदक प्राधिकारी से लाभ मार्जिन के निर्धारण के लिए अपनाई गई सीमा और पद्धति का खुलासा करने का अनुरोध करता है।

ii. लाभ मार्जिन केवल लाभदायक बिक्री पर आधारित होना चाहिए। पाटनरोधी नियमावली के लिए लाभ को व्यापार के सामान्य क्रम से वास्तविक आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि घाटे वाले लेनदेन को लाभ की गणना से बाहर रखा जाना चाहिए।

iii. ग्लास फाइबर के आयात पर पाटनरोधी जांच के मामले में, लाभ मार्जिन को लाभदायक घरेलू बिक्री के आधार पर निर्धारित किया गया था।

iv. सहयोगी उत्पादकों के लिए नकारात्मक पाटन मार्जिन निर्णायक समीक्षा में पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने को सही नहीं ठहराता है। निर्णायक समीक्षा जांच का उद्देश्य यह जांचना है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना रहेगी।

v. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे तीसरे देश की निर्यात कीमतों का विश्लेषण करे। यह निर्यातकों के कीमत निर्धारण व्यवहार का आकलन करने के लिए आवश्यक है। प्राधिकारी ने पहली निर्णायक समीक्षा में भी यह विश्लेषण किया।

vi. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह संबद्ध देशों में उत्पादकों के साथ अधिशेष क्षमताओं की मौजूदगी का विश्लेषण करें। प्राधिकारी ने पहली निर्णायक समीक्षा में भी यह विश्लेषण किया।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

140. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है। यह देखा जाता है कि इनमें से अधिकांश अनुरोध उन तर्कों और तर्कों की पुनरावृत्ति हैं जिनकी पहले ही जांच की जा चुकी है और इन अंतिम जांच परिणामों के संगत अनुच्छेदों में आवश्यक समझे जाने की सीमा तक हल किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मुद्दों और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की नीचे जांच की गई है। जो भी अनुरोध केवल पूर्व अनुरोधों की पुनरावृत्ति थे, और जिनकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की जा चुकी है, उन्हें संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।

141. इस टिप्पणी के संबंध में कि आवेदक घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है क्योंकि कुल उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 50% से कम है, अत: प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार के मुद्दे की पहले ही प्रकटन विवरण में जांच की गई है। बीपीसीएल ने आवेदन-पत्र का न तो समर्थन किया है और न ही विरोध किया है। ऐसी स्थिति में, आवेदक के उत्पादन का नियमावली के अभिप्राय से घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है, और आवेदक घरेलू उद्योग है। वर्तमान आवेदन-पत्र घरेलू उद्योद्य द्वारा दायर किया गया था और इसीलिए नियम 23 की अपेक्षाएं पूरी की गई हैं।

142. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि यह दर्शाए जाने की आवश्यकता है कि वर्तमान जांच 10 वर्ष की अवधि से परे पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक 'विशेष मामला' होने के लिए पात्र है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि लगाए गए पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले रद्द नहीं किया जाता है, उन्हें लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर प्रभावी होना बंद हो जाएगा, बशर्ते कि, यदि केंद्र सरकार की इस समीक्षा में यह राय हो कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है, तो वह समय-समय पर पांच वर्षों तक आगे की अवधि के लिए ऐसे शुल्क लगाए जाने की अवधि बढ़ा सकती है। शुल्क बढ़ाए जाने के लिए केवल आवश्यक शर्त यह है कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है। अधिनियम की धारा 9(क)(5) और नियमावली के नियम 23 के अनुसार उस अधिकतम अवधि के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसके लिए शुल्क लागू रह सकता है। शुल्क बढ़ाए जाने के लिए आवश्यक तर्क केवल यह है कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग में पाटन और परिणामस्वरूप क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है। पाटनरोधी शुल्क उस अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जो पाटन और क्षति की संभावना का सामना करने के लिए आवश्यक हो, या वापस लिया जा सकता है, यदि शुल्क जारी रखने के लिए कोई औचित्य न हो।

143. इस टिप्पणी पर कि भारतीय बाजार में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिशीलता से संचालित होती हैं। यह देखा जाता है कि आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है, और प्राधिकारी ने पाया है कि आयात भारतीय बाजार पाटित कीमतों पर आए हैं। घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के निर्यात में नहीं लगा हुआ है और इसीलिए कीमत निर्धारण के लिए संगत बेंचमार्क भारत में आयातों की कीमत है।

अत:, यह टिप्पणी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार गतिशीलता ने कीमतों को प्रभावित किया है, स्वीकार नहीं की जा सकती।

144. प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि प्राधिकारी ने अधिशेष क्षमताओं की मौजूदगी की जांच नहीं की है। नीचे दी गई तालिका रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर अधिशेष क्षमताएं दर्शाती है।

क्र.सं.	संबद्ध देश	स्थापित क्षमता (एमटी)	उत्पादन (एमटी)	अधिशेष क्षमताएँ (एमटी)
1	बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन. बीएचडी	***	***	***
2	पेट्रोनास केमिकल मार्केटिंग (लाबुआन) लिमिटेड	***	***	***

स्रोत: पेट्रोनास केमिकल्स डेरिवेटिव्स एसडीएन बीएचडी ("पीसीडी") और बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन बीएचडी, मलेशिया के लिए उत्पादन और निर्यात का निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार किया गया विश्लेषण।

145. यह भी देखा गया है कि

i. पेट्रोनास केमिकल्स डेरिवेटिव्स एसडीएन बीएचडी. के मामले में, उत्पादन का ***% निर्यात के लिए उपयोग किया जा रहा है।

ii. बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन बीएचडी के मामले में, ***% उत्पादन का उपयोग निर्यात के लिए किया जा रहा है।

146. प्राधिकारी ने अतिरिक्त रूप से जांच की है कि क्या संबद्ध देशों के उत्पादकों द्वारा तीसरे देशों को निर्यात सामान्य मूल्य से कम है। नीचे दी गई तालिका में तीसरे देशों को किए गए निर्यात और संबंधित सामान्य मूल्य से कम निर्यात की मात्रा दिखाई गई है।

क्र.सं.	संबद्ध देश	कुल निर्यात	तीसरे देश के निर्यात सामान्य मूल्य से कम	पाटित निर्यात का हिस्सा	रेंज (%)
1	बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन. बीएचडी	***	***	***	40-50
2	पेट्रोनास केमिकल मार्केटिंग (लाबुआन) लिमिटेड	***	***	***	40-50
3	यूएसए	***	***	***	60-70
4	दक्षिण अफ्रीका	***	***	***	90-100

स्रोत: पेट्रोनास केमिकल्स डेरिवेटिव्स एसडीएन बीएचडी ("पीसीडी") और बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन बीएचडी, मलेशिया के लिए निर्यातों का निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार किया गया विश्लेषण और दक्षिण अफ्रीका और यूएसए के लिए ट्रेडमैप डेटा के अनुसार किया गया है।

147. यह देखा गया है कि तीसरे देशों को निर्यात का बड़ा हिस्सा पाटित कीमतों पर है।

148. सामान्य मूल्य की गणना में लाभ मार्जिन निर्धारित करने के लिए अपनाई गई पद्धति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों के उत्तर में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि बीएएसएफ के लिए घरेलू बिक्री के अभाव में, उक्त उत्पादक और निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य निर्मित किया गया है। यह निर्माण उचित लाभ मार्जिन के साथ-साथ बिक्री और प्रशासनिक व्यय के लिए उचित संयोजनों के साथ संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के आधार पर है।

149. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर इस टिप्पणी के संबंध में कि पहुंच कीमत की प्रतिशतता के रूप में केवल शुल्क दर की जांच निचले स्तर के उद्योगों पर प्रभाव का उचित उपाय नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपायों के प्रभाव की जांच पहुंच कीमतों की प्रतिशतता के रूप में शुल्क दर के परिकलन तक प्रतिबंधित नहीं की गई हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने पहले दावा किया था कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का निचले स्तर के उद्योगों के लिए निष्पादन पर 1% से 7% तक प्रभाव होगा। विचाराधीन उत्पाद का 1:1 खपत मानदंड नहीं है और इसीलिए यह पाया गया था कि जब शुल्क खुद ही आयात कीमत का लगभग 3% है तो शुल्क का प्रभाव 7% जितना अधिक नहीं हो सकता। यह भी देखा जाता है कि वर्तमान मामले में हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी आर्थिक हित प्रश्नावली में शुल्क का प्रभाव दिया है। 7% का प्रभाव 7.5% आधारभूत सीमा शुल्क शामिल करके भी निर्धारित किया गया है।

ड. <u>निष्कर्ष</u>

150. उठाए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना, किए गए अनुरोधों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों, जैसा कि ऊपर दर्ज किया गया है, को ध्यान में रखते हुए और घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने या बार-बार होने की संभावना के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि: -

क. विचाराधीन उत्पाद "नॉर्मल ब्यूटानॉल" या "एन-ब्यूटाइल अल्कोहल" है। विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है जो मूल जांच में परिभाषित किया गया है।

ख. यह आवेदन-पत्र आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। घरेलू उद्योग का कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है।

ग. आवेदक नियमावली के नियम 2 (ख) के अभिप्राय से एक पात्र घरेलू उद्योग है और यह कि आवेदन-पत्र नियमावली के तहत आधार की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

घ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

i. बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन बीएचडी. को छोड़कर संबद्ध देशों के सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक है।

ii. गैर-प्रतिभागी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है, और ये मार्जिन सकारात्मक और काफी हैं।

iii. वर्तमान समीक्षा जांच में उत्पाद के पाटन की निरंतरता है, और जांच से पता चला है कि शुल्क की समाप्ति की स्थिति में उत्पाद का पाटन जारी रहने की संभावना है।

ड. घरेलू उद्योग को क्षति

i. संबद्ध देशों से आयात की मात्रा निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों ही रूप में काफी बढ़ गई है।

ii. कच्चे माल की लागत में ***% वृद्धि के बावजूद, संबद्ध देशों से आयात कीमत में ***% गिरावट आई है और यह घरेलू उद्योग की लागत और कीमत के कम कीमत पर है। पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को लागत में परिवर्तन के अनुरूप अपनी कीमतें बढ़ाने से रोक दिया है।

iii. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में गिरावट आई है। कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता होने के बावजूद घरेलू उद्योग उत्पादन नहीं बढ़ा सका।

iv. घरेलू उद्योग का प्रति इकाई लाभ आधार वर्ष में रु. [***] प्रति एमटी से घटकर जांच की अवधि में रु. [***] प्रति एमटी की हानि तक हो गया। घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान ब्याज-पूर्व हानि, नकद हानियों और नियोजित पूंजी पर सकारात्मक आय सहित हानियां हुई हैं। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है।

च. घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना

i. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। घरेलू बाजार में आयात आ रहे हैं, जिनका घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनीकरण/ह्रासमान प्रभाव पड़ने की संभावना है।

ii. मलेशिया से बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन. बीएचडी और पेट्रोनास केमिकल्स डेरिवेटिव्स एसडीएन बीएचडी ने भाग लिया है। जांच से पता चला है कि उत्पादक काफी हद तक निर्यात-उन्मुख हैं क्योंकि वे अपने उत्पादन का क्रमशः *** एमटी और *** एमटी निर्यात कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के मामले में, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि निर्यात क्रमशः उनकी क्षमता का ***% और ***% है।

iii. तीसरे देशों को निर्यात का काफी हिस्सा हानिकारक और आकर्षक कीमतों पर है। संचयी कीमत आकर्षक निर्यात *** एमटी है जो भारत में मांग का ***% है।

छ. भारतीय उद्योग के हित

i. पाटनरोधी शुल्क 9 वर्षों से अधिक समय तक लागू रहा। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि लागू शुल्कों के परिणामस्वरूप निचले स्तर के उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।

ii. उपायों जारी रखने का निचले स्तर के उद्योगों पर नगण्य प्रभाव होता।

iii. वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में निरंतर क्षति हुई है। अतः, शुल्क का निरंतर लगाया जाना घरेलू उद्योग के हित में होगा।

ढ. <u>सिफारिश</u>

151. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान कार्यवाही लागू कानून के अनुसार की गई थी। सभी हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत अधिसूचित किया गया और उन्हें जांच के तहत मामलों पर सूचना प्रदान करने और अपने विचार प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया, जिसमें पाटन, क्षति, कारणात्मक संपर्क, पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना और भारतीय उद्योग पर उपायों का प्रभाव शामिल है। निर्णायक समीक्षा के अनुसरण, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वर्तमान मामले में मौजूदा पाटनरोधी शुल्क जारी रखे जाने की आवश्यकता है।

152. यह निष्कर्ष निकालने पर कि पाटनरोधी शुल्क जारी रखे जाने की आवश्यकता है क्योंकि यदि पाटनरोधी उपाय बंद किए जाने की अनुमति दी जाती है तो पाटन और क्षति के जारी रहने/बार बार होने की संभावना है, प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की राशि यह देखते हुए संशोधित किए जाने की आवश्यकता नहीं है कि शुल्क पाटन और क्षति की संभावना के आधा पर बढ़ाए जाने के लिए प्रस्तावित है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में, प्राधिकारी द्वारा क्षति की संभावना पाई गई

है, अत: वर्तमान जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के आधार पर शुल्कों का संशोधन यह देखते हुए उचित नहीं होगा कि पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना के आधार पर बढ़ाए जाने के लिए प्रस्तावित है।

153. इसके मद्देनजर, प्राधिकारी वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में भाग नहीं लेने वाले उन उत्पादक निर्यातकों को छोड़कर, अधिसूचना संख्या 21/2021- सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 12 अप्रैल 2021 और 02/2026- सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 8 जनवरी, 2026 द्वारा लगाए गए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखे जाने की सिफारिश करना उचित और आवश्यक मानते हैं। उन असहयोगी उत्पादक निर्यातकों को निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित अवशिष्ट शुल्क प्रदान किया गया है।

154. यहां ऊपर सिद्ध किए गए अनुसार, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए निम्नलिखित शुल्क तालिका के कॉलम (7) में दर्शाई गई राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क पांच (5) वर्षों की अगली अवधि के लिए संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों पर, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष/उपशीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क	यूओएम	मुद्रा
1	2905 13 00	नॉर्मल ब्यूटानॉल या “एन-ब्यूटाइल एल्कोहल"	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई देश	बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन. बीएचडी.	26.59	एमटी	यूएसडॉ.
2	-वही-	-वही-	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई देश	पेट्रोनास केमिकल्स डेरिवेटिव्स एसडीएन बीएचडी	51.42	एमटी	यूएसडॉ.
3	-वही-	-वही-	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई देश	क्र.सं. 1 और 2 में उल्लिखित को छोड़कर कोई भी उत्पादक	149.31	एमटी	यूएसडॉ.
4	-वही-	-वही-	मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका को छोड़कर कोई भी देश	मलेशिया	कोई उत्पादक	149.31	एमटी	यूएसडॉ.
5	-वही-	-वही-	दक्षिण अफ्रीका	दक्षिण अफ्रीका सहित कोई	कोई उत्पादक	13.24	एमटी	यूएसडॉ.

				देश				
6	-वही-	-वही-	मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और यूएसए को छोड़कर कोई देश	दक्षिण अफ्रीका	कोई उत्पादक	13.24	एमटी	यूएसडॉ.
7	-वही-	-वही-	यूएसए	यूएसए सहित कोई देश	कोई उत्पादक	24.16	एमटी	यूएसडॉ.
8	-वही-	-वही-	मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और यूएसए को छोड़कर कोई देश	यूएसए	कोई उत्पादक	24.16	एमटी	यूएसडॉ.

नोट-उपर्युक्त कंपनियों के लिए निर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का आवेदन-पत्र सीमा शुल्क अधिकारियों को एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत करने पर सशर्त होगा, जिस पर ऐसे बीजक जारी करने वाली कंपनी के एक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित घोषणा दिखाई देगी, जो उसके नाम और कार्य से पहचाना जाएगा, जो इस प्रकार तैयार किया गया है:

''मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता हूं कि इस बीजक द्वारा भारत को निर्यात के लिए बेची गई (उत्पाद संबंधित) की मात्रा (देश के नाम) में (कंपनी का नाम और पता) द्वारा निर्मित की गई थी। मैं घोषणा करता हूं कि इस बीजक में प्रदान की गई सूचना पूर्ण और सही है। यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य कंपनियों पर लागू शुल्क लागू होगा। यह अपेक्षा लागू सीमा शुल्क कानून और विनियमों के तहत सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की गई सत्यापन प्रक्रियाओं के पूर्वाग्रह के बिना है।''

ण. <u>आगे की प्रक्रिया</u>

155. इस अंतिम जांच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण/समीक्षा के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम/नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Directorate General of Trade Remedies)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 9th April, 2026

Case No. – AD (SSR)- 09/2025

Subject: Sunset Review investigation concerning anti-dumping duty on imports of 'Normal Butanol' or 'N-Butyl Alcohol' originating in or exported from Malaysia, South Africa and United States of America.

F. No. 7/16/2025 – DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as "the Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the "Anti-Dumping Rules" or "the Rules") thereof.

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as "Authority") received an application from the Andhra Petrochemicals Limited (hereinafter referred to as the 'applicant' or the "domestic industry") seeking initiation of a sunset review for extension and enhancement of the anti-dumping duty imposed on imports of 'Normal Butanol' (hereinafter to be referred to as the "subject goods" or the " product under consideration"), originating in or exported from European Union, Malaysia, Singapore, South Africa and United States of America. However, as examined during the initiation of the case, it was *prima facie* noted that the initiation of anti-dumping investigation into imports of NBA from European Union and Singapore was not justified for the reasons cited in the initiation notification. Therefore, it was decided to initiate the anti-dumping investigation only against Malaysia, South Africa and United States of America (hereinafter referred to as "subject countries").

2. On the basis of *prima facie* evidence submitted by the applicant, the Authority issued a public notice vide notification no. 7/16/2025- DGTR dated 27th September 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigation on imports from Malaysia, South Africa and United States of America. The investigation was initiated in accordance with Section 9A (5) of the Act read with Rule 23 of the Rules to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry and if there is a need for continued imposition of the anti-dumping duties.

3. The original anti-dumping investigation concerning imports of the product under consideration from the European Union, Malaysia, Singapore, South Africa and the United States of America was initiated by the Authority vide Notification No. 14/4/2013-DGAD dated 20th November 2014. Pursuant to a duly substantiated application filed by the domestic industry and after detailed examination, the Authority concluded that the imports from the subject countries had caused material injury to the domestic industry. Accordingly, vide Final Finding dated 19th February 2016, the Authority recommended imposition of anti-dumping duties. The Ministry of Finance, thereafter, accepted the recommendation and imposed anti-dumping duties vide Customs Notification No. 13/2016-Customs (ADD) dated 13th April 2016.

4. Thereafter, a sunset review investigation was initiated by the Authority vide Notification No. 7/29/2020-DGTR dated 31st August 2020 concerning imports from the European Union, Malaysia, Singapore, South Africa and the United States of America. After examination, the Authority, vide Final Finding No. 7/29/2020-DGTR dated 30th March 2021, recommended continuation of the anti-dumping duties. The Ministry of Finance accepted the recommendation and extended the anti-dumping duties for a period of five years vide Notification No. 21/2021-Customs (ADD) dated 12th April 2021. The duties are presently in force and were effective until 12th April 2026. Subsequently, the Ministry of Finance, vide Notification No. 02/2026-Customs (ADD), extended the existing duties by a further period of three months. Accordingly, the duties shall remain effective until 12th July 2026.

5. In terms of Section 9A (5) of the Act, any anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such an imposition. Further, Rule 23(1B) of the Rules provides as follows:

> *"any definitive antidumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated Authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry"*

6. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, whether the expiry of existing anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

7. The scope of the present review covers all aspects of the final finding no. 7/29/2020-DGTR dated 30th March 2021 and Notification No. 21/2021-Customs (ADD) dated 12th April 2021.

B. **PROCEDURE**

8. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

8.1 Initiation

i. In accordance with Rule 5(5), prior to initiation of the investigation, the governments of the subject countries were notified through their embassy in India about the receipt of the present anti-dumping application.

ii. In accordance with Rule 6, upon examination of the application and finding *prima facie* evidence of dumping, injury, likelihood and causal link. The Authority issued a notification no. 7/16/2025- DGTR dated 27th September 2025, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the sunset review anti-dumping investigation concerning the imports of the product under consideration from the subject countries.

iii. A request was made to the DG System to obtain transaction-wise import data of the subject goods for the injury period. The data received has been relied upon for the necessary analysis after due examination of the transactions.

iv. In accordance with Rule 6(2), the interested parties were informed of the initiation of the investigation by sharing a copy of the initiation notification with the embassies of the subject countries in India, known producers and exporters of the product under consideration in the

subject countries, known importers of the subject goods in India and other interested parties, as per the information made available in the application.

8.2 Circulation of non-confidential version of the application

i. In accordance with Rule 6(3), a copy of the non-confidential version of the application was provided to the governments of the subject countries through their embassies in India, known exporters of the subject imports and to other interested parties who requested in writing for a copy of the application.

8.3 Participation by Exporters of Subject countries

i. In accordance with Rule 6(4), the exporters questionnaires were sent to the following producers and exporters to seek information regarding the normal value and net export price for the investigation.

SN	Subject countries	Producers/exporters
1	Malaysia	Dow Optimal Chemicals Sdn. Bhd
2		PETRONAS Chemicals Derivatives Sdn Bhd
3	South Africa	Sasol Middle East FZCO
4	United States of America	BASF
5		Dow Chemicals
6		Eastman Chemical Co.
7		ICC Chemical Corporation
8		INEOS
9		Oxea Corporation
10		Sasol North America
11		Tex Mark Chemicals

ii. Questionnaires were also sent to the governments of the subject countries through their embassies in India. The governments of the subject countries were requested to forward the Initiation Notification and the questionnaires to the producers of the subject goods in their respective countries and advise them to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.

iii. In response to the above, the following producers/exporters from the subject countries have responded and filed exporter's questionnaire response:

SN	Subject countries	Producers/exporters
1	Malaysia	BASF Petronas Chemicals Sdn. Bhd.
2		PC Derivative Sdn Bhd
3		Petronas Chemical Marketing (Labuan) Ltd

8.4 Participation by Importers/Users

i. In accordance with Rule 6(4) of the Rules, questionnaires were also sent to the following known importers/users of the product under consideration in India calling necessary information:

SN	Name of importers and users in India
1	Alkyl Amines Chemicals Limited
2	Ankita Chemical Corporation
3	Anushakti Chemicals And Drugs Limited
4	API Industrial Corporation
5	Apra Enterprises
6	Asian Solvochem Private Limited
7	Balmukund Chemicals Private Limited
8	Buneesha Chem Private Limited
9	C J Shah & Company
10	Daga Global Chemicals Limited
11	Deepak Nitrite Limited
12	Dorfketal Speciality Private Limited
13	Haresh Petrochem Private Limited
14	Hazel Mercantile Limited
15	Jagriti Plastics Limited
16	K L J Group
17	Ketul Chem Pvt. Ltd.
18	KLJ Resources Limited
19	Kundan Rice Mills Limited
20	Lalitha Chem Industries Private Limited
21	Nutan Chemicals Private Limited
22	Overseas Polymer Private Limited
23	Paras Dyes and Chemicals Private Limited

24	Payal Polyplast Private Limited
25	PCL Oil & Solvents Ltd.
26	Petrochem Middle East Private Limited
27	Plastichem Industrial Corporation
28	Pon Pure Chemical India Private Limited
29	Rachana Plasticizers
30	Ramniklal S Gosalia & Company
31	Sanjay Chemicals Private Limited
32	Supreme India International Private Limited
33	Surabhi Enterprises Private Limited
34	Visen Industries Limited
35	Yug International Private Limited

ii. In response to the above, the following importers/users from Indian have responded and filed importer/user questionnaire response:

SN	Name of importers and users in India
1	BASF India Limited
2	KLJ Petroplast Limited
3	KLJ Plasticizers Limited
4	KLJ Resources Limited
5	Payal Polyplast Private Limited

iii. In response to the initiation notification, Indian Plasticizers Manufacturers Association have also made legal submissions in the present investigation.

iv. A list of all interested parties that registered themselves within the prescribed timeline was uploaded on the website. All registered interested parties were directed to circulate the non-confidential version of all their submissions in the present proceedings with all other interested parties.

8.5 Period of Investigation and Injury Period

i. As noted in the initiation notification, the period of investigation ('POI') was considered as 1st April 2024 to 31st March 2025. The injury period was set to cover the years 2021-22, 2022-23, 2023-24 and the period of investigation.

8.6 Further procedures

i. An economic interest questionnaire was issued to all the known producers and exporters, importers, and the domestic industry. The economic interest questionnaire was also shared with the administrative line ministry. Economic interest questionnaire was filed by the domestic industry and by participating importers and users.

ii. Foreign producers, exporters and other interested parties who have not responded, or have not supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating with interested parties.

iii. The non-confidential version of the submissions filed by the various interested parties were made available to all participating interested parties. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.

iv. In accordance with Rule 6(6), the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a hearing held on 5th January 2026. The parties presenting their views in the oral hearing were directed to make written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.

v. In accordance with Rule 6(8), wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information in a timely manner during the course of the present proceedings, or has significantly impeded the investigation, such parties have been considered as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.

vi. In accordance with Rule 7, the information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of such confidentiality claims. On being satisfied, the confidentiality claims have been accepted wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

vii. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts to all interested parties on 16th March, 2026. The Authority has examined all the post disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission, and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.

viii. In accordance with Rule 8, verification of the data provided by the domestic industry and other interested parties was conducted to the extent considered necessary for the present proceedings. The Authority has considered the verified data of the interested parties in its analysis in the present case.

ix. The non-injurious price has been calculated based on the optimum cost of production and cost to produce & sell the domestic like article in India, based on the information furnished by the applicant and having regard to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and as per the principles laid down in Annexure III of the Rules.

x. The Authority examined the issues raised, information provided, and submissions made by the interested parties during the course of the proceedings, to the extent they were supported by evidence and considered relevant to the present investigation, in preparing this final finding.

xi. "***" in this Final Finding represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered under the Rules.

xii. The exchange rate adopted for the present investigation is 1 US$=Rs 85.43.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

C.1 Submission of the other interested parties

9. The other interested parties have not made any submissions with regards to the product under consideration and like articles.

C.2 Submission of the domestic industry

10. The domestic industry has made the following submissions with regards to the product under consideration and like articles.
    a. The product under consideration in the present investigation is Normal Butanol.
    b. The scope of the product is same as defined by the Authority in the original investigation.

C.3 Examination by Authority

11. The present investigation is a sunset review investigation and the scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation. The product under consideration as defined in the original investigation and considered at the stage of initiation is reproduced hereunder –

> *"The product under consideration is Normal Butanol. Normal Butanol is a primary alcohol with a 4-carbon structure and molecular formula C4H90H. Normal Butanol is an excellent solvent for acid-curable lacquers and baking finishes derived from urea, melamine or phenolic resins. A large part of N-Butanol is converted into derivatives for use as solvents in coating industries and printing inks. Normal Butanol also finds application as extractant in production of drugs and natural substances, additive in polishes and cleaners, solubilizer in the textile industry, additive in deicing fluids, anti-icing additive in gasoline, humectant for cellulose nitrate, feedstock in the production of glycol ethers and floatation aids (Butyl Xanthate) and as starting material for the production of Butyl mono Carboxylates, Butyl Acetate, Butyrate.*
>
> *The product under consideration is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-heading 2905. The product under consideration is imported under 29051300. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.".*

12. None of the importers, exporters and other interested parties have advanced any argument with regard to the scope of the product under consideration and like article. Thus, the scope of the product under consideration in the present review investigation remains the same as that in the original investigation and as considered at the stage of initiation notification.

> *"The product under consideration in the present investigation is "Normal Butanol".*

13. The major raw materials used in production of normal butanol are Naphtha and Propylene.

14. N-Butanol is produced industrially from the petrochemical feedstock propylene. Propylene is hydroformylated to butyraldehyde in the presence of a rhodium based homogenous catalyst, which is known as oxo process. The butyraldehyde is then hydrogenated to produce n-butanol.

15. The product under consideration is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975, under the heading "Organic Chemicals" and under the sub-heading is 2905 13 00. It is also noted that the customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of subject investigation.

16. The prescribed unit of measurement for the product under consideration is metric tons (MT), and the same has been adopted for this investigation.

17. It is noted that the subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. Accordingly, the Authority holds that the product produced by the domestic industry are 'like article' to the product under consideration imported from the subject countries in terms of Rule 2(d) of the Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 Submission of the other interested parties

18. The other interested parties have made the following submissions with respect to the domestic industry and standing:

i. The standing of the domestic industry is doubtful and does not meet the requirements of Rules 2(b) and 5(3) of the Rule.

ii. Where multiple producers operate, the applicant must establish representativeness through clear and verifiable evidence, which is absent in this case.

iii. Past investigations or historical status cannot substitute for a contemporaneous assessment of domestic production during the relevant period.

iv. Rule 5(3) prescribes mandatory production thresholds to establish standing at the initiation stage. The applicant has failed to demonstrate compliance with these thresholds or to show requisite support from other domestic producers.

v. The applicant has acknowledged that other producer, namely BPCL produced 28,000 MT of the subject goods during the period of investigation, whereas the domestic industry's Annual Report for FY 2024-25 shows total oxo-alcohol production of 51,489 MT, of which is around 36,000 MT pertained to 2-Ethyl Hexanol, leaving only about 15,000 MT attributable to the NBA during the period of investigation.

vi. Reference is drawn to the WTO decision in case of EC – Fasteners (China), the domestic industry's production of the NBA during the period of investigation accounts for only 35% of the total domestic production. Such a share constitutes a low proportion and does not represent a "major proportion" of domestic production. Accordingly, APCL cannot be considered to qualify as the domestic industry for the purposes of the present investigation.

vii. The DGTR manual stated that in a sunset review investigation, the test of domestic industry standing has to be applied afresh. The Authority should thoroughly examine whether the applicant satisfies the criteria of "domestic industry" and standing and should not proceed on unverified assertions.

D.2 Submission of the domestic industry

19. The domestic industry has made the following submissions with respect to the domestic industry and standing:

i. The present application has been filed by Andhra Petrochemicals Limited

ii. In the previous investigation, the applicant was the sole producer in India. Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) recently setup its plant and started commercial production in April 2021

iii. The applicant had sent communication to BPCL, but BPCL has not replied to the applicant. The applicant has considered BPCL as neutral in the present investigation.

iv. The applicant has neither imported the subject goods from subject countries nor is related to any importer in India or producer/exporter from subject countries.

v. It is alleged that the domestic industry does not meet the requirement of Rule 2(b) and 5(3), it is submitted that Rule 5(3)(a) requires that an application be supported by the producers accounting for at least 25% of the total Indian production.

vi. The next condition for 50% is for cases where other Indian producers have either supported or opposed the application.

vii. In the present case, BPCL has neither supported nor opposed the application and has remained neutral. As there is no opposition from any domestic producer, the requirement relating to 50% support of those expressing does not arise.

D.3 Examination by the Authority

20. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as below:

> *"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be constructed as referring to the rest of the producers."*

21. The present application has been filed by Andhra Petrochemicals Limited. In the original and subsequent first sunset review investigation, Andhra Petrochemicals Limited was the sole producer of the like article in India. In April 2021, another producer, namely Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL), commenced commercial production of Normal Butanol in India with a capacity of 38,000 MT.

22. With regards to the submissions made by the other interested parties that the domestic industry does not meet the requirements of Rule 2(b) and 5(3) of the Rules, it has sought information from the Bharat Petroleum Corporation Limited regarding its production, its position with respect to the application, and other relevant details for the purposes of the present investigation. However, BPCL has neither furnished the requested information nor communicated its position on the application.

23. The applicant accounts for [***] of the total Indian production and, therefore, constitutes a major proportion of the domestic production within the meaning of Rule 2(b) of the Rules. With regard to

the contention that the domestic industry has misapplied the law by accepting the domestic industry's standing without examination as required under Rule 5(3) of the Rules, it is noted that the present investigation is a sunset review seeking continuation of anti-dumping duties and not an original investigation. The Rules do not mandate re-examination of domestic industry standing in a review investigation once the applicant has qualified as an eligible domestic industry in the original investigation.

24. The applicant has certified that it has not imported the subject goods from the subject countries during the period of investigation and that it is neither related to any exporter or producer of the subject goods in the subject countries nor to any importer of the product in India. The DG System data has been examined, and it is found that the applicant has not imported the product under consideration.

25. In view of the above, the Authority holds that the applicant constitutes an eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and that the application satisfies the standing requirements under Rule 23(1b) of the Rules.

E. MISCELLANEOUS ISSUES AND CONFIDENTIALITY

E.1 Submission of the other interested parties

26. The other interested parties have not made any submission with respect to confidentiality:

i. The domestic industry has enjoyed the benefit of anti-dumping duty for more than a decade. The duty has already addressed the alleged dumping if any.

ii. The presence of BPCL, whose production is largely captive, further distorts any assessment of representativeness. The application does not disclose production volumes or market shares of each producer, preventing verification by interested parties.

iii. The domestic industry has not brought about any substantive evidence to prove the condition for initiation of the sunset review investigation, while the investigating authority has not carried out appropriate and enough scrutiny of the related facts.

E.2 Submission of the domestic industry

27. The domestic industry has made the following submission with respect to confidentiality:

i. On the submission that duties have been in force for a long time, mere existence or continuation of anti-dumping duty does not imply that dumping has ceased or that injury no longer exists. On the contrary the dumping from the subject countries continued in the present investigation.

ii. Neither the Customs Tariff Act nor the Anti-Dumping Rules restrict the domestic industry from approaching the Designated Authority for appropriate trade remedial measures whenever unfair imports cause injury to the domestic industry

iii. On the submission that the petition fails to disclose the production volumes or market shares of each individual producer, it is submitted that Trade Notice No. 10/2018 does not impose any requirement to disclose producer-wise production data or individual market share figures.

iv. The domestic industry has disclosed all relevant information, including the actual production of BPCL and the production of the domestic industry and market share in index form, thereby fully complying with Trade Notice No. 10/2018.

E.3 Examination by the Authority

28. The non-confidential version of the information provided by various interested parties were made available to all interested parties as per Rule 6(7) and Trade Notice 10/2018 dated 7th September 2018 read with Trade Notice 01/2020 (as extended by the Authority till further notice).

> *"Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule12,sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*
>
> *(2) The designated authority may require the parties providing information on a confidential basis to furnish a non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible to summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*
>
> *(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."*

29. The submissions made by the domestic industry and the participating exporters concerning confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. It is seen that the domestic industry and interested parties have claimed confidentiality on information, such as production, capacity, capacity utilization, sales volumes, market share, stocks, selling price, costs, profits, cash profits, return on investment, non-injurious price, cost of production related information, normal value, export price, dumping margin, injury margin, price adjustments, profit related information, sales channels, sales & purchase documents, customers and suppliers names, etc. It is also seen that wherever information is for injury period, the same has been provided on an indexed basis. Information such as normal value, non-injurious price and price undercutting has been disclosed in the range.

30. The interested parties have claimed confidentiality on various supporting documents & information, wherever such information has not been publicly disclosed by them. In those cases where an interested party has not publicly disclosed its annual reports and financial statements, the same have been claimed confidential. Wherever the interested parties have claimed a document as confidential, it is noted that these interested parties have claimed that these documents are not susceptible to summary and have given reasons why summarisation is not possible.

31. The Authority has consistently allowed interested parties to claim confidentiality on such information and documents provided by domestic industries, foreign producers and other interested parties in all investigations. The Authority notes that all the interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties.

32. With regards to the submissions made by the other interested parties that the domestic industry is a habitual user of trade remedy measures, it is seen that as per Section 9(A)(5), there is no bar on the number of times domestic industry can seek redressal from unfair trade practices of the foreign producers/exporters and no bar on the number of times anti-dumping duty can be imposed. In an anti-dumping investigation, the primary mandate is to assess whether remedial measures are required in light of dumped imports and consequent injury to the domestic industry. The anti-dumping duty can be imposed for a period as long as necessary to counteract dumping and injury. The recommendations for the imposition of anti-dumping duty are made only after investigation and when the requisite legal requirements are met.

33. With regards to the submissions made by the other interested parties that the domestic industry has not brought any substantive evidence to justify initiation of the present investigation and the Authority has not carried out appropriate scrutiny of facts, it is seen the domestic industry had provided sufficient information to justify initiation and the investigation was initiated by the Authority after satisfying that there was sufficient prima-facie evidence to justify initiation.

F. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

F.1 Submission of the other interested parties

34. The submissions made by the other interested parties concerning normal value, export price and dumping margin is as follows:

i. The normal value of the producers from the Malaysia must be determined on the basis of their data submitted to the Authority.

F.2 Submission of the domestic industry

35. The domestic industry has not made any submission concerning normal value, export price and dumping margin of the participating producers.

F.3 Examination by the Authority

36. Under Section 9A (1)c, normal value in relation to an article means:

i. The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting countries or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or

ii. When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting countries or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting countries or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:

a. comparable representative price of the like article when exported from the exporting countries or territory or an appropriate third countries as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

b. the cost of production of the said article in the countries of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

Provided that in the case of import of the article from a country other than the countries of origin and where the article has been merely transhipped through the countries of export or such article is not produced in the countries of export or there is no comparable price in the counties of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the countries of origin.

37. The questionnaires were sent to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide information in the prescribed form and manner. The following producers and exporters from the subject countries, along with their related entities in India, have filed the prescribed questionnaire responses.

i. BASF Petronas Chemicals Sdn. Bhd., Malaysia and its related importer in India.
ii. PC Derivative Sdn Bhd, Malaysia
iii. Petronas Chemical Marketing (Labuan) Ltd, Malaysia

38. The normal value and export price for all producers/exporters from the subject countries have been determined as below.

F.3.1 <u>Normal value and export price determination for Malaysia</u>

Petronas Chemical Marketing (Labuan) Ltd (Producer) and PC Derivative Sdn Bhd (Exporter)

i. Normal value

39. During the period of investigation, Petronas Chemical Marketing (Labuan) Ltd. (hereinafter referred to as "Petronas Marketing"), who is a trader/exporter of the subject goods in Malaysia has sold *** MT of the subject goods for invoice value of ***USD in their domestic market. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with the exports to India.

40. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine the profit-making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. If profit making transactions are more than 80% of the total sales, then all the transactions in the domestic sales are considered for the determination of the normal value and in case the profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of the normal value. In the present investigation, since the profit-making sales are more than 80%, all the domestic sales have been considered to determine the normal value. Petronas Marketing has claimed adjustment on account of inland freight, packing expenses and credit cost in the calculation of normal value and the same have been allowed by the Authority. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

ii. Export price

41. During the period of investigation, PC Derivatives Sdn Bhd has exported *** MT of the subject goods, through related exporter namely Petronas Marketing Ltd,.

PC Derivatives → Petronas Marketing → Unrelated customers in India

42. In case of sales through related exporter, the export price has been determined based on the export price of the related exporter after due adjustments. The producer/exporter has claimed adjustments

on account of ocean freight, marine insurance, port and other related expenses, bank charges and the same has been allowed after verification.

43. The Net export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.
BASF Petronas Chemicals Sdn. Bhd., Malaysia

i. Normal value

44. During the period of investigation, BASF Petronas Chemicals Sdn. Bhd. (hereinafter referred to as "BASF"), who is a producer of the subject goods in Malaysia does not have any domestic sales in the POI.

45. In the present investigation there is no domestic sales made by BASF Petronas Chemicals Sdn. Bhd. On the basis of the fact that other relevant information required in the questionnaire response has been submitted by the responding producer and exporter, the Authority has constructed the normal value for the responding producer and exporter based on their cost of production of the subject goods with reasonable addition of selling and administration expenses and adding profit margin. The normal value thus arrived at is mentioned in the dumping margin table.

ii. Export price

46. During the period of investigation, BASF has exported *** MT of the subject goods, through BASF India Limited to unrelated customers in India..

BASF ⟶ BASF India Limited ⟶ Unrelated customers in India

47. In case of sales through related importer, the export price has been determined based on the resale price of the related importer after due adjustments. The producer/exporter has claimed adjustments on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation, port and other related expenses, bank charges and the same has been allowed after verification.

48. The net export price thus arrived at is mentioned in the dumping margin table.

Non-cooperating producers/exporters

49. It is noted that no other producers/exporters from Malaysia have cooperated in the present sunset review. In view of the same, the normal value and export price for all other non-cooperating producers and exporters of Malaysia have been determined based on the facts available under Rule 6(8) of the Rules. The normal value and net export price thus determined is mentioned in the dumping margin table.

F.3.2 Normal value and export price determination for South Africa

50. None of the producers/exporters from South Africa have participated in the present investigation. Accordingly, the normal value and export price has been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value is determined on the basis of best estimates of cost of production of the subject goods, duly adjusted for selling, general & administrative expenses, with the addition of reasonable profit margin.

51. Export price has been determined on the basis of facts available. For this purpose, the information provided in the DG system data has been considered. Price adjustments have been made on account of ocean freight, inland transportation, port related expenses, insurance, credit cost and packing

expenses on the basis of facts available. The normal value and ex-factory export price so determined is mentioned in the dumping margin table.

F.3.3 Normal value and export price determination for United States of America

52. None of the producers/exporters from United States of America have participated in the present investigation. Accordingly, the normal value and export price has been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value is determined based on best estimates of cost of production of the subject goods, duly adjusted for selling, general & administrative expenses, with the addition of reasonable profit margin.

53. Export price has been determined on the basis of facts available. For this purpose, the information provided in the DG system data has been considered. Price adjustments have been made on account of ocean freight, inland transportation, port related expenses, insurance, credit cost and packing expenses on the basis of facts available. The ex-factory export price so determined is mentioned in the dumping margin table.

F.3.4 Dumping margin

54. Based on normal value and export price as determined above, the dumping margin has been determined below.

Dumping margin table

SN	Particular	Normal value	Export price	Dumping margin	Dumping margin	Dumping margin
		(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	%	Range
A	**Malaysia**					
1	BASF PETRONAS Chemicals Sdn. Bhd.	***	***	***	***	0-10
2	Petronas Chemical Marketing (Labuan) Limited	***	***	***	***	0-10
3	Any other	***	***	***	***	10-20
B	**South Africa**	***	***	***	***	20-30
C	**USA**	***	***	***	***	20-30

G. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

G.1 Submission of the other interested parties

55. The other interested parties have made the following submissions with regards to injury and causal link:

i. Injury suffered by domestic industry is not due to imports of the product. There is no significant increase in imports from Malaysia over the injury period.

ii. The imports from Malaysia fluctuated in response to market conditions and availability of domestic supply. Imports in the POI are broadly at the same level as the base year. The pattern does not show a sustained or significant increase in absolute terms.

iii. The share of Malaysia's imports in total imports has declined. Thus, subject imports are losing share, not gaining. The large expansion of non-subject countries imports further demonstrates that any changes in market conditions are driven by overall import dependence and global supply patterns, not by imports from subject countries.

iv. The production of the domestic industry declined. As disclosed in the annual reports, the decline was due to plant shutdowns and feedstock supply issues. The increase in import in relation to production ratio is due to reduced domestic output and not by any significant increase in import from Malaysia.

v. The installed capacity of the domestic industry has remained unchanged throughout the injury period. However, production and capacity utilization show fluctuations.

vi. The decline in production and capacity utilization in 2022-23 is directly linked to internal operational disruptions faced by the domestic industry and not to imports.

vii. The Indian demand for the product increased sharply over the injury period by 60%. The domestic producers have the capacity of 80,000 MT against the demand of 3,30,000 MT. Therefore, imports are merely supplementing demand supply gap and cannot be treated as causing volume injury.

viii. The comparison of the domestic industry's cost of sales and selling prices does not support any finding of price depression or price suppression attributable to imports from subject countries.

ix. While there is a divergence between cost and selling price, this is attributable to feedstock price volatility and internal cost factors, not imports. Any resulting gap cannot be considered as price suppression or price depression caused by imports.

x. The decline in production and capacity utilisation in 2022-23 is due to internal operational disruptions and not to imports. Domestic industry 41-day maintenance shutdown and insufficient propylene supply from HPCL materially constrained production.

xi. The fact that production and capacity utilisation recovered in 2023–24, when these internal constraints eased, shows that the earlier decline was not caused by imports but by temporary operational issues. Domestic sales volumes also show the same pattern.

xii. Profitability declined sharply in 2022-23 due to a 41-day maintenance shutdown and inadequate propylene supply from HPCL and remained weak thereafter.

xiii. The decline in performance in the POI is due to increase in depreciation cost without corresponding capacity addition, higher interest costs, dependence on a single supplier, lack of backward integration, exposure to global price volatility, and intensified domestic competition particularly from BPCL.

xiv. According to ICRA, operating margins declined in FY 2023 due to reduced product feedstock spreads following a fall in product prices amid weak global demand, with only a partial recovery from Q2 FY 2024. Margins remain vulnerable to continued global demand weakness.

xv. ICRA also highlights the absence of backward integration, exposure to global price volatility, changes in duty structures and trade protection measures, and competitive pressures from imports and domestic producers. Such has impacted the business structure of the applicant.

xvi. The increase in cost of sales is directly linked to feedstock price volatility i.e., global crude oil and propylene prices. The global fluctuations in the prices of the feedstock affect both domestic producers and foreign producers.

xvii. The decline in domestic selling prices must be viewed in the context of cyclical product under consideration demand conditions and internal pricing decisions of the domestic industry. The domestic producer has adjusted prices in response to market conditions and cost pressures, not because of price competition from imports.

xviii. The domestic industry is a standalone manufacturer without backward integration into upstream feedstock production. This makes it vulnerable to volatility in global crude oil and propylene prices and to supply disruptions from third-party suppliers.

xix. The absence of backward integration results in higher and more volatile input costs compared to integrated producers. This structural disadvantage affects margins and cost competitiveness and cannot be attributed to imports.

xx. Higher finance costs affect net profitability and are independent of imports. Shutdowns are operational in nature and unrelated to import volumes or prices.

xxi. In absolute terms, import volumes from Malaysia have remained broadly unchanged over the injury period. Imports were 10,310 MT in the base year and increased to 15,267 MT in the POI. This change does not constitute a surge or abnormal increase in volumes.

G.2 Submission of the domestic industry

56. The domestic industry has made the following submissions with regards to injury and causal link:

i. The continuation of anti-dumping duties encouraged new producers. BPCL established a plant for Normal Butanol and other oxo-alcohols, commencing commercial production in April 2021 with an installed capacity of 38,000 MT.

ii. IOCL commissioned a Normal Butanol plant in the post-POI, with an installed capacity of 90,000 MT per annum at its Gujarat Refinery. Part of the capacity is for captive use, IOCL is also supplying the domestic market and has had to curtail production due to continued dumping.

iii. Despite duties being in place, producers from the subject countries continue to dump the product in the Indian market.

iv. The injury to the domestic industry is attributable from imports from the subject countries and from Taiwan and Saudi Arabia.

v. The import price from subject countries were above the applicant's cost of sales in 2021-22. However, in 2022-23 the import prices fell below the applicant's cost of sales and remained below cost throughout the remaining injury period.

vi. Syngas, naphtha, and propylene are the major raw materials for producing Normal Butanol, together accounting for over 90% of the cost. Despite the increase in raw material costs, import prices have declined.

vii. The volume of imports from the subject countries increased in 2022-23 and further sharply increased in 2023-24. However, the volume of subject imports marginally declined in the period of investigation.

viii. The decline in the subject imports in the period of investigation was primarily due to a sharp increase in dumped imports from Taiwan and Saudi Arabia.

ix. Imports from the subject countries, in relation to production increased from 45% to 94%, and in relation to consumption, from 26% to 36%.

x. The landed price from the subject countries is below the cost of sales and selling price of the domestic industry.

xi. Dumped imports have prevented the applicant from change its selling price in commensurate to the cost of sales. The dumped imports are suppressing and depressing the prices of the domestic industry.

xii. The capacity of the domestic industry remained constant.

xiii. The production and capacity utilisation declined in 2022-23 due to partial plant shutdowns and increased imports, recovered marginally in 2023-24, and declined again during the period of investigation due to plant shutdowns and low-priced dumped imports.

xiv. Some production loss resulted from temporary unavailability of raw materials there were no factors other than dumped imports that prevented optimum capacity utilisation.

xv. Domestic sales declined in 2022-23, increased marginally thereafter, but fell sharply again during the period of investigation. Despite selling over 90% of its production, the domestic industry had to significantly reduce prices, resulting in decline in the sales revenue.

xvi. The landed price of imports during the period of investigation was below the domestic industry's variable cost. As the domestic industry competes on price, it was compelled to match import prices and sell below variable cost, leading to non-recovery of costs and forcing a voluntary suspension of production.

xvii. Dumped imports have forced the domestic industry to curtail production, resulting in increasing shutdown days and increase in production losses over the years.

xviii. Except for shutdown due to raw material shortage and maintenance shutdown, all other production stoppages were due to adverse market conditions caused by dumping.

xix. Despite adequate raw material availability and strong domestic demand, the domestic industry was compelled to suspend production solely due to dumped imports.

xx. Normal Butanol and 2-Ethyl Hexanol use the same raw material from a common supplier and storage facility. During the injury period, even when Normal Butanol production was suspended for *** days, the domestic industry produced 2-Ethyl Hexanol for [***] day.

xxi. Production was shifted to 2-Ethyl Hexanol as it remained profitable until 2023-24, unlike normal butanol which consistently incurred losses.

xxii. The domestic industry sources Propylene exclusively from HPCL. Propylene is not easily tradable, so production suspension by the domestic industry directly affects HPCL's sales. HPCL sales declined partly due to maintenance and partly due to reduced production of Normal Butanol and 2-Ethyl Hexanol by the domestic industry.

xxiii. The domestic industry had sufficient Propylene stock, yet chose not to produce Normal Butanol, while continuing 2-Ethyl Hexanol production.

xxiv. Domestic industry inventory increased sharply during the period of investigation, despite selling over 90% of production and operating below market demand. For around 100 days, inventory was enough to meet five days of demand, thus, high stocks were not due to demand-supply gaps.

xxv. Imports from subject countries steadily increased their market share during the injury period, while the domestic industry's share declined.

xxvi. The domestic industry was profitable in the base year but suffered continuous losses during the injury period due to dumped imports. Even after accounting for temporary raw material shortages, losses continued.

xxvii. The domestic industry recorded negative growth in both volume and price parameters.

xxviii. Key raw material and NBA prices have increased substantially since the original investigation and the import price also increased.

xxix. On the submissions that the deterioration in the performance of the applicant is attributable to its own operational inefficiencies, alleged non-availability of raw materials, and frequent shutdowns, is incorrect, and the main reason was the continued presence of dumped imports at prices below the cost of sales of the domestic industry.

xxx. The domestic industry was forced to sell the product below variable cost, resulting in financial losses, and therefore had no option but to suspend production during several periods despite the availability of raw materials.

xxxi. On the submission of the interested parties that the Normal Butanol and 2-Ethyl Hexanol use the same raw material, which is procured from the same supplier. During the injury period,

the NBA plant did not operate for [***] days during the injury period, while the 2-EH plant did not operate only for [***] days.

xxxii. On the submission of the interested parties that imports merely supplemented the demand–supply gap is factually incorrect; the demand and supply gap is to the extent of [***] MT. However, the actual dumped imports during the period of investigation were [***] MT from subject countries and fresh dumping countries.

xxxiii. On the submission of the interested parties that the decline in production and capacity utilisation in 2022-23 is due to internal operational disruptions, however, the domestic industry remained idle for a substantial number of days far exceeding the period attributable to maintenance or raw material shortages.

xxxiv. On the submission of the interested parties that the profitability of the domestic industry declined due to shut down and lack of raw material is misleading, while part of the reduction was due to HPCL's maintenance shutdown, the decline is largely attributable to reduced production of NBA and 2-Ethyl Hexanol by the domestic industry.

xxxv. On the submission on increase in depreciation and interest, the domestic industry undertook some capital expenditure by installing certain new equipment's during the financial year 2022-23.

xxxvi. On the submission that increase in interest cost has caused injury, while interest costs increased in 2022-23 and marginally in the period of investigation, the decline in profitability is significantly higher than the increase in these costs.

xxxvii. On the submission that that the injury to the domestic industry is due to dependency on single raw material suppliers and lack of backward integration, however, the exporters have reduced their prices more than the reduction in cost. The domestic industry is sourcing the raw material from HPCL not only in the period of investigation but also in the previous years as well.

xxxviii. On the submission that commercial production by BPCL has caused injury to the domestic industry, it is submitted that BPCL commenced production in 2021-22, and the domestic industry was profitable in the base year. Had the commencement of production by BPCL been the cause of injury, the domestic industry would have suffered losses in the base year itself.

xxxix. On the statements in annual reports, the applicant has also attributed the decline in the performance of the product under consideration to drop in international oxo-alcohol prices which shows that it is the price of imports which is impacting the prices.

xl. On the submission of the ICRA reports, the ICRA report for August 2025 also talks that the operating margins were impacted and sharply declined to negative levels in FY2025 and Q1FY2026 from 10.7% in FY2024 as the spreads reduced with the fall in product prices because of cheaper imports.

G.3 Examination by the Authority

57. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "… *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles…".* In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as

production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.

58. With regard to the submission of the other interested parties that the injury to the domestic industry is attributable to abnormal increases in interest and depreciation costs rather than to market-driven factors, the domestic industry has submitted that its manufacturing facility was established in the late 1990s and that, during the base year, the plant and machinery had largely been depreciated, resulting in relatively low depreciation costs in the base year. The domestic industry has added three new machines in 2022-23, which led to an increase in depreciation and interest costs. It is seen that such capital expenditure or investment is a normal business decision for operational efficiency. It is seen that even after the increase, the depreciation and interest costs attributable to the product constitute less than 1% of the total cost of sales. The domestic industry has suffered significant losses in the period of investigation. Despite a marginal increase in depreciation and interest costs during the period of investigation, the decline in profitability during the same period is substantially higher than the increase in these costs.

59. With regard to the submission of the other interested parties that the domestic industry is dependent on only one supplier for propylene, which has affected its operations, it is seen that the domestic industry was sourcing its raw material from HPCL not only in the period of investigation but also in the previous years as well. Had the dependency on one raw material supplier impacted the performance of the domestic industry, it would have suffered losses in the past as well. It is also seen that the plant of the other producer is located in the nearby premises to the domestic industry, and therefore, sourcing raw material cost cannot be said to have caused injury to the domestic industry.

60. With regard to the submission of the other interested parties, the injury is caused due to factors such as shortage of propylene, reliance on single suppliers, decline in international oxo-alcohol, etc., which have caused injury to the domestic industry, it is seen that the other interested parties have not produced any evidence to substantiate their claims. Reference is also drawn to the WTO Panel Report in China – X-Ray Equipment, wherein the Panel held that where an interested party identifies a factor other than dumped imports causing injury but does not provide evidence showing how this factor is causing injury to the domestic industry, the investigating authority is not required to make a determination with regard to that factor. In the present case, the interested parties have made mere generic statements. The fact that the domestic industry was profitable in past and has suffered losses in the period of investigation alone shows that the other factors cannot be a cause of injury.

61. With regard to the submission of the other interested parties, that the commencement of production by BPCL has intensified domestic competition and caused decline in performance of the domestic industry during the period of investigation. It is noted that BPCL commenced production of the domestic like product in 2021. The domestic industry reported profits in the base year despite the commencement of production by BPCL. If the commencement of production by BPCL were the cause of injury, the domestic industry would have suffered losses immediately upon BPCL's entry into the market. It is also seen that the domestic industry recorded profits when the landed price of imports remained sufficiently higher than the cost of sales and selling price of the domestic industry and as the landed price declined below the cost and selling price, the profits in the base turned into losses with negative return on investment.

62. With regard to the submission of the other interested parties that the decline in the performance of the domestic industry is due to lack of raw material, the domestic industry has submitted that they

also produce 2-Ethyl Hexanol using the same raw material. During the period of investigation, the domestic industry had sufficient stock of raw material. Despite the availability of the raw material, the domestic industry did not undertake production of the Normal Butanol, even when production of 2-Ethyl Hexanol was being undertaken. The communication from the raw material supplier has been placed on record showing that the supplier continued its production and repeatedly asked the domestic industry to lift the raw material during the period when the domestic industry's plant was shut down. The domestic industry procures Propylene exclusively from Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) through a dedicated pipeline. HPCL primarily supplies Propylene to the domestic industry, as Propylene is not an easily tradeable commodity. Therefore, the suspension or reduction in production by the domestic industry equally impacts HPCL's offtake of Propylene. Therefore, decline in the production and capacity utilisation during the period of investigation is not due to lack of raw material but due to low priced subject imports.

63. With regard to the submission of the other interested parties that as per ICRA report, the operating margins of the domestic industry declined in FY 2023 due to reduced spreads following a fall in product prices amid weak global demand and that the margins continue to remain vulnerable. These factors have adversely impacted the performance of the domestic industry. It is noted that while the reports acknowledge the exposure of the domestic industry's profitability to fluctuations in the spread between product prices and feedstock costs, the reports recognise that the decline in margins coincided with a fall in product prices. The reports also identify intense competition from imports as a factor impacting margins, along with exposure to global price volatility and the absence of backward integration. Accordingly, the contention of the other interested parties cannot be accepted.

64. The Authority has taken note of the various submissions made by the domestic industry and other interested parties on injury and causal link and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis carried out by the Authority *ipso facto* addresses submissions made by the domestic industry and other interested parties.

65. The Authority notes that it is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration, while some others may not. The Authority has considered all injury parameters and, thereafter, concludes whether injury to the domestic industry continues, or recur, in case the antidumping duty is ceased. The Authority has examined the injury parameters objectively considering the facts and arguments submitted by the domestic industry and other interested parties.

66. The Authority has also examined the arguments and counterarguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.

G.3.1 Volume effect of the dumped imports

a. Assessment of demand/consumption

67. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the domestic industry, domestic sales of other producers and imports of Normal Butanol from all sources.

SN	Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Imports from subject countries	MT	**18,250**	**23,256**	**41,656**	**39,334**
2	Imports from fresh countries	MT	2,138	9,363	14,337	25,695

	under investigation					
3	Imports from other countries	MT	6,075	0	0	1,674
4	Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	75	82	65
5	Sales of other Indian producers	MT	21,306	26,900	28,400	28,400
6	**Total demand**	**MT**	***	***	***	***
	Trend	Index	100	111	150	161

68. It is seen that the demand for the product increased over the injury period by 60%. It is seen that the demand for the domestic like product has sharply increased when the anti-dumping measures were in place.

b. Imports in absolute and relative term

69. With regards to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of the injury analysis, the Authority has relied on the DG system import data. The information is as below:

SN	Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Imports from subject countries	MT	18,250	23,256	41,656	39,334
2	Imports from fresh countries under investigation	MT	2,138	9,364	14,337	25,695
3	Imports from other countries	MT	6,075	0	0	1,674
	Indian Production	MT	***	***	***	***
	Total consumption	MT	***	***	***	***
3	Subject countries import in relation to					
a	Indian production	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	127	214	207
b	Indian consumption	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	115	152	133
a	Total imports	%	69%	71%	74%	59%
	Trend	Index	100	103	108	86

70. It is seen that:

i. The volume of imports from the subject countries increased in 2022-23 and further increased in 2023-24 but marginally declined in the period of investigation. On overall basis, the volume of subject imports has doubled in the period of investigation as compared to base year.

ii. The marginal decline in the imports from the subject countries during the period of investigation is due to surge in imports from fresh countries under investigation.

iii. The imports from subject countries in relation to Indian production have increased from [***] % in the base year to [***] % in the period of investigation.

iv. The imports from subject countries in relation to Indian consumption have increased from [***] % in the base year to [***] % in the period of investigation.

71. With regard to the contention that imports from the subject countries increased in relation to the demand-supply gap in the country, it is seen that during the period of investigation, the total demand for the product was [***] MT, whereas the combined installed capacity of Indian producers was [***] MT, resulting in a demand–supply gap of [***] MT. However, the actual volume of imports from the subject countries and fresh countries under investigation was [***] MT, which is significantly higher than the demand–supply gap.

G.3.2 Price effect of the dumped imports

72. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

a. Evolution of price

73. The major raw materials required for the production of normal butanol are naphtha and propylene and the Authority has examined the raw material costs and import prices over the injury period. The table below shows the relevant information.

SN	Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	Raw material price	Rs/MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	116	102	106
2	CIF Import price	Rs/MT	1,30,801	94,146	79,050	82,926
	Trend	Index	100	72	60	63

74. It can be seen that while the prices of raw material have increased in 2022-23, the import price from the subject countries has declined. Although the price of raw material declined in 2023-24, the import prices from the subject countries have also declined. When seen over the injury period, the raw material prices increased by 6% or Rs [***] per MT, whereas import prices from the subject countries declined by 37 or Rs [***]. It is therefore evident that import prices have not moved in line with raw material prices.

b. Price undercutting

75. Price undercutting has been determined by comparing the net sales realization of the domestic industry with the landed price of the imports for the period of investigation. The table below shows the price undercutting from the subject countries.

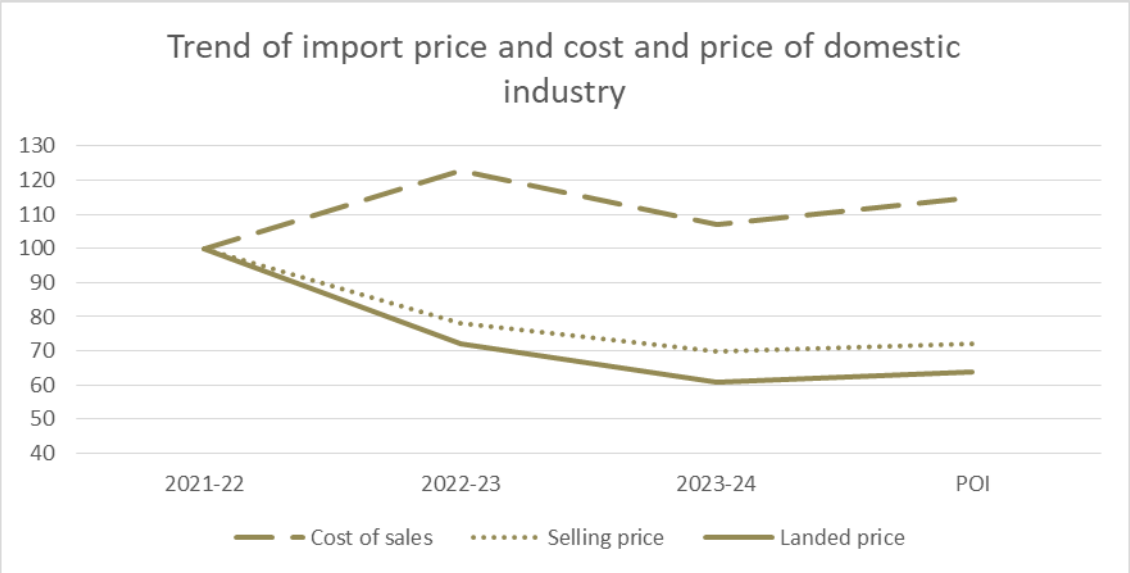
SN	Subject countries	Net sales realisation	Landed price	Price undercutting		
		Rs/MT	Rs/MT	Rs/MT	%	Range
1	Malaysia	***	84,965	***	***	0-10%
2	South Africa	***	87,031	***	***	0-10%
3	USA	***	89,484	***	***	0-10%
4	Weighted average	***	87,102	***	***	0-10%

76. It is seen that landed price from the subject countries is significantly below the selling price of the domestic industry resulting in positive price undercutting. It is seen that price undercutting is positive, despite domestic industry selling the product at losses.

c. Price suppression and depression

77. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, were compared as below:

SN	Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Cost of sales	Rs/MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	123	107	115
2	Selling price	Rs/MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	78	70	72
3	Landed price	Rs/MT	1,35,421	97,802	82,718	87,102
	Trend	Index	100	72	61	64



78. It is seen that:

i. In 2022-23, while the cost of sales of the domestic industry increased by 23 index points, its selling price declined by 22 index points. Consequently, the profits of the domestic industry declined sharply and turned into losses.

ii. In 2023-24, both the cost of sales and the selling price of the domestic industry declined. However, since the selling price did not decline in the same proportion as the cost of sales, the profitability of the domestic industry showed some improvement, but the domestic industry continued to incur losses.

iii. During the period of investigation, the cost of sales increased by 9 index points, whereas the selling price of the domestic industry declined by 2 index points. The selling price did not increase in line with the increase in the cost of sales. As a result, the losses of the domestic industry intensified during the same period.

iv. The landed price of imports was above the cost of sales in 2021-22 but has steeply declined in 2022-23, 2023-24 and marginally increased in period of investigation. The landed price of imports is below the cost of sales in 2022-23, 2023-24 and the period of investigation.

v. Over the injury period, the cost of sales increased by 15%, but the selling price has declined by 28%. Therefore, the selling price of the domestic industry are depressed in the period of investigation.

G.3.3 Economic parameters of the domestic industry

79. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions.

a. Production, capacity, capacity utilisation and domestic sales

80. The Authority has considered capacity, production, capacity utilization and domestic sales of the domestic industry over the injury period.

SN	Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Installed Capacity	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	100	100	100
2	Capacity utilisation	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	72	78	71
3	Production	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	72	78	71
4	Domestic sales	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	75	82	65

81. It is seen:

i. The capacity of the domestic industry has remained constant over the injury period.

ii. The production and capacity utilisation of the domestic industry declined in 2022-23. The domestic industry has submitted that this decline was partially on account of a shutdown of the domestic industry plant for maintenance purposes and imports from non-subject countries.

iii. As the plant operated during 2023-24, both production and capacity utilisation increased. However, during the period of investigation, production as well as capacity utilisation again declined. This decline was partly attributable to shutdown of the plant for some period, and due to increase in dumped imports.

iv. Domestic sales of the domestic industry followed the same trend as production. During the period of investigation, the domestic industry was able to sell around 90% of its production, primarily because it was forced to sell the product at losses.

82. The domestic industry submitted that, due to dumped imports, it was forced to curtail production during the injury period. The domestic industry has provided daily production records which shows that the number of non-production days increased from [***] days in 2021-22 to [***] days during the period of investigation, with the production loss increasing over the injury period.

83. The table also shows the production lost by the domestic industry.

Year	Number of days	Production loss in MT
2021-22	***	***
2022-23	***	***
2023-24	***	***
2024-25	***	***

Source – Written submissions

84. The domestic industry clarified that production was suspended due to a shortage of raw materials only during the period from 9 September 2024 to 5 October 2024, and due to a maintenance shutdown only during the period from 21 July 2022 to 31 August 2022. Except for these two limited periods shutdown, the domestic industry had sufficient availability of raw materials and the operational capability to undertake production. Despite that the production was curtailed during the remaining period due to adverse market conditions. Over the injury period, the domestic industry curtailed its production for [***] days.

b. Market share

85. The Authority has examined the effect of the dumped imports on the market share of the domestic industry, other Indian producers, subject countries and other countries as under.

SN	Market share of	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Domestic industry	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	68	55	41
2	Other Indian producer	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	114	89	83
3	Subject countries	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	115	152	135
4	Imports from other countries	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	103	116	206

86. It is seen that:

i. The market share of imports from subject countries increased till 2023-24 and marginally declined in the period of investigation. The marginal decline of the market share of subject imports in the period of investigation is due to sharp increase in imports from Taiwan and Saudi Arabia (fresh countries under investigation).

ii. The market share of the domestic industry declined over the injury period and lowest in the period of investigation.

iii. The market share of imports from other countries has increased significantly in the period of investigation as compared to the base year.

iv. The market share of Indian industry as a whole has also declined over the injury period from [***] in the base year to [***] in the period of investigation.

c. Profitability, cash profit and return on capital employed

87. The performance of the domestic industry has been examined in respect of profitability, profits, cash profits, PBIT, and return on investment.

SN	Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Profit/loss	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	-13	-7	-13
2	Profit/loss	Rs Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	-9	-6	-8
3	Cash Profit	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	-9	-5	-11
4	Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	-7	-4	-7
5	PBIT	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	-8	-4	-7
6	ROI	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	-8	-4	-7

88. It is seen that:

i. The domestic industry was earning profits in the base year. But with the steep decline in the landed price of imports from subject countries in 2022-23, the profits of the domestic industry declined significantly and turned into losses.

ii. The domestic industry suffered losses in 2023-24 as well which increased in the period of investigation. With an increase in dumped imports, the losses of the domestic industry intensified during the period of investigation.

iii. The profit per unit of the domestic industry has declined from Rs [***] per MT in the base year to a loss of Rs [***] per MT in the period of investigation.

iv. Similar trend has been seen in the cash profit and profit before interest. Both cash profits and PBIT have declined by more than 90% respectively over the injury period and the domestic industry has suffered cash losses and negative return on capital employed in the period of investigation.

v. As the domestic industry is suffering losses due to low-priced imports from the subject countries, the return on investment declined sharply, turned negative in 2022-23, and remained negative for the rest of the period.

d. Inventories

89. The inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

SN	Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Opening inventory	MT	***	***	***	***

2	Closing inventory	MT	***	***	***	***
3	Average inventory	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	139	100	193

90. It is seen that the average inventory with the domestic industry sharply increased in 2022-23 and declined in 2023-24. However, the inventory sharply increased in the period of investigation.

91. The Authority verified the inventory of the domestic industry and notes that, despite selling more than [***%] of its production, the closing inventory of the domestic industry during the period of investigation is materially high.

92. The domestic industry has submitted that it was operating with inventory levels significantly higher than the daily average consumption that the market could absorb. During the period of investigation alone, the domestic industry held inventory for around [***] days had inventory levels more than [***] MT that could have catered for the average demand for 5 days. The capacity of the domestic industry is less than the demand and, in a situation, where the demand is more than the capacity, there is no reason for a producer to operate with high inventory. The market can easily absorb the extent to which the domestic industry is producing on daily basis.

e. Employment, wages and productivity

93. Employment, wages and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

SN	Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	No of employee's	Nos.	***	***	***	***
	Trend	Index	100	99	105	101
2	Salaries & Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	80	72	91
3	Productivity Per day	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	72	78	71
4	Productivity Per employee	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	73	74	71

94. It is noted that the no. of employees, productivity per day and productivity per employee declined in 2022-23 and increased in 2023-24 but declined again in the period of investigation. Salaries and wages declined till 2023-24 but has increased again in the period of investigation.

f. Growth

95. The growth of the domestic industry in terms of capacity, production, domestic sales volume, PBT, PBIT, cash profits and the return on capital employed is as per given table below:

SN	Particulars	UOM	2022-23	2023-24	POI
1	Production	Y/Y	-28%	8%	-8%
2	Capacity Utilisation	Y/Y	-20.73%	4.06%	-4.49%
3	Domestic Sales	Y/Y	-25%	10%	-21%
4	Inventory	Y/Y	39%	-28%	92%
5	Profit Per Unit	Y/Y	-113%	47%	-94%

6	Profit in Rs Lacs	Y/Y	-109%	41%	-54%
7	Cash Profit in Rs Lacs	Y/Y	-107%	34%	-65%
8	ROCE	Y/Y	-61%	2%	-1%

96. It is seen that the growth of the domestic industry during the period of investigation has been a negative in all the price and volume parameters compared to previous year.

g. Ability to raise capital investment

97. The Authority notes that the domestic industry is suffering from financial losses and a negative return on capital employed. There is a demand-supply gap in the country, however, the current performance does not justify fresh investment. Therefore, the ability to raise capital has been severely impacted, preventing the domestic industry from expanding its capacity.

h. Factor affecting the domestic prices.

98. The examination of DG System imports data shows that the landed price from the subject countries is below the cost of sales and the selling price of the domestic industry and forced to sell the product at losses. The domestic industry has been unable to increase its selling price commensurate with the changes in the cost of sales. Consequently, the domestic industry continued to suffer from losses with negative return on investment in 2022-23, 2023-24 and the period of investigation. There is significant price effect of the imports due to low priced imports from subject countries. The Authority therefore holds that the imports from the subject countries have affected the prices of the domestic industry.

i. Magnitude of dumping

99. It is seen that there is continued dumping of the subject goods in India from the subject countries except BASF PETRONAS Chemicals Sdn. Bhd. (BASF).

H. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY

H.1 Submission of the other interested parties

100. The other interested parties have made the following submissions with regards to injury and causal link:

i. There is no evidence that PETRONAS Group in Malaysia plans any capacity expansion, or that it sells below cost, absorbs duties, or faces market pressures that would divert exports to India. There is no likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury.

ii. Import volumes from Malaysia have remained stable throughout the injury period and are almost at the same level in the period of investigation as in the base year, with no surge or abnormal increase.

iii. The overall increase in imports into India is explained by a structural demand–supply gap, as domestic capacity meets only a fraction of total demand, and by temporary production disruptions faced by the domestic industry due to plant shutdowns and feedstock shortages.

iv. There is no incentive to divert exports to India at dumped prices, given high-capacity utilization, absence of excess capacity, higher profitability in third-country markets, and the marginal share of India in total sales.

v. The Indian market therefore plays a marginal role in BASF's global sales strategy. BASF group's production of NBA is largely absorbed through captive consumption, and exports to

multiple third-country markets, there is no economic compulsion to target a specific market such as India with dumped exports.

vi. BASF's export structure further confirms this position. Only about [***] MT of total sales of the PUC are exports to India. In contrast, [***] MT of sales are exports to other countries. This diversified sales portfolio demonstrates that BASF is not dependent on the Indian market for maintaining production levels or financial viability.

vii. BASF Group continues to export to several other markets at profitable prices. There is no evidence of trade restrictions in other markets that would force redirection of exports to India.

viii. There is no likelihood of continuation or recurrence of dumping from Malaysia and no likelihood of recurrence of injury to the domestic industry on account of imports from Malaysia. Imports from Malaysia have remained stable in volume and value, are fairly priced, and are not driven by excess capacity or export distress.

H.2 Submission of the domestic industry

101. The domestic industry has made the following submissions with regards to injury and causal link:

i. Despite duties in place, the imports from the subject countries increased over the injury period.

ii. Producers in the subject countries have substantial excess capacities far exceeding their domestic demand.

iii. The producers from subject countries have high export orientation ratio, particularly for Malaysia and South Africa.

iv. US NBA production capacity remains significantly higher than domestic demand, with plants operating at low utilization levels.

v. With the commissioning of a new 250,000 tonne propylene plant by Formosa Plastics in Texas, feedstock availability is expected to improve, leading to higher NBA output and diversion to Indian market.

vi. Normal butanol producers in the USA and Malaysia are currently facing weak domestic demand, excess supply, low-capacity utilisation, and surplus production. With the Chinese market remaining closed due to continued duties, exporters from the USA and Malaysia are compelled to seek alternative overseas markets to dispose of surplus production.

vii. Producers from subject countries are exporting a large share of their products to third countries at dumped prices.

viii. A significant portion of these third-country exports is priced below Indian market prices shows that India remains a high priced and attractive market.

ix. The Indian market is highly attractive for subject countries due to their history of dumping in India, diversion of exports from China due to tariffs and surplus production capacity.

x. The existing duties, based on older price levels, are now insufficient to offset the injurious effects of dumping. There is a need for enhancement of the anti-dumping duties is justified and necessary.

xi. In the post-POI, landed prices of subject imports declined further. The landed price has declined more than the cost of sales.

xii. The dumped imports continued to depress the applicant's prices, forcing the applicant to sell the product below the cost. As a result, the losses intensified in the post period of investigation.

H.3 Examination by the Authority

102. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the requirement laid down under Section 9A(5), Rule 23 and parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure - II (vii) of the anti-dumping rules. and other relevant factors brought on record by the interested parties.

103. The present investigation is a sunset review of duties imposed on the imports of the product under consideration from Malaysia, South Africa and United States of America. Under the Rules, the Authority is required to determine whether cessation of existing duty is likely to lead to continuance or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

104. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, Clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, inter alia for factors which are required to be taken into consideration, viz.

a. A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.

b. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.

c. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices and would likely increase demand for further imports; and

d. Inventories of the article are being investigated.

105. The Authority has, *inter alia*, considered the above requirements and following parameters in order to determine whether dumping is likely in the event of cessation of anti-dumping duty, and if so, whether the same is likely to cause injury to the domestic industry in case of cessation of anti-dumping duty. Additionally, the Authority has examined all the relevant information brought on record by the domestic industry and the other interested parties.

a. Continued dumping of the subject goods from subject countries

106. The table below shows the dumping margin determined by the Authority in the original, the first sunset and the present investigation.

SN	Subject countries	Original Investigation	1st SSR investigation	Present investigation
1	PETRONAS Chemicals Derivatives Sdn Bhd (“PCD”)	10-15	30-40	0-10
2	BASF PETRONAS Chemicals Sdn. Bhd. (BASF)	0-5	0- 10	(0-10)
3	Any Other	15-20	30-40	10-20
3	South Africa	10-15	30-40	20-30
4	USA	20-25	30-40	20-30

107. It is seen that the dumping from the subject countries has continued. The continued dumping demonstrates that there is a likelihood of continued and aggravated dumping in the event of expiry of anti-dumping duties as the dumping margin continues to remain positive and significant.

b. Increase in imports of subject goods

108. The table below shows the import volume in the injury period.

SN	Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Imports from subject countries	MT	18,250	23,256	41,656	39,334

109. It is seen that the imports from the subject countries increased in 2022-23 and further sharply increased in 2023-24 but marginally declined in the period of investigation. The decline in the period of investigation is due to sharp increase in imports from Taiwan and Saudi Arabia. Despite the decline, the volume of imports in the period of investigation was double as compared to the base year. The increase in the dumped imports despite anti-dumping duties in place shows the likelihood of further increase in imports in the event of expiry of measures.

c. Likely suppressing/depressing effect of imports.

110. The table below shows a comparison between the import price and the cost of sales of the domestic industry.

SN	Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Cost of sales	Rs/MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	123	107	115
2	Landed price	Rs/MT	1,35,421	97,802	82,718	87,102
	Trend	Index	100	81	74	81
3	Difference	Rs/MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	-17	-20	-25

111. It can be seen that the cost of sales of the domestic industry has been continuously higher than the landed price during the injury period except in 2021-22. The imports are entering the Indian market at a price which is below the cost of sales of the domestic industry. When the imports are priced below the cost of sales of the domestic industry, it is evident that they are likely to have a suppressing or depressing impact on the prices of the domestic industry.

d. Duty imposed by other countries to the subject countries

112. The domestic industry submitted that the Ministry of Commerce of the People's Republic of China (MOFCOM) imposed anti-dumping duties on imports of N-butanol originating in Taiwan, Malaysia, and the United States in December 2018, after concluding that such imports had caused material injury to the domestic industry in China The duties were imposed for a period of five years and were further extended in 2023 with the rates ranging from 6.0% to 56.1% for Taiwan and 12.7% to 26% for Malaysia and 52% to 139% for USA . It is seen that the duties imposed by MOFCOM clearly demonstrate that producers from Malaysia and the United States of America are also engaged in dumping of the subject product in the other markets.

e. India is lucrative market for the subject countries.

113. The table below shows the exports made to third countries by the responding producers from the subject countries and volume of exports at attractive prices (exports below price to India).

SN	Subject countries	Total exports in MT	Attractive exports in MT	Share of attractive export
1	PETRONAS Chemicals Derivatives Sdn Bhd ("PCD")	***	***	38%
2	BASF Petronas Chemicals Sdn. Bhd., Malaysia	***	***	34%
3	USA	31,721	17,244	54%
4	South Africa	1,24,865	82,950	66%
	Total	2,19,666	1,23,660	56%

Source: Exports for Malaysia, USA and South Africa are as trademap data given by the Applicant.

114. It is seen that

i. In case of BASF Petronas Chemicals Sdn Bhd, Malaysia 34% of exports are at attractive prices

ii. In case of Petronas Chemical Marketing (Labuan) Ltd, Malaysia, 38% of exports are at attractive prices

iii. In case of South Africa, 66% of exports are at attractive prices.

iv. In case of USA, 54% of exports are at attractive prices.

f. Third country injurious exports

115. The table below shows the exports made to third countries by the responding producers from the subject countries and volume of exports at injurious prices (exports below non-injurious price).

SN	Subject countries	Total exports in MT	Injurious exports in MT	Share of injurious export
1	PETRONAS Chemicals Derivatives Sdn Bhd ("PCD")	***	***	75%
2	BASF Petronas Chemicals Sdn. Bhd., Malaysia	***	***	49%
3	USA	31,721	13,747	43%
4	South Africa	1,24,865	69,670	56%

116. It is seen that

i. In case of BASF Petronas Chemicals Sdn Bhd, Malaysia, 49% of exports are at injurious prices

ii. In case of Petronas Chemical Marketing (Labuan) Ltd, Malaysia, 75% of exports are at injurious prices

iii. In case of USA, 43% of exports are at injurious prices.

iv. In case of South Africa, 56% of exports are at injurious prices.

I. CAUSAL LINK & NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

117. As per the Rules, the Authority is required to, inter alia, examine any known factors other than dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. While the present investigation is a sunset review investigation and causal link has already been examined in original investigation, the Authority examined whether other known listed factors have caused or are likely to cause injury to the domestic industry. It was examined whether other factors listed under the Rules could have contributed or likely to contribute to the injury suffered by the domestic industry.

a. Volume and price of imports from third countries

118. It is noted that apart from the imports from the subject countries,there were imports above de-minis level from Taiwan and Saudi Arabia.. These imports too have on *prima facie* basis found to be at dumped and injurious prices. These imports are also subject to investigation.

b. Contraction in demand

119. It is seen that the demand for the product under consideration has increased over the injury period. The investigation has not shown that the demand is likely to decline.

c. Trade restrictive practices

120. It is seen that there is no trade restrictive practice which has caused or is likely to cause injury to the domestic industry.

d. Development of technology

121. It is noted that information on record shows that technology for production of the product has not undergone any change.

e. Export performance

122. The domestic industry has not exported the product to the international market.

f. Performance of other products of the company

123. The Authority has considered data relating to the performance of the subject goods only.

124. The Authority notes that other known factors which could have caused injury to the domestic industry have been duly examined in the non-attribution analysis above and do not appear to have caused injury to the domestic industry. The following factors establish that injury is caused due to dumping.

a. The dumping margin for all producers and exporters from subject countries with the exception of BASF Petronas Chemicals Sdn. Bhd. is positive.
b. The import price is below the selling price and cost of sales of the domestic industry.
c. While the cost of sales of the domestic industry has increased, the import price has declined. As the imports are priced below the cost of sales of the domestic industry, they have prevented the domestic industry from increasing its prices in line with changes in costs.
d. As a result of the low-priced imports, the profit per unit of the domestic industry has significantly declined in the period of investigation.
e. The imports from the subject countries increased. As the imports are priced lower than the cost and price of the domestic industry, the market share of the domestic industry has declined and that of the dumped imports has increased.
f. With the decline in the market share of the domestic industry in the period of investigation, the domestic sales and production have also declined.

J. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

125. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in AD Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pretax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III to the AD Rules.

126. The landed price and non-injurious price determined as above have been compared for the product under consideration. The injury margin determined for the producers/exporters is provided in the table below:

SN	Particular	NIP	Landed	Injury margin	Injury Margin %	Injury Margin %
		(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	%	Range
A	**Malaysia**					
1	BASF PETRONAS Chemicals Sdn. Bhd.	***	***	***	***	10-20
2	Petronas Chemical Marketing (Labuan) Limited	***	***	***	***	10-20
3	Any other	***	***	***	***	20-30
B	**South Africa**	***	***	***	***	0-10
C	**USA**	***	***	***	***	0-10

K. INDIAN INDUSTRY INTEREST AND OTHER ISSUES

K.1 Submission made by the other interested parties

127. The other interested parties have made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

i. The evidence on record shows that the operating margins of the participating users are extremely thin. Even marginal increases in input costs have a disproportionate impact on viability.

ii. The existing anti-dumping duties already result in cost increases ranging from 0.5% to 7%. These cost increase exceed downstream profitability and cannot be passed on due to intense market competition.

iii. Continuation of duties would result in severe economic harm to downstream industries, including risks of plant shutdowns, job losses, reduced export competitiveness, and substitution of domestic manufacturing by imports of finished goods.

iv. There is a huge demand-supply gap regarding product under consideration in the India market.

v. Total domestic demand for the product under consideration increased sharply over the injury period.

vi. The domestic producer has disclosed that its installed capacity of oxo chemicals is about 80,000 MT, whereas total Indian demand is about 3,30,000 MT. Thus, domestic capacity meets only about one-fourth of total India demand of product under consideration.

K.2 Submission made by the domestic industry

128. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

i. The product is majorly used in plasticizers and paints industry, the impact of proposed measures on end product is around 1%.

ii. The product has been subject to anti-dumping duty measures in the past, and there has not been a single instance of any adverse impact of the anti-dumping duty on the downstream industry.

iii. Anti-dumping duties have remained in force for 8–9 years but the demand has shown a continuous increasing trend.

iv. When the landed price of imports from subject countries remained at a high level, total demand increased. The downstream industry was able to absorb higher input costs without any adverse impact on overall demand growth.

v. The producers in the subject countries focus solely on profits and have no interest in the long-term development of the Indian market. They will divert sales if better prices are available elsewhere. In contrast, the Indian industry, being domestic, considers the interests of Indian consumers.

vi. The applicant has allocated Rs 2,68,64,978 CSR Expenditure for FY 2024-25. The entire CSR amount was disbursed to non-profit hospital

vii. The allegation that continuation of anti-dumping duty on the subject goods would increase the cost on the downstream industries is factually incorrect. The continuation of anti-dumping duties would have negligible impact.

viii. Even user submissions acknowledge that the duty impact varies between 0.5% and 7% depending on the source of imports. However, considering that the highest duty applies to Malaysia, the actual impact is less than 1%.

ix. The allegation that the duty would result in plant shutdowns job losses, reduced export competitiveness, and substitution of domestic manufacturing by imports of finished goods is a mere statement and made without any evidence.

K.3 Examination by the Authority

129. It was examined whether the recommendation for continuation of imposition of anti-dumping duty will be against public interest. This determination is based on consideration of information on records and interests of various parties including the domestic industry, foreign producers and consumers.

130. The purpose of anti-dumping measures, in general, is to eliminate injury caused to the applicant by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in

the Indian market, which is in the general interest of the country. It is noted that the continuation of the anti-dumping duties might affect the price levels of the product under consideration as well as other downstream products manufactured by using the subject goods in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, the continuation of anti-dumping measures would prevent the decline in the performance parameters of the domestic industry that may ensue as a consequence of low-priced imports from the subject countries and help maintain the wider availability of choices to the consumers of the product under consideration.

131. It is noted that imposition of anti-dumping duty does not restrict imports. Imports will continue to happen at fair prices. Anti-dumping duty ensures that the imports are entering the Indian market at fair prices and a level playing field is maintained between the foreign exporters and the domestic industry.

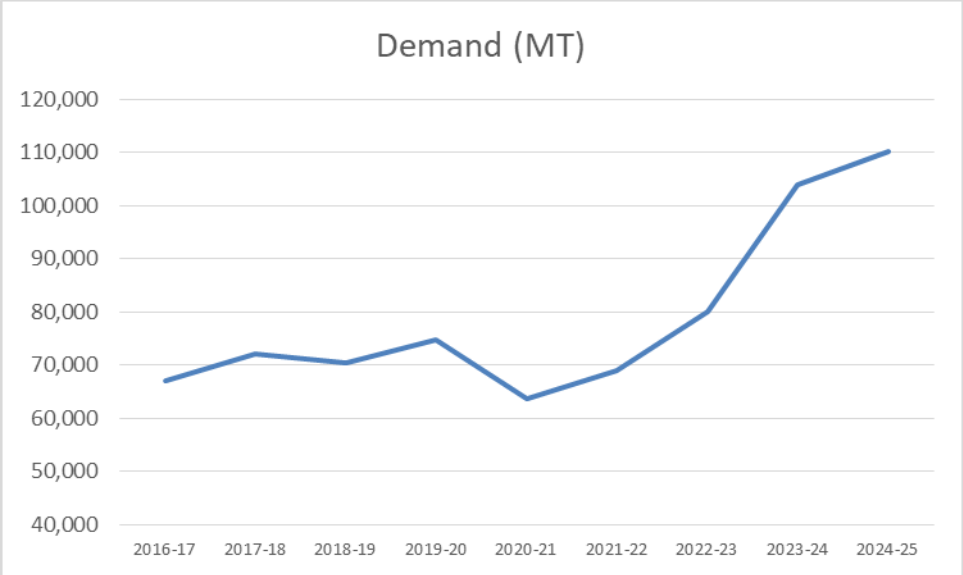
132. The Authority had prescribed an economic interest questionnaire which was sent to all interested parties in this investigation. The domestic industry, BASF India Limited, KLJ Petroplast Limited, KLJ Resources Limited, and Payal Polyplast Private Limited have filed economic interest questionnaire.

133. The table below shows the landed price of imports from the subject countries in the period of investigation and the anti-dumping duty in force. It is seen that the anti-dumping duty is only 1-3% of the landed price.
Current duties

Country	**ADD $/MT**	**ADD Rs/MT**	**Landed Rs/MT**	**ADD as % of landed**
Malaysia	26	2,262	85,033	3%
South Africa	13	1,131	79,471	1%
USA	24	2,063	89,589	2%

134. While the other interested parties have claimed that continuation of anti-dumping duty would impact the performance for the downstream industries by 1% to 7%. However, it is seen that when the anti-dumping duty in force is only less than 3% of the landed price, the anti-dumping duty impact cannot be as high as 7%.

135. The table below shows the historical demand for the product under consideration. It is seen that the demand for the product under consideration grew consistently with a decline the period 2020-21, which was the period of Covid where the economy was impacted by the Covid outbreak. The demand grew thereafter. It is seen that the demand grew in 2021-22. It is seen that despite there being antidumping duty, the demand for the product had continued to increase. The increase in the demand when anti-dumping duty is in force shows that the duties did not affect the operations of the downstream industry.



136. It is seen that the impact of continuation of anti-dumping duty on downstream industries is insignificant.

137. The domestic industry submitted that the continuation of anti-dumping duties encouraged another domestic producer to establish production facilities for normal butanol in India. In 2021, Bharat Petroleum Corporation Limited commenced commercial production of normal butanol, along with other oxo-alcohols, with an installed capacity of 38,000 MT. In the post-period of investigation, Indian Oil Corporation Limited commissioned a plant for normal butanol with an installed capacity of 90,000 MT. It is noted that while a part of the capacity is intended for captive consumption, the product is also supplied to the domestic market. The combined capacity of the domestic industry, BPCL, and IOCL is sufficient to meet more than 80% of the demand in the country.

L. **POST-DISCLOSURE COMMENTS**

L.1 Comments filed by the other interested parties.

138. The following comments on the disclosure statement have been filed by the other interested parties:

i. The Authority has failed to demonstrate that the present investigation qualifies to be a 'special case' for imposition of anti-dumping duty beyond a period of 10 years.

ii. Under Rule 23(1B) of the AD Rules and Article 11.3 of the ADA, anti-dumping duties lapse after 5 years unless a properly initiated review justifies their continuation

iii. Since the domestic industry composition can change over time by entry of a new producer or by shifts in market share, the eligibility/standing of the domestic industry in a sunset review is not automatically the same as in the original investigation.

iv. Article 11.3 of ADA and Rule 23 of the AD Rules requires that a sunset review be initiated "on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry" and therefore, there is a requirement for re-assessment of who constitutes the domestic industry and the level of support for the review.

v. The share of APL is only 35% and such a share constitutes a low proportion and does not represent a "major proportion" of domestic production. Accordingly, APCL cannot

be considered to qualify as the domestic industry for the purposes of the present investigation.

vi. The conclusion that BPCL's commencement of production in 2021 has not caused injury because the DI reported profits in 2021-22 is arbitrary and ignores the requirement of non-attribution analysis.

vii. The data relied on by the Hon'ble DA in this respect in fact shows a decline in the rate of alleged dumped imports.

viii. The Authority has not examined the existence of *"surplus capacities"* in the subject countries.

ix. Imports from Malaysia fluctuated in response to market conditions and availability of domestic supply. The absence of a continuous upward trend, coupled with a decline in the POI, confirms that there is no significant increase in absolute import volumes from Malaysia

x. Merely examining the duty rate as a percentage of landed price is not the appropriate measure of impact on downstream industries.

xi. Interest costs have increased, from an indexed level of 100 in 2021–22 to 169 in the period of investigation. Higher finance costs further affect net profitability and are independent of imports.

xii. The price of the product under consideration in the Indian market is driven by international market dynamics. Therefore, the claims that the domestic industry's price are affected by dumping are unfounded.

xiii. Since the original imposition of duty, the market has undergone substantial changes in terms of supply chain structure, pricing patterns, global trade flows, and domestic demand. Sunset review requires fresh examination of market conditions

L.2 Comments filed by the domestic industry.

139. The following comments on the disclosure statement have been filed by the domestic industry:

i. The Authority has found in case of BASF Petronas Chemicals Sdn. Bhd that there are no domestic sales, and therefore, the normal value has been determined on the basis of cost of production, along with SGA and profit margin. The applicant requests the Authority to kindly disclose the range and the methodology adopted for determination of profit margin.

ii. The profit margin should be based only on profitable sales. The Anti-Dumping Rules require the profit to be based on actual data from ordinary course of trade implying that loss-making transactions must be excluded from the profit calculation.

iii. In the case of anti-dumping investigation on imports of Glass Fiber, the profit margin was determined basis the profitable domestic sales.

iv. A negative dumping margin for cooperating producers does not justify cessation of anti-dumping duties in a sunset review. The purpose of a sunset review investigation is to examine whether the expiry of duties would likely lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

v. The Authority is requested to analyse third-country export prices. This is essential to assess exporters' pricing behavior. The Authority conducted this analysis in the first sunset review as well.

vi. The Authority is requested to analyse the existence of surplus capacities with the producers in the subject countries. The Authority conducted this analysis in the first sunset review as well.

L.3 Examination by the Authority.

140. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the interested parties. It is seen that most of these submissions are reiterations of arguments and contentions that have already been examined and addressed to the extent deemed necessary in the relevant paragraphs of these final findings. The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions by the interested parties and the domestic industry and considered relevant by the Authority are examined below. Any submission which was merely a reproduction of the previous submissions, and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.

141. On the comments that the applicant does not represent the domestic industry as its share in total production is below 50%, the Authority notes that the issue of standing was already examined in the disclosure statement. BPCL has neither supported nor opposed the application . In such a situation, the production of the applicant constitutes a major proportion of the domestic production within the meaning of the Rules, and the applicant constitutes domestic industry. The present application was filed by domestic industry and therefore requirements of Rule 23 are fulfilled

142. The other interested parties submitted that it is required to be demonstrated that the present investigation qualifies to be a 'special case' for imposition of anti-dumping duty beyond a period of 10 years. Authority notes anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that, if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period up to five years. The only condition necessary for extension of duties is whether cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. As per Section 9(A)(5) of the Act and Rule 23 of the Rules, there is no restriction on the maximum period for which the duty can remain in force. The only condition necessary for extension of duties is whether cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry. The antidumping duty can be extended for a period as long as necessary to counteract likelihood of dumping and injury, or withdrawn, if there is no justification for continuation of duty.

143. On the comments that the prices in the Indian market are driven by international market dynamics. It is seen that the import price is below the cost of sales of the domestic industry, and the Authority has found that the imports have entered the Indian market at dumped

prices. The domestic industry is not engaged in exports of the product under consideration and, therefore, the relevant benchmark for price determination is the price of imports into India. Therefore, the comment that international market dynamic has affected the prices cannot be accepted.

144. The users and the domestic industry have stated that the Authority has not examined the existence of surplus capacities. The table below shows the surplus capacities based on information on record.

SN	Subject countries	Installed Capacity (MT)	Production (MT)	Surplus capacities (MT)
1	BASF PETRONAS Chemicals Sdn. Bhd.	***	***	***
2	Petronas Chemical Marketing (Labuan) Limited	***	***	***

Source: Production and exports for PETRONAS Chemicals Derivatives Sdn Bhd ("PCD") and BASF Petronas Chemicals Sdn. Bhd., Malaysia analysis done as per EQR.

145. It is also seen that

i. In the case of PETRONAS Chemicals Derivatives Sdn Bhd, ***% of production are being utilized for exports.

ii. In the case of BASF Petronas Chemicals Sdn Bhd, ***% of production are being utilized for exports.

146. The Authority has additionally examined whether the exports to third countries by the producers from the subject countries are below the normal value. The table below shows the exports made to third countries and the volume of exports below the associated normal value.

SN	Subject countries	Total export	Third country exports below normal value	Share in total exports	Range (%)
1	BASF PETRONAS Chemicals Sdn. Bhd.	***	***	***	40-50
2	Petronas Chemical Marketing (Labuan) Limited	***	***	***	40-50
3	USA	***	***	***	60-70
4	South Africa	***	***	***	90-100

Source: Exports for PETRONAS Chemicals Derivatives Sdn Bhd ("PCD") and BASF Petronas Chemicals Sdn. Bhd., Malaysia analysis done as per EQR and for South Africa and USA are as trademap data.

147. It is seen that Significant share of exports to third countries are at dumped prices.

148. In response to the comments submitted by the domestic industry regarding the methodology adopted for determining the profit margin in the computation of normal value, the Authority notes that, in the absence of domestic sales for BASF, the normal value for the said producer and exporter has been constructed. This construction is based on the cost of production of the subject goods, with reasonable additions for selling and administrative expenses, along with an appropriate profit margin.

149. On the comments filed by the interested parties that mere examination of the duty rate as a percentage of landed price is not the appropriate measure of impact on downstream industries, the Authority notes that the examination of impact of measures has not been restricted to the calculation of duty rate as percentage of landed prices. The interested parties had first claimed that continuation of anti-dumping duty would impact on the performance for the downstream industries by 1% to 7%. The product under consideration does not have 1:1 consumption norm and therefore, it was found that when duty in itself is approximately 3% of the import price, the impact of duty cannot be as high as 7%. It is also seen that the interested parties in the present case have provided the impact of duty in their economic interest questionnaire. The impact of 7% has been quantified by also including 7.5% basic customs duty.

M. **CONCLUSION**

150. Having regard to the contentions raised, information provided, submissions made and the facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, the Authority concludes that: -

a. The product under consideration is “Normal Butanol” or “N-Butyl Alcohol” The scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation.

b. The application has been filed by Andhra Petrochemicals Limited. The domestic industry accounts for a major proportion of the total Indian production.

c. The applicant constitutes an eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and that the application satisfies the standing requirements under Rules.

d. Normal value, export price and dumping margin

   i. The dumping margin for all producers and exporters from subject countries with the exception of BASF Petronas Chemicals Sdn. Bhd. are positive.

   ii. The dumping margin for the non-participating exporters has been determined based on facts available, and these margins are positive and significant.

   iii. There is a continuation of dumping of the product in the present review investigation, and the investigation has shown that dumping of the product is likely to continue in the event of expiry of the duties.

e. Injury to the domestic industry

   i. The import volume from the subject countries has increased significantly in both absolute and relative terms.

ii. Despite the increase in the cost of raw materials by ***%, the import price from the subject countries declined by ***% and are priced below the cost and price of the domestic industry. The dumped imports have prevented the domestic industry from increasing its prices in line with changes in costs.

iii. The production and sales of the domestic industry have declined. Despite having sufficient availability of raw material, the domestic industry could not increase production.

iv. The profit per unit of the domestic industry has declined from Rs [***] per MT in the base year to a loss of Rs [***] per MT in the period of investigation. The domestic industry has suffered losses, including loss before interest, cash losses, and a negative return on capital employed during the period of investigation. Consequently, the ability of the domestic industry to raise capital investment has been severely impacted.

f. Likelihood of injury to the domestic industry

i. The landed price of imports is below the cost of sales domestic industry. The imports are entering the domestic market, which are likely to cause suppressing/depressing effect on the prices of the domestic industry.

ii. BASF Petronas Chemicals Sdn. Bhd. and PETRONAS Chemicals Derivatives Sdn Bhd from Malaysia have participated. The investigation has shown that the producers are significantly export-oriented as they are exporting *** MT and *** MT of their production respectively. In case of South Africa and USA, the information on record shows that exports as ***% and ***% of their capacity respectively.

iii. Significant share of exports to third countries are at injurious and attractive prices. The cumulative price attractive exports are ***MT which is ***% of the demand in India.

g. Indian industry interest

i. Anti-dumping duties were in place for more than 9 years. There is no evidence to suggest that there was any adverse impact on the downstream industry as a result of the duties in force.

ii. The continuation of the measures would have negligible effect on downstream industries.

iii. The domestic industry in the present investigation has suffered continued injury in the period of investigation. Therefore, continued imposition of duties will be in the interest of the domestic industry.

N. **RECOMMENDATION**

151. The Authority notes that the present proceedings were conducted in accordance with the applicable law. All interested parties were duly notified and were afforded adequate

opportunity to provide information and present their views on the matters under investigation, including dumping, injury, causal link, likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury and impact of the measures on the Indian industry. Pursuant to the sunset review, the Authority has arrived at the conclusion that continuation of the existing anti-dumping duties is required in the present case.

152. Having concluded that there is a need for continued imposition of anti-dumping duty as there is a likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury if the anti-dumping measure are allowed to cease, the Authority considers that the quantum of anti-dumping duty is not required to be modified, considering that the duty is proposed to be extended on the grounds of likelihood of dumping and injury. The Authority notes that in the instant case the likelihood of injury has been found by the Authority, therefore the modification of duties based on dumping margin and injury margin determined in the present investigation will not be appropriate, considering that the anti-dumping duty is proposed to be extended on the grounds of likelihood of injury to the domestic industry.

153. In view of same, the Authority considers it appropriate and necessary to recommend continuation of definitive antidumping duty imposed vide notification no. 21/2021- Customs (ADD) dated 12th April 2021 and extended vide 02/2026-Customs (ADD) dated 8th January, 2026, except in respect of those producer exporters who have not participated in the current sunset review investigation. Those non-cooperating producer exporters in this sunset review investigation have been accorded residual duty as mentioned in the table below.

154. Considering the facts and circumstances of the case, as established hereinabove, antidumping duty equal to the amount indicated in Column (7) of the duty table given below is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of the product under consideration, from the subject countries for a further period of five (5) years.

DUTY TABLE

SN	Heading/ Subheading	Description of the goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	UOM	Currency
1	2905 13 00	Normal Butanol or "N-Butyl Alcohol"	Malaysia	Any country including Malaysia	BASF Petronas Chemicals Sdn. Bhd.	26.59	MT	USD
2	-do-	-do-	Malaysia	Any country including Malaysia	PETRONAS Chemicals Derivatives Sdn Bhd	51.42	MT	USD
3	-do-	-do-	Malaysia	Any country including Malaysia	Any producer other than mentioned in SN 1 and 2	149.31	MT	USD

4	-do-	-do-	Any country other than Malaysia, South Africa and USA	Malaysia	Any producer	149.31	MT	USD
5	-do-	-do-	South Africa	Any country including South Africa	Any producer	13.24	MT	USD
6	-do-	-do-	Any country other than Malaysia, South Africa and USA	South Africa	Any producer	13.24	MT	USD
7	-do-	-do-	USA	Any country including USA	Any producer	24.16	MT	USD
8	-do-	-do-	Any country other than Malaysia, South Africa and USA	USA	Any producer	24.16	MT	USD

Note - The application of the individual duty rates specified for the companies mentioned above shall be conditional upon presentation to customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:

'I, the undersigned, certify that the (volume) of (product concerned) sold for export to India covered by this invoice was manufactured by (company name and address) in the (name of country). I declare that the information provided in this invoice is complete and correct.' If no such invoice is presented, the duty applicable to all other companies shall apply. This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the Customs authorities under the applicable customs law and regulations."

O. **FURTHER PROCEDURE**

155. An appeal against the determination/review of the Designated Authority in this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act/Rules.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2016.04.15 16:24:09 +05'30'